(1100/CP/SNT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे चार पूर्व सदस्यों, डॉ. आर.के.जी. राजुलु, श्री रामनाथ दुबे, डॉ. बंशीलाल महतो तथा श्री कैलाश जोशी के दुखद निधन के संबंध में सूचित करना है।

डॉ. आर.के.जी. राजुलु दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के शिवकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। डॉ. आर.के.जी. राजुलु का निधन 20 अक्टूबर, 2019 को 60 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री रामनाथ दुबे सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे पेशे से एक कृषक तथा वकील थे जिन्होंने सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री रामनाथ दुबे का निधन 25 अक्टूबर, 2019 को 86 वर्ष की आयु में हुआ।

डॉ. बंशीलाल महतो सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे एक चिकित्सा व्यवसायी थे जिन्होंने काफी लोगों के उत्थान के लिए काम किया।

डॉ. बंशीलाल महतो का निधन 23 नवम्बर, 2019 को 79 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कैलाश जोशी चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री कैलाश जोशी मध्य प्रदेश विधान सभा में आठ बार विधायक रहे। वे 1977 से 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और मध्य प्रदेश सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग एवं विद्युत मंत्री भी रहे। वे 1962 से 1998 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री कैलाश जोशी 1972 से 1977 तक तथा 1985 से 1990 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे।

श्री कैलाश जोशी जी का निधन 24 नवम्बर, 2019 को 90 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

(1105/NK/GM)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं जब निधन संबंधी उल्लेख करूं तो माननीय सदस्य उस समय आपस में बातचीत न करें। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मर्यादा की बात कर रहा हूं। हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि *… (Not recorded)* पार्टी है, यह हाउस के अंदर क्या हो रहा है। …(व्यवधान) जिस पार्टी के हजारों नेताओं ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए बलिदान किया है, उस कांग्रेस पार्टी को कोई *… (Not recorded)* कह लेता है। …(व्यवधान) सदन क्या चुप रहेगा? इस सदन के अंदर महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्र पिता हैं, राष्ट्र पिता के हत्यारे को *… (Not recorded)* कहते हैं, उसको *… (Not recorded)* कहलाते हैं। सदन क्या चुप रहेगा? सरकार क्या चुप रहेगी, …(व्यवधान) सरकार को खुल कर कहना चाहिएं, यह *… (Not recorded)* पंथी है, यह गांधी पंथी है। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते हैं, जवाहर लाल नेहरू को हड़पना चाहते हैं। अभी महात्मा गांधी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया इनकी निंदा करती है, सारा हिन्दुस्तान इसकी निंदा करती है। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए।…(व्यवधान) सरकार को खुले दिल से कहना चाहिए कि यह *… (Not recorded)* है या गांधीपंथी है।

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आपका गला फट जाएगा। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker Sir, *… (Not recorded)* has been called a patriot by Pragya Thakur.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्यगण, आप सभी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अति वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अगर सदन के रिकार्ड को देखते जो माननीय सांसद ने बोला, उसे रिकार्ड से हटा दिया गया है और वह रिकार्ड में भी नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रक्षा मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दें।

माननीय अध्यक्ष: क्यों बोलने दें? इस पर डिबेट थोड़े हो रही है। इस हाउस के रिकार्ड में होगा तो डिबेट होगी। जब कोई चीज रिकार्ड में नहीं है तो कैसे डिबेट हो सकती है। माननीय रक्षा मंत्री जी, अगर ये बैठते हैं तो आप बोलिए नहीं तो इनको बोलने दो।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, *… (Not recorded)* कहा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: अगर कोई चीज रिकार्ड में हो तब सदन में बात कर सकते हो। आप जो बाहर बोलते हो वह सदन में डिबेट होने लग जाएगी तो कर लेना चर्चा। यह गलत है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है और इसे रिकार्ड से हटा दिया गया है।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Every time, this Member is disrespecting Mahatma Gandhi.

माननीय अध्यक्ष: रिकार्ड में गया ही नहीं तो हटाने का क्या सवाल है? माननीय रक्षा मंत्री जी जब ये चुप होंगे तब आप बोल लेना। आप बैठ जाइए। सदन के उप नेता बोल रहे हैं। सुरेश जी आप सीनियर मेंबर हैं।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस विषय पर किसी को भी नहीं बोलने दूंगा, जब कोई विषय सदन के रिकार्ड में लिया ही नहीं गया तो उस पर चर्चा करने का सवाल ही नहीं है। अगर रक्षा मंत्री जी कोई बात कहना चाहते हैं तो कहें।

(1110/SK/RSG)

…(<u>व्यवधान</u>)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि देशभक्त मानने की यदि किसी की सोच है, तो इस सोच को ही हमारी पार्टी पूरी तरह से कन्डेम करती है।…(व्यवधान)

जहां तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं। वह पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। उनकी विचारधारा उस समय भी

प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में महात्मा गांधी जी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। …(व्यवधान)

उनके प्रति, चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी मज़हब का हो, महात्मा गांधी जी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

श्री भर्तृहरि महताब।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाएं।

…(व्यवधान)

1111 hours

(At this stage, Shri Adhri Ranjan Chowdhury, Shri Kalanidhi Maran, Shri Shriniwas Dadasaheb Patil, Prof. Saugata Roy, Shri Asaduddin Owaisi and some other hon. Members left the House.)

(Q. 141)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, when I had come to this House, I had come with an idea of congratulating you for the technical support which Lok Sabha TV is providing to all Members. …(*Interruptions*) Since last two days, the video recording of our deliberations in this House are being sent directly to us, which is very praiseworthy. It is your initiative which has made it possible. …(*Interruptions*) I would thank you first of all for taking this particular initiative.

My first supplementary question is this. It is a well-known fact that air traffic has expanded exponentially but the air traffic infrastructure and safety measures have not kept pace with such increase in air traffic. In fact, scant attention has been paid to this issue over a period of time. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to add any value to airport operations whose main problem lay in poor airside infrastructure and air traffic management.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पांच वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने, देश में आम नागरिक उड़ सकें, इस दृष्टिकोण से जो सुविधाएं प्रदान की हैं और पिछले पांच वर्षों में बदली हुई परिस्थितियों में हवाई सुविधाओं का जैसे विस्तार हुआ है, उस विस्तार को लेकर माननीय सदस्य ने अपनी सहमति व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्य को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ने के कारण एयर ट्रैफिक के संचालन की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। लेकिन इस कारण से जन सुरक्षा से समझौता हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है। माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न एयर प्रॉक्सिमिटी को लेकर किया था, विश्व में भारत एयर सेफ्टी और एयर मिस की घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक के औसत की अपेक्षा एक तिहाई पर है। यदि हम विश्व के मानक स्तर पर देखें तो इस दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं में, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है, हम विश्व की सूची में 11वें नंबर पर हैं।

(1115/MK/RK)

सबसे ज्यादा जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वे अमरिका में हुई हैं। सारे विकसित देशों के बाद हम ग्यारहवें पायदान पर हैं। अगर हम बिजी एयरपोर्ट्स के दृष्टिकोण से भी देखें तो पहले दस में हम सातवें स्थान पर हैं, जहां सुरक्षा मानकों पर किसी तरह की एयर प्रॉक्सिमिटी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन में संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनमें जो सर्वाधिक चिंता का विषय है, पिछले तीन वर्ष में ऐसी केवल एक घटना रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन, कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 के बीच में इस तरह की जो एयर प्राक्सिमिटी की घटनाएं रजिस्टर्ड होती हैं, उनमें

हम हरेक की विस्तृत जांच करवाते हैं और वह घटना भविष्य में न हो, इसके बारे में पूरा संज्ञान लेकर ध्यान दिया जाता है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): My first supplementary was whether you are going to add value to air traffic management. That has not been answered. I will put my second supplementary based on what you have just now mentioned, relating to the functioning of DGCA, which looks into routes, fares, flying conditions and acts as the authority for giving licences to airlines and pilots, types of certification of aircraft and overseeing of air safety. On top of it all, Sir, DGCA is also tasked with conducting investigation of accidents or air miss incidents. Is this not a clear clash of interest since DGCA signs up aircrafts maintenance and repairs, oversees the air services, advises Airports Authority of India on safety issues and reports the Minister? How can one reasonably expect it to conduct investigation of accident or near miss incident properly, identify responsibility and also make systematic recommendations which could go against or put pressure on any of its client's organisation? If United States, Canada, Australia, France, United Kingdom and most of the European countries in order to avoid conflict of interest have an independent air safety agency, why are we not creating one? Is it too much to expect, which is certainly feasible and eminently desirable?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले प्रश्न के मेरे उत्तर के प्रत्युत्तर में कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह डायनामिक प्रोसेस है और अपग्रेडेशन एंड सिक्योरिटी मेजर्स तथा सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार चलते रहने वाला है। इस दिशा में निश्चित रूप से देश में भी लगातार प्रयास, प्रयत्न और काम हो रहा है। जहां तक इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन की बात है, जिस तरह से अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, भारत में भी इसी तरह का एएआईबी इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन है, जो इस तरह के सीरियस एक्सिडेंट्स को, जैसा मैंने कहा कि इसको चार कैटेगरीज में, डिफ्रेंट कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, सारे सीरियस इंसीडेंस पर यह इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन ही इस बात का अध्ययन करता है और उनकी रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आगे के निर्णय किए जाते हैं।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): The Government has emphasised privatisation of airlines and airports and deregulation of civil aviation in general during the last decade. As a result, India has witnessed 20 per cent growth in air traffic every year. However, there is a critical shortage of well-trained Air Traffic Controllers in the country. The AAIB's

investigation report of the near-miss incident between Indigo and KLM in November, 2016 stated that 101 of the 109 radar controllers at Delhi air traffic control did not perform any duty for about a year rendering their tower rating as invalid.

I would like to remind the hon. Minister that in the absence of such well - trained traffic controllers, five near-miss incidents took place in Mumbai, Mangalore, Surat, Kozhikode and Kolkata in three days during the month of July 2019. What steps are being taken by the Ministry to ensure that adequate and well-trained air traffic controllers are deployed at each airport, particularly the Mumbai Airport, to avoid such incidents?

(1120/PS/RPS)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता निश्चित रूप से जायज है, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान में लाने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में 1000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जो वेल ट्रेन्ड एण्ड क्वालीफाइड थे, को देश के एयरपोर्ट्स पर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के मद्देनजर रिक्रूट किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य संक्षेप में पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, बहुत ही साधारण सवाल है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है।

महोदय, यह एक भ्रान्ति है कि सिर्फ एक ही संस्था एयरमिस के लिए जिम्मेदार है, कई बार एयर ट्रैफिक सर्विसेज से भी चूक हो सकती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं और कई बार पायलटों से भी चूक हो सकती है और यह नॉन आरबीएसएम स्पेस है, जो टेक-ऑफ और लैण्डिंग के समय ज्यादा मात्रा में होता है।

महोदय, भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की चर्चा सदन में नहीं होती है। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दुनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बराबर हैं और कई उनसे भी बेहतर हैं। हमें इस बात की बधाई देनी चाहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गुणवत्ता के कारण, जिस प्रकार से पूरा सदन मेजें थपथपा रहा है, आज हम सबके जीवन की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में न सदन में चर्चा होती है, न सरकार में चर्चा होती है। वर्षों से यह मांग की जा रही है कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज को एयरपोर्ट अथॉरिटी से बाहर निकाला जाए, ताकि उनकी अपनी स्वायत्ता हो सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। पहले जब तक एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज नहीं हुए थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी की कमाई का बड़ा हिस्सा एयर ट्रैफिक सर्विसेज की कमाई से आता था। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्षों से एयर ट्रैफिक सर्विसेज की यह मांग है कि उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से अलग किया जाए ...(व्यवधान) और उनके भी अधिकारी ऊपर के स्तर पर जा सकें, जैसा माननीय निशिकांत दुबे जी ने भी बोला है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आपके शहर कोटा से हवाई जहाज उड़ेगा, तो यही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उसका नियंत्रण करेंगे

और सुरक्षित हमें दिल्ली में उतारेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज को एयरपोर्ट अथॉरिटी से अलग करके, जो कई रिपोर्ट्स में भी आया है, स्वायत्ता देने का निर्णय सरकार कब करेगी? …(व्यवधान) मैं इसके बारे में सरकार से उत्तर चाहूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि पूरे सदन में इस विषय के बारे में सबसे ज्यादा अनुभव यदि किसी का है तो वह माननीय सदस्य का है। उन्होंने मंत्री के नाते भी और टेक्नीकली एक कॉमर्शियल पायलट के नाते भी लगातार बहुत वर्षों तक देश की सेवा की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को डीजीसीए सर्टिफाई करता है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर आगे गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।

(इति)

(Q.142)

VINCENT H PALA (SHILLONG): According to the National Statistical Office's latest survey on 'Drinking Water, Sanitation, Hygiene and Housing Condition in India' -- which was released last week -- about 29 per cent of rural households and about four per cent of urban households do not have access to toilets. Not only does this contradict the data of Swachch Bharat Mission, which stated that 95 per cent households have toilets in the period corresponding to the NSO survey, but also the findings of the National Annual Rural Sanitation Survey (NARSS), which stated that 93.1 per cent of Indian rural households have access to toilets in the corresponding period.

May I know from the hon. Minister what are the reasons for the discrepancies and which one is correct?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यंत ही रोचक प्रश्न किया है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि देश के 699 जिले, जिनमें स्वच्छता का यह कार्यक्रम देश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लिया था। इसको एक अभूतपूर्व सफलता के साथ रखते हुए, पूरे विश्व के सामने एक कीर्तिमान प्रस्तुत किया गया है। जहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन्स ने जो समय-सीमा वर्ष 2030 तक तय की थी, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि उसे भारत ने वर्ष 2019 तक पूरा किया है। इस लक्ष्य को पूरा करके निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों का, चाहे हम किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से आते हों, सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। 100 करोड़ लोग, जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे, उनमें से 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा दिलाई गई है। (1125/RU/RPS)

महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 699 जिलों ने, ऐसे जिले सभी राज्यों में उपस्थित हैं जहां हम सभी बैठे हुए लोगों में से किसी न किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता की सरकार होगी, उन सब जिलों ने सेल्फ-सर्टिफाई करके इस तरह के सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हैं कि उनके जिले ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो गए हैं। जहां तक डिसक्रिपेंसी का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि रिस्पॉंडेंट बायस सर्वे मैकेनिज्म में होता है। जो सर्वे की साइंस है, वह कहती है कि डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग के समय कई बार इस तरह की चूक होना स्वाभाविक है, इस तरह के गैप्स आना स्वाभाविक है और पूरे विश्व भर में इस बात को सर्वे साइंस के साइंटिस्ट्स ने कहा है। यदि सदस्य चाहेंगे, आप अनुमति देंगे और समय की उपलब्धता होगी तो मैं विस्तार से इस बारे में बता सकता हूं कि रिस्पॉंडेंट बायस के कारण किस तरह से ऐसे गैप्स आते हैं। इंटरनेशनली भी सर्वे साइंस के वैज्ञानिकों ने और अध्येताओं ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि इस तरह के लाभ से जुड़े विषयों में यदि प्रश्न किया जाता है तो 40 प्रतिशत तक रिस्पॉंडेंट बायस आने की संभावना है। हमारे देश में सर्वे साइंस के

विद्यार्थियों ने इस बायस को 50 प्रतिशत तक आंका है, लेकिन हमारे जिलों में, हमारी सरकारों ने इस बात को प्रस्तुत किया है और यह एक डायनमिक प्रोसेस है। जहां तक शौचालयों के निर्माण और उनको उपलब्ध कराने का प्रश्न है, जिलों ने और प्रदेश की सरकारों ने जो सर्टिफाई किया है, उसके आधार पर मैंने डेटा दिया है, लेकिन हमने एक डिक्लेरेशन के बाद भी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जो लेफ्ट ओवर आफ्टर द बेसलाइन हैं, उनको भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमने उनको खुली छूट दी है। मैं इस सन्दर्भ में, यहां खड़े होकर बिहार सरकार और पंजाब सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अखबार में एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं कि यदि कोई भी पीछे रह गया हो तो वह आकर प्रतिवेदन करे, हम उसे शौचालय की सुविधा देंगे। हमने उस दिशा में आगे काम किया है। मैं, सदन के माध्यम से अन्य राज्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी, जो कोई भी पीछे रह गया है, वे उसे इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए काम करें। भारत की सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हाथ पकड़कर इस तरह की सुविधा, हैण्डहोल्डिंग करके देने के लिए तैयार है।

SHRI VINCENT H PALA (SHILLONG): In a reply given in the Rajya Sabha on 18th November, the Government stated that out of 5.99 lakh villages, the second round of verification on Open Defecation Free status was done only in 1.54 lakh villages. By when does the Government aim to complete the second round verification of all the villages? What will happen to the case where a village fails to meet the requirements in the second verification even if it has met them in the first verification?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के जिस सर्वेक्षण की उन्होंने बात की है, उसके बाद में स्वच्छता का एक ब्रॉडर सर्वेक्षण अभी 2019 में पूरा किया गया है, जिसमें हमने विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सकें, सहभागिता कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान किया था। तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐसे ब्रॉडर सर्वे में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। यह एक डायनमिक प्रोसेस है और लगातार इस तरह के सर्वे होते रहते हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में जो व्यक्ति इसमें नए जुड़ते हैं, हमने अनुमान किया है कि प्रतिवर्ष ऐसी आवश्यकता होगी कि करीब 30 लाख से ज्यादा नए शौचालयों का निर्माण करना पड़े और हम इस काम के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे देश में हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम खुले शौच से देश को मुक्त कराएं। उन्होंने देश के राज्यों का उल्लेख भी किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ओडीएफ इन राज्य घोषित हुए हैं, वे वर्ष 2012 की बेसलाइन पर घोषित हुए हैं। उसके बाद, आप जो पुन: सर्वेक्षण की बात कह रहे हैं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जनपद भी हो। हमारे जनपद से लगभग एक लाख का प्रस्ताव राज्य के माध्यम से

भारत सरकार के पास आया है और उत्तर प्रदेश का एक क्यूमुलेटिव प्रस्ताव काफी बड़ी संख्या में आया है, वे प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाएंगे और वह पैसा कब तक राज्य को निर्गत हो जाएगा? (1130/IND/KKD)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि left behind base line survey के शौचालयों के निर्माण के लिए आगे आकर हमने राज्यों को लिखा है। जहां तक उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, देशभर में एक करोड़ दस लाख ऐसे left behind नए शौचालय बनाने के प्रस्ताव स्वीकृत किए थे। उनमें से 85 लाख शौचालय ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हमने पुन: पत्र लिखकर कहा है। माननीय सदस्य ने left behind base line survey की बात कही है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि कोई भी पीछे न रहे, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकारें अपने यहां सुनिश्चित करें कि वे जो भी प्रतिवेदन भेजेंगी, वे सारे प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्वीकृत करके इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

(इति)

(प्रश्न 143)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, in the written reply of the Question, it is mentioned that the implementation of the projects would be started after the DPR is prepared. I would like to know about the approximate timeframe they are looking at and when these projects would be completed.

I would also like to ask one more question. After the Cyclone Gaza in Tamil Nadu, around Rs.25,000 crore worth of damages were suffered by the people. But the Central Government has sanctioned or released only Rs. 1,046 crore. So, when would the rest of the money be released? Thank you.

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, नेशनल डेवलपमेंट वॉटर एजेंसी ने 137 बेसिन और सबबेसिन, 71 डायवर्सन्स के प्वॉइंट, 74 रिजर्वायर और 37 लिंक एलाइनमेंट्स इंटर लिंकिंग के लिए चिह्नित की थीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए। उसके लिए नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी ने स्टडी की और उसके लिए ये प्वॉइंट्स चिह्नित किए गए थे। उसके बाद 30 लिंक्स को हमने छांटा कि यहां पर यह कार्य हो सकता है। उसके बाद भी हमने 14 पेनिनसुलर कम्पोनेंट लिंक को आइडेंटीफाई किया और दो हिमालयन एरिया डेवलपमेंट के रीवर्स के अंतर्गत आईडेंटीफाई किये। 30 प्रोजेक्ट्स में से चार प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार हो चुकी है और कई प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट फेज और सैकेंड फेज का कार्य शुरू हो चुका है। चूंकि वॉटर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक है। दूसरे विभागों से भी मंजूरी लेनी पड़ती है जैसे पर्यावरण विभाग है।

माननीय अध्यक्ष : आपने कह ही दिया है कि राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ती है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, कटारिया जी को पहली बार उत्तर देने के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : अभी बहुत लोग पहली बार बोलेंगे।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, नदियों को परस्पर जोड़ने का विचार सबसे पहले देश में पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लेकिन दस वर्षों तक यूपीए की सरकार थी। उस प्रोजेक्ट को एक कदम भी आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ था।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आरोप मत लगाएं, आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने परस्पर नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का काम किया। इसके तहत जो 14 परियोजनाएं हैं, उनमें से हमारे मध्य प्रदेश की दो परियोजनाएं हैं – केन-बेतवा नदी और पार्वती-कालीसिंध चम्बल। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है और मैं जानना चाहता हूं कि साध्यता रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इनका काम कब तक शुरू हो पाएगा और इसमें कितना खर्च आने वाला है?

(1135/IND/RCP)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर प्रश्न किया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस विषय में जो गंभीर प्रयास रहे हैं, उनका उल्लेख भी किया है। जिन लिंक्स की चर्चा मेरे सहयोगी राज्य मंत्री ने की है, उन लिंक्स को आईडेंटीफाई करना, उनकी डिटेल रिपोर्ट बनाना और उसके बाद जो संवैधानिक स्वीकृतियां हैं, चाहे वे वाइल्ड लाइफ विभाग से लेनी हो, फारेस्ट विभाग से लेनी हो या एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेनी हों, ये क्लीयरेंसेज लेनी होती हैं। इसके अतिरिक्त सबसे आवश्यक विषय राज्यों की मंजूरी का है। चूंकि पानी राज्यों का विषय है और राज्य अपनी सहमति व्यक्त करें तथा साथ आएं। पानी राज्यों का विषय होने की वजह से ऐसा किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उन्हांनेजिन दो लिंक्स का उल्लेख किया है और अपने मूल प्रश्न में कनिमोझी जी ने प्रश्न किया था, उसमें भी उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया था, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली डीपीआर बनने के बाद भी यदि राज्य साथ में बैठकर सहमति नहीं देंगे, तो कठिनाई होती है। जिन लिंक्स का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उनके लिए जल बंटवारे को लेकर अभी पूर्ण सहमति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नहीं बनी है। जिस दिन सहमति बनेगी, उस दिन निश्चित रूप से हम इसमें काम प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अध्यक्ष जी, मैं सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के लगभग 18 प्रतिशत भूभाग में हर साल बाढ़ आती है। 13 प्रतिशत भूभाग में हर साल सूखा पड़ता है। इस समस्या का स्थायी समाधान इस दिशा से ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब भी अपने-अपने राज्यों में जिस किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां अपनी सरकारों से आग्रह करें कि हम सब मिलकर किस तरह से खुले दिल से साथ में बैठकर इस विषय में सहमति बना सकते हैं। यदि ऐसा प्रयास सभी लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश हम सबको साधुवाद भी देगा और ऋणी भी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : मेरा कहना है कि यह विषय गंभीर है। आप लिख कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा हो जाए। इस विषय पर बोलने के लिए सदस्यों के नामों की मेरे पास लम्बी लिस्ट है। प्रश्न काल में दूसरे विषय के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं और बहुत लम्बी लिस्ट है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रमा देवी जी, आप बैठ जाएं। आपकी बात रेकार्ड में नहीं जा रही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्निल।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, regarding inter-linking of rivers, Pamba – Achankovil – Vaippar link, the hon. Minister has given a reply that the Feasibility Report is completed. So, I would like to know from the hon. Minister, through you, whether before completing the Feasibility Report, whether

they have discussed it with the State Government of Kerala and the State Government of Tamil Nadu. Sir, Pamba and Achankovil rivers flow through my parliamentary constituency. If these rivers are linked with Vaippar river, then the farmers will suffer. Also, our people will not get sufficient drinking water.

So, I would like to request the hon. Minister, through you, that before taking a final decision, they have to take into confidence the Government of Kerala and the people of Kerala. Thank you, Sir.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष जी, मैंने भी कहा था कि राज्यों की सहमति इसमें प्राथमिक आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि फिजिबिल्टी रिपोर्ट बनाने से पहले दोनों राज्यों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की थी।

(इति)

(प्रश्न 144)

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब विस्तार से प्राप्त हुआ है, परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चंद सवालात जानना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट है। लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है। आज यहां बैठे सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है, उन्हें बैंकों के असहयोग के कारण एक पैसे का भी ऋण नहीं मिलता है। यदि ऋण मिलता भी है, तो केवल उन्हीं लोगों को जिनके बीच में बिचौलिए होते हैं। स्किल डेवलपमेंट के बाद उनके स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार के स्तर पर कोई ठोस प्रोग्राम देखने को नहीं मिला है।

महोदय, इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है उन्हें ब्लॉक लेवल पर रोजगार मिल सके या उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मिल सके या वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, ऐसा प्रश्न के जवाब में कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में बढ़ रही बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसके तहत लोगों को रोजगार या व्यापार करने में किस प्रकार का सहयोग करने का सरकार विचार रखती है?

(1140/ASA/SMN)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या काफी बड़े पैमाने पर है, जिसका सामना हम सब लोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, वह भी बिल्कुल सही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसरों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। रोजगार निर्माण करने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग मिलती है, उसके लिए सरकार ने एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट बनाया है। डॉ.महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी उसके मंत्री हैं और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की अनेक प्रकार की ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दी है। अब उसमें उनकी अनेक योजनाएं हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह करते समय सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें विशेष रूप से सरकार की स्फूर्ति योजना है। जो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री का प्रश्न पूछा है, तो कॉटेज इंडस्ट्री करके कोई परिभाषा नहीं है। मैं समझता हूं कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी विलेज इंडस्ट्री। इसका टर्न-ओवर 84000 करोड़ हम लोग इस साल एक्सपैक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो खादी ग्रामोद्योग है, कुम्हार है, लोहार है, हमारे जूते बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसमें छोटे-छोटे बहुत व्यापारी लोग काम करते हैं, जो जूते बनाने की ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसके लिए क्यू लगी हुई है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है।

एक तरफ अभी हमने यह तय किया है कि जो इंडस्ट्री विशेष रूप से शुरू होगी, वही स्किल ट्रेनिंग देने का काम करेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी और स्किल भी मिलेगी। रूरल सैक्टर में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पर इसमें जैसे आपको विदित होगा कि जो कुम्हार हैं, वे कुल्हड़ बनाते हैं। हमारी सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैंने रेल मंत्री

पीयूष गोयल जी से रिक्वैस्ट की थी और खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष मेरे पास आए, मैंने यह रिक्वैस्ट उनसे की कि रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक और पेपर ग्लासेज के बजाए कुल्हड़ को मेनडेट्री किया जाए। आज 400 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ को मेनडेट्री कर दिया गया है। इसका उपयोग यह हुआ है कि करीब-करीब 74000 ऐसे यूनिट्स छोटे-छोटे कुम्हारों के हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): कोई नई बात कीजिए। पुरानी बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री नितिन जयराम गडकरी : इसको और बड़े पैमाने पर जनरेट कर रहे हैं। जो नई बात करने की बात हमारे सम्माननीय मित्र पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि पुराने काल में चाइना से अगरबत्ती आती थी और लोगों का रोजगार छीना गया था। हमारे यहां अगरबत्ती इंडस्ट्री है। तमिलनाडु के सदस्य यहां बैठे हुए हैं। ये आपको बताएंगे। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि आइसक्रीम खाने का चम्मच भी चाइना से आ रहा था।...(व्यवधान) इसलिए मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है? ...(व्यवधान) सम्माननीय सदस्य जी, अभी हमने चाइना से आए हुए सभी बैम्बू प्रोडक्ट्स पर 30 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी है। इसके कारण अब करीब 25 लाख महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला है। 4000 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट रुकेगा और यह पूरा काम लोगों को मिलेगा।...(व्यवधान) हमारे देश की चमड़े की इंडस्ट्री 1,45000 करोड़ की है। इसमें 85000 करोड़ रुपए का डोमैस्टिक यूज है और करीब 45 से 50000 करोड़ एक्सपोर्ट है। इसलिए इसी इंडस्ट्री के कार्यक्रम में मैं गया था और यह बड़े पैमाने पर कारीगरों को काम देती है।

अभी हमने तय किया है कि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी तकनीक, इनोवेशन, नयी मशीनें लानी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग देने की हम योजना बना रहे हैं और उसको टैक्स एग्जेम्पशन कैसे दे सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और नये रोजगार का निर्माण हो।

दूसरी ओर हमने इसके साथ-साथ यह अध्ययन शुरु किया है, कॉमर्स सैक्रेटरी और हमारे दोनों संयुक्त सचिव, कमेटी अध्ययन का आज ही मेरे यहां प्रेजेंटेशन है कि हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसको हम कैसे कम करें? इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इकोनॉमी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। (1145/ASA/MMN)

दोनों से एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल यानी रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। अब आप नई चीज के लिए कह रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जैसे हनी है, हमने हनी का बजट अभी दस गुना बढ़ा दिया है। जो मैसूर का संस्थान है, बड़े-बड़े होटलों में चाय में छोटे से कागज के बैग में शुगर होती है, वह चाय में डालते हैं। सांचे में डालकर शुगर को हम कॉफी में डालते हैं। अभी हमने एक नया प्रयोग किया, आने वाले दो-तीन महीने में खादी ग्रामोद्योग को लांच करने जा रहे हैं कि हनी का क्यूब बनाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : हनी नहीं, मनी चाहिए। हनी के बदले मनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं। जवाब देने के लिए मैंने आपको नहीं कहा है। माननीय सदस्य, मंत्री जी उनको जवाब देने में सक्षम हैं। आप मत बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, वह सही कह रहे हैं। हनी से मनी आने वाली है क्योंकि हनी के अभी जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, जो हाइ ऑल्टीट्यूड का हनी है, जम्मू-कश्मीर, अरुणांचल और उत्तराखंड में है, उसकी कीमत एमेजॉन की साइट पर 7000 रु.किलो है और अभी हम लोग हनी का उत्पादन दस गुना बढ़ा रहे हैं। वह पेटियां बांट रहे हैं, उसका हर जिले में क्लस्टर बना रहे हैं, जो अरुणांचल, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार और यू.पी. में है और इसका कृषि क्षेत्र में फायदा होगा। हर जिले में प्रोसैसिंग प्लांट होगा और उससे हनी के क्यूब बनेंगे। मैं आपको अगले 6 महीने के बाद आप अपने ऑफिस में भी शक्कर यूज नहीं करेंगे, एक हनी का क्यूब चाय में डालकर चाय पिएंगे। …(व्यवधान) हनी का यूज दस गुना बढ़ेगा तो ट्राईबल्स और किसानों को कितना रोजगार मिलेगा। जितना ज्यादा हनी कलैक्ट होगा तो उतना उसी से मनी मिलेगा। …(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास देना चाहता हूं कि हमारा पूरा फोकस अर्बन एरिया के उद्योगों पर नहीं है। हमारा पूरा फोकस ग्रामीण, कृषि और ट्राईबल क्षेत्र पर है। अगर ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा तो वहां से होगा। जो शहर की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, उसको हम रोकेंगे। इतना ही नहीं, जो लोग शहरों में आए हुए हैं, वे लोग वापस अपने गांव की तरफ जाएंगे। हमने ऐसी नीति बनाई है। खादी ग्रामोद्योग का टर्न-ओवर बहुत बड़ा है। अभी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। रूरल, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में फूड एवं फ्रूट प्रोसैसिंग, ऑइल और जिस-जिस इंडस्ट्री का संबंध है, उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े हुए उद्योगों को फिर से सुधारने की योजना बना रहे हैं। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में स्किल के साथ ज्यादा से ज्यादा उद्योग का निर्माण हो, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था; "We need maximum production with the involvement of maximum number of people." इसी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए विभाग की ओर से फोकस किया जाएगा। आप जो अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में भी इसके ऊपर प्रायोरिटी देकर हम काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सोनिया गांधी जी, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कल आपने 20 प्रश्न करके रिकार्ड बना दिया। सर, आज भी हमें एक मौका देना चाहिए। अगर मंत्री जी खुद कहेंगे तो हम कब कहेंगे? …(व्यवधान) सर, आप रिकार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिकार्ड तोड़ने की नहीं हमारी बनाने की कोशिश है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिना विषय के 15 मिनट खराब किये प्रश्नकाल में।

…(व्यवधान)

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, एक समय था कि देश के लगभग हर गांव में, हर घर में कोई न कोई लघु कुटीर उद्योग था। इस स्थिति में आज कमी आई है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका तो उन्होंने विस्तृत जवाब दे दिया है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : क्या सरकार सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग का वैश्विक स्तर पर निर्माण करेगी? जो निर्माण कर रहे हैं, उस उत्पाद का बाजार में ऑनलाइन फ्लिप कार्ड है, एमेजॉन है, इस तरह से उसका विक्रय भी हो सके, क्या इसके लिए सरकार की कोई योजना है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। चाइना की जो प्रगति हुई है, अलीबाबा के कारण हुई है। एमेजॉन के कारण कितनी ज्यादा उसकी सेल है, कितना बड़ा वॉल्यूम है। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद और इस विभाग में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग 'एक भारत' क्राफ्ट करके नया पोर्टल तैयार कर रहे हैं।

(1150/RAJ/VR)

मेरी 5 तारीख को स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर यह संभव हुआ तो स्टेट बैंक और हम मिल कर यह पोर्टल चलाएं। इसमें एमएसएमई के सभी प्रोडक्ट्स रहेंगे। न्यूयार्क में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कश्मीर में बनी हुई अच्छी शाल को वहां से खरीद सकेगा, हम इस प्रकार की ई-कॉमर्स का पोर्टल 'भारत क्राफ्ट' के नाम से तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने दूसरी बात bank of ideas, innovation and research के बारे में कही है। इसके बारे में हम लोग एक वेबसाइट खोल रहे हैं और इसके द्वारा जो भी अच्छे नये इनोवेशंस हैं, उनको ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। कल मैं मानेसर में गया था। हमारे लोगों ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार तैयार की है। वे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आगे चले गए। वे छोटे-छोटे लड़के हैं, इंजीनियरिंग आईआईटी के ग्रैजुएट्स हैं, उनका स्टार्ट-अप है। वे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, माहौल बहुत बदल गया है। हम जिसको नॉलेज कहते हैं, that is, innovation, entrepreneurship, science, technology, research and skill, we are going to convert that knowledge into wealth and also convert waste into wealth.

मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। आज देश में 29 प्रतिशत ग्रोथ एमएसएमई के कारण है, हम इसको पांच सालों में 50 प्रतिशत से ज्यादा लेकर जाएंगे। अभी तक 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, हम कम से कम पांच करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य रख कर काम कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट में 49 प्रतिशत एक्सपोर्ट एमएसएमई का है, हम उसको 60 प्रतिशत तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पूरा पैसा भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस करके विदाउट कोलैटरल ज्यादा लोन कैसे मिले, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।

(इति)

(Q.145)

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, the hon. Minister is on record saying that this pay-and-carry system will change the power sector and make it viable. The hon. Minister is aware of the constraints and concerns expressed by almost all DISCOMs of all the States.

In pursuance of these concerns, the Ministry exactly one month after the decision, that is, 24 July, 2019, agreed to ease norms of payments by DISCOMs. But it was only temporary and in September this year itself, a panel of Central Electricity Authority recommended again that 50 per cent should be paid in advance. There is a lot of confusion on this issue. *....(Interruptions)*

I would like to know from the hon. Minster whether the Government of India will withdraw that July order or not.

SHRI R.K. SINGH: Hon. Speaker, Sir, there is no question of withdrawing the order. The hon. Member in his question has stated that we have changed the system from a post-paid system to a pre-paid one. That is not correct. Electricity bills of power generators are still paid 45 to 60 days after the supply. Therefore, it still remains post-paid. The payment to power generating companies is supposed to be received 45 to 60 days after the supply. The position remains the same.

Sir, what we have done is that we have only made it compulsory to comply with the conditions of the contract under which the power is supplied. Power is supplied under the Power Purchase Agreement. These Power Purchase Agreements have a provision that there will be a payment security mechanism in the form of Letter of Credit, which is signed by both parties. It is a solemn contract. The law says, in Section 28, that power will be dispatched only in accordance with the terms of the contract. All we are doing is implementing the law. Payment is still supposed to come 45 to 60 days after the supply has been done.

Hon. Speaker, Sir, through you, I want to inform the House that today as on date the outstanding dues of power generation companies have gone up to Rs.85,000 crore and the overdues have gone up to near about Rs.65,000 crore. This is not a sustainable situation. We need to correct this and making sure that the contracts are followed is an attempt in that direction.

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, producing power is one aspect and facilitating production of power is the other important aspect. The point that I am trying to drive at is that the thermal power plants in Andhra Pradesh are not even producing 50 per cent of their capacity. Due to this, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Jaganmohan Reddy Garu is finding it extremely difficult to supply uninterrupted power even for nine hours to farming community. It is happening due to non-availability of coal.

Sir, even though it is not directly related to the hon. Power Minster, I would request and ask him how he will persuade the Coal Ministry to allocate coal blocks to the State thermal power generating companies, particularly in Andhra Pradesh, which has not been given any coal blocks after bifurcation. I would also like to know whether any consultation with the Minister of Coal has been held in this regard. If so, details of the same may kindly be provided. Thank you.

(1155/RBN/RAJ)

SHRI R.K. SINGH: The generating companies have to pay for coal in advance. That is also part of the contractual agreement between the coal companies and the generating companies. That is also the mandate of the Ministry of Coal. We are vitally concerned because coal is required for production of power. But the money for coal has to be pre-paid.

The situation in Andhra Pradesh is that their distribution company made a loss of Rs. 1,500 crore during 2018-19. Their outstanding payments to generating companies is over Rs. 3,000 crore. One of the reasons for the loss is that, against a subsidy bill of Rs. 6,000 crore which the State Government should have paid to the discom, the State Government has paid only Rs. 5,000 crore. That is obviously Rs. 1,000 crore less. So, basically the State Government has to get serious about the power infrastructure. As we all know, power structure is a vital infrastructure. That is what my message is.

(ends)

(Q. 146)

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Minister, in his reply, has explained the details very nicely. But still, through you, I want to know from the hon. Minister whether the Government has any further plans to strengthen the street vending eco system through provision of line of credit, micro loans, better infrastructure, access to social and health security and other similar measures.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मूल रूप से वह प्रश्न राज्य से जुड़े हुए विषय से संबंधित है। संसद ने वर्ष 2014 में एक्ट पारित किया था और वह राज्यों को भेजा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू-कश्मीर में यह लागू नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत हम ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है कि यह लागू हो जाए। जम्मू-कश्मीर में यह लागू होने के बाद देश के प्रत्येक राज्य ने यह एक्ट एडाप्ट कर लिया है।

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इससे आगे बढ़ कर फेरीवाले, रेहड़ीवाले, छोटे-छोटे व्यवसायी और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लाइन ऑफ क्रेडिट मिले, उनको इन्श्योरैंस मिले या स्वास्थ्य की सुरक्षा मिले, इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है? मैं अत्यंत गर्व के साथ, सम्मान के साथ आपके माध्यम से माननीय सदस्य और देश को बताना चाहता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सभी छोटे-छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए, अपने पिछले काल खंड में 'मुद्रा योजना' प्रारंभ की थी, जिसमें 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन, ऐसे सारे छोटे-छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों को मिल सकता है और देश में करोड़ों छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों ने इसका लाभ उठाया है। जहां तक उनकी सोशल सिक्योरिटी का प्रश्न है तो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनके लिए न केवल पेंशन की स्कीम अपितु उनके लिए मात्र एक रुपये में इन्श्योरेंस कवरेज की स्कीम भी लाँच की है। जहां तक स्वास्थ्य बीमा का प्रश्न है, ऐसे सारे गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 'आयुष्मान योजना' के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। अगर इस दिशा में राज्य सरकारें आगे बढ़ कर लोगों के लिए कुछ करना चाहें तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार और देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होगी।

(इति)

(pp.22-30)

(प्रश्न 147)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष जी, समय की मर्यादा को देखते हुए, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। क्या सरकार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चों को स्कूल में और जॉब ऑपर्चुनिटी में प्रायरिटी देने के बारे में कुछ सोच-विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूं कि कांदिवली में जो 'साई', स्पोर्टस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है, उसको मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की मांग की है, वह कितने दिनों में पूरा करेंगे?

श्री किरेन रिजीजू : सर, उन्होंने जो दूसरा सवाल किया है, अगर उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार प्रपोजल भेजेगी, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। हम ने माननीय सदस्य से भी चर्चा की थी और अगर उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा जाए तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन प्रपोजल आएगा तो हम कंसीडर करेंगे।

हम ने स्कूल के बारे में, फिटनेस और स्पोर्ट्स को लेकर एक नया मूवमेंट चलाया है। प्रधान मंत्री जी ने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, वह आज एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने भी पार्लियमेंट में 'फिट इंडिया मूवमेंट' को लाँच किया, सभी माननीय सदस्यों को दौड़ाया। स्पीकर फिट हैं, प्रधान मंत्री जी फिट हैं, पार्लियमेंट फिट है, तो देश भी फिट होगा।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/VB/SM)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ भी बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

… (Not recorded)

- - - - -

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

आइटम नम्बर 3 श्री किरेन रिजीजू जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep State Waqf Board, Kavaratti, for the year 2018-2019 alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep State Waqf Board, Kavaratti, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chandigarh Waqf Board, Chandigarh, for the year 2018-2019, alongwith Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chandigarh Waqf Board, Chandigarh, for the year 2018-2019.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R. K. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Power Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Power Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the SJVN Limited, Shimla, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the SJVN Limited, Shimla, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the NHPC Limited, Faridabad, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the NHPC Limited, Faridabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the SJVN Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने सदस्य को समझाएँ कि जब सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं, तो बीच में नहीं बोलते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: प्रिवीलेज मोशन दिया है, प्रिवीलेज मोशन दिया है, आप बैठिए।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2018-2019.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2018-2019.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2018-2019.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Deendayal Port Trust, Gandhidham, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Deendayal Port Trust, Gandhidham, for the year 2018-2019.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Deendayal Port Trust, Gandhidham, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Deendayal Port Trust, Gandhidham, for the year 2018-2019.

(5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(6) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2018-2019.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2018-2019.

(7) A copy of Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2019/I (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th September, 2019, regarding ordinances governing Administrative and Academic matters under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008.

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963:-

1. G.S.R.700(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2019, approving the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
2. G.S.R.759(E) published in Gazette of India dated 4th October, 2019, approving the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
3. G.S.R.818(E) published in Gazette of India dated 31st October, 2019, approving the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
4. G.S.R.628(E) published in Gazette of India dated 3rd September, 2019, approving the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
5. G.S.R.629(E) published in Gazette of India dated 3rd September, 2019, approving the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
6. G.S.R.630(E) published in Gazette of India dated 3rd September, 2019, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(vii) G.S.R.631(E) published in Gazette of India dated 3rd September, 2019, approving the Mormugao Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (GEN. VIJAY KUMAR SINGH (RETD.): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

1. S.O.3108(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.
2. S.O.3109(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.3867(E) dated 8th December, 2017.
3. S.O.3203(E) published in Gazette of India dated 4th September, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.
4. S.O.3725(E) published in Gazette of India dated 17th October, 2019, declaring Highway No. 703AA as new National Highways.
5. S.O.3959(E) published in Gazette of India dated 31st October, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.
6. S.O.3960(E) published in Gazette of India dated the 31st October, 2019, entrusting the stretches, mentioned therein, of new National Highway No. 911 to National Highways Authority of India in the State of Rajasthan.
7. S.O.3961(E) published in Gazette of India dated the 31st October, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.
8. S.O.3965(E) published in Gazette of India dated the 31st October, 2019, entrusting the stretches, mentioned therein, of new National Highway No. 753C to National Highways Authority of India in the State of Maharashtra.
9. S.O.4006(E) published in Gazette of India dated the 6th November, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(2) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988:-

1. The Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018 published in Notification No. S.O.6052(E) in Gazette of India dated 6th December, 2018.
2. S.O.6108(E) published in Gazette of India dated the 11th December, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1365(E) dated 13th December, 2004.
3. The Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R. 1151(E) in Gazette of India dated 29th November, 2018.
4. The Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R. 1162(E) in Gazette of India dated 4th December, 2018.
5. The Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R. 1192(E) in Gazette of India dated 11th December, 2018.
6. The Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R. 1225(E) in Gazette of India dated 20th December, 2018.
7. The Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Amendment Order, 2018 published in Notification No. S.O.1018(E) in Gazette of India dated 25th February, 2019.
8. The Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.167(E) in Gazette of India dated 1st March, 2019.
9. The Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.174(E) in Gazette of India dated 1st March, 2019.
10. The Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.173(E) in Gazette of India dated 1st March, 2019.
11. S.O.1215(E) published in Gazette of India dated the 8th March, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.443(E) dated 12th June, 1989.
12. The Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.246(E) in Gazette of India dated 29th March, 2019.
13. The Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.440(E) in Gazette of India dated 21st June, 2019.

14. The Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.511(E) in Gazette of India dated 18th July, 2019.
15. The Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.547(E) in Gazette of India dated 1st August, 2019.
16. S.O.3110(E) published in Gazette of India dated the 28th August, 2019, appointing the 1st day of September, 2019 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 shall come into force.
17. S.O.3147(E) published in Gazette of India dated the 30th August, 2019, appointing the 1st day of September, 2019 as the date on which Section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 shall come into force.
18. The Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.681(E) in Gazette of India dated 23rd September, 2019.
19. The Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.807(E) in Gazette of India dated 24th October, 2019.
20. The Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.808(E) in Gazette of India dated 24th October, 2019.
21. The Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.806(E) in Gazette of India dated 24th October, 2019.

3. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th November, 2019 agreed without any amendment to the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019"

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

1st Report

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – GENERAL

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants - First Batch for 2019-20.

औद्योगिक संबंध संहिता

1204 बजे

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाऊ करूँगा, लेकिन जब इस पर डिबेट हो, तो आप अपनी पूरी बात रखें। अभी आप एक-एक मिनट बोल लें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the introduction of Industrial Relations Code, 2019. I am seeking some time because as per proviso no. 72 of Clause 1, it is stated that if the legislative competence of the Bill is opposed, then a full discussion may be permitted.

I am seeking a little bit of time because I am challenging the legislative competence of the Industrial Relations Code, 2019 on the following grounds:-

(i) The Industrial Relations Code, 2019 violates the Fundamental Rights guaranteed under Article 19 (c).

(ii) The mandate of registration of a Trade Union to become office bearers of the Union should be persons actually employed in the industry or establishment is against the standards stipulated in the ILO Convention of Freedom of Association and Protection of Rights to Oraganisation, that is, Convention no. 82.

(iii) The Code has not mentioned about the collective bargaining and it is against the principles contained in the ILO Convention no. 98.

(iv) Various provisions of the Code are against the judgements of the Supreme Court.

(v) Most of the provisions which are being made in the Industrial Code, 2019 are subjects which come within the purview of the Concurrent List.

Unfortunately, the concerned State Governments have not been consulted before arriving to the contents of the Code.

(1205/AK/PC)

Sixthly, it is violating Article 43 of the Constitution, namely, the Directive Principles of State Policy, which enshrines a right or guarantees a right to have living wages. All these things are there. So, I am opposing the introduction of the Industrial Relations Code Bill.

It violates the fundamental right under Article 19 (c), that is, the right to form an association, which is a fundamental right guaranteed under the Constitution of India. Here, the Code mandates it. I am the President of many Trade Unions, but as per this Bill, only the employees who are engaged in the establishment or industry is eligible to be the office bearer of that Trade Union. It means that the right to form an association is being infringed.

Sir, with supersonic speed, I will conclude my submission. The Code aims greater labour market flexibility. The Code is drafted just to satisfy the demands of the employer. Permission is required so as to get layoff / retrenchment from the appropriate Government. As per the new amendment in the Code, if there are 300 or more workers, then only prior permission is required.

माननीय अध्यक्ष: इस पर जब डिबेट हो, आप उसमें चर्चा करना।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am concluding. This means that 85 per cent of the industrial establishments will be out of the Industrial Relations Code.

As regards the ILO Conventions, we are a signatory and party to the ILO Convention. The mandates of all these Conventions are being negated by the Industrial Relations Code. The fundamental rights are being violated, Constitutional principles are violated, and ILO Conventions are being violated. So, I strongly oppose the introduction of the Bill. Thank you very much, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure for Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Industrial Relations Code, 2019.

माननीय अध्यक्ष: दादा, मैंने रूल-72 पढ़ लिया है।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): As I have mentioned earlier also, none of the workers came to the Government and asked to have an Industrial Relations Code. This has been the demand of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, and Confederation of Indian Industry. They want an Industrial Relations Code.

Sir, you will be surprised that the Trade Union Act, 1926 has been there for 90 years, and nobody has said that it should be replaced. The Industrial Disputes Act, 1947 has been there for 70 years. Suddenly, the Minister gets it into his head that he must compound all these into a single law. Nobody asked for it, but when he has done this single law, he has limited certain rights of the workers that were inherent. Mr. Premachandran mentioned some of them as to who can be the President of a Union, etc. We are Presidents of many Unions. We need not be workers. The workers choose us and that is why we are Presidents. But what is more dangerous in this Bill is that it prohibits strikes and lockouts. …(*Interruptions*) सर, एक सेकेंड दे दीजिए। …(व्यवधान) कम्प्लीट करने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: दादा, मैं एक सेकेंड नहीं दे सकता। आपने नियम-72 का हवाला देकर विरोध कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): जी सर।

माननीय अध्यक्ष: मैं नियम-72 पढ़ दूं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): हां सर, पढ़िए।

माननीय अध्यक्ष: इसमें लिखा है कि 'संक्षिप्त में इजाज़त दें'। मैंने आपको संक्षिप्त में बोलने के लिए इजाज़त दी है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, सेन्टेन्स को कम्प्लीट करने दीजिए। …(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि it prohibits strikes and lockouts. Prohibition of strikes takes away the fundamental rights of workmen. So, this is anti-labour.

I propose that instead of listing the Bill for discussion, let him refer it to the Standing Committee on Labour led by Shri Bhartruhari Mahtab. I am sure that they will form a pro-labour legislation. …(*Interruptions*) Thank you, Sir. …(*Interruptions*)

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, I support and associate with everything said by Prof. Sougata Ray. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am vehemently opposing the introduction of the Industrial Relations Code, 2019.

The entire legislative document is riddled with various anomalies fraught with controversies, and it is detrimental to the welfare of labour in our country. Here, the Government is going to introduce 'hire and fire' syndrome by inducting a new incarnation called 'fixed-term employment'.

(1210/KDS/UB)

Sir, this Government has not provided social security to labour. The Bill does not mention 'collective bargaining' which is the fundamental right of the workers. It is the instrument by which the workers can earn the bargaining power. It has been done away with by this legislation.

Secondly, the tribunals have unlimited powers and they are at best quasi-judicial bodies. So, it is simply anti-labour in its own definition. Clause 75 of this Bill is simply an eyewash. It is putting many exceptions for payment of compensation to workers in case of closure of factories.

Sir, these are the issues that need to be addressed before the introduction of the Bill. Therefore, I propose to the Ministry that it should better be sent to the Standing Committee for further perusal.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नोटिस में वह कारण दिया जाता है जो बिल पर डिबेट की चर्चा का कारण होता है। मैंने फिर भी आपको इजाजत दी। आप अगर कोई कारण देते कि यह विधेयक लेजिस्लेटिव कंपीटेंसी में नहीं आता है, तो यह बात होती।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, मैंने श्री अधीर रंजन जी को इजाजत दी है, फिर भी मैं श्री अधीर रंजन जी के सारे नोटिसेज को पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा है कि "The Bill is reducing the power of the trade unions and, hence, it is an anti-worker Bill."इन्होंने दूसरा विषय दिया है कि: "benefit of the industry". माननीय सदस्य, आप महान विद्वान हैं, लेकिन नोटिस देते समय जो आप नियम-72 बता रहे हैं, उसके अंतर्गत नोटिस दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया बोलें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं विपक्ष के सभी साथियों का सम्मान करता हूं, लेकिन रूल 72 में कहा गया है- when intro of a bill is apposed. इसमें लेजिस्लेटिव कंपीटेंसी है। अगर इस हाउस की नहीं है, तब इनको अपोज करना चाहिए। ये बिल के मेरिट पर गए, जो उचित नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम यही कहना चाहता हूं। …(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए। आप लोग 10 बजे से पहले नोटिस दे दिया करिए। माननीय सदस्यगण, ये सदस्य नोटिस देते हैं, इसलिए इनको इजाजत दे रहा हूं। आप बिल के समय विरोध में बोलिएगा। मैं आप लोगों को पर्याप्त मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप लोग यह क्या करते हैं? यह भारत की संसद है। इसकी गरिमा को बनाए रखें। मैंने आपको कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि इस बिल पर जितना समय मांगा गया, उससे दो घंटे ज्यादा समय दिया है। माननीय सदस्य, दिया है कि नहीं दिया है?

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब आप लोग बोलेंगे, तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

…(<u>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, आपके माध्यम से संक्षेप में बताना चाहूंगा …(व्यवधान) वर्ष 2002 में 44 श्रम कानून थे, उनको कम करने हेतु सेकेण्ड लेबर कमीशन ने सिफारिश की थी। उसके आधार पर वर्ष 2002 में यह तय हुआ कि …(व्यवधान)। देश में 4 या 5 श्रम कानून बनाए जाएं। दुर्भाग्यवश उस समय अटल जी की सरकार चली गई और 10 वर्ष तक जो सरकार रही, उसने इस विषय पर विचार नहीं किया। वर्ष 2014 में जब सरकार आई, तो लगा कि यह कानून आवश्यक है और 44 के स्थान पर 4 या 5 श्रम कानून बनाए जाएं। उसी के तहत पहला कानून संसद के दोनों सदनों, लोक सभा और राज्य सभा ने पास करने का काम किया, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां कोई भी श्रम कानून साधारण तरीके से प्रस्तुत नहीं होता है। इस पर लंबी चर्चा होती है।

(1215/MM/SNT)

सारे श्रम संगठन, सारे इम्प्लायर्स और सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही उसे सदन में लाया जाता है। आज इतनी चर्चा के बाद यह आपके बीच में आया है, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जो मजदूरों के हकों के खिलाफ हो। जब आप इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह चाहूंगा कि आप इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दें, जिससे कि हम इस पर लम्बी बहस कर सकें। आप जितनी चाहे उतनी बहस करें और जिस संदर्भ में आप निर्णय करेंगे, वह माना जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

विशेष उल्लेख

1216 बजे

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल। श्री दिनेश चन्द्र यादव।

…(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सहरसा जिला के सोनबरसा राज से सुपौल जिला के लिटयाही तक की सड़क, जो 98 किलोमीटर तक की है, उसकी हालत दयनीय है…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैंने प्रिवलेज मोशन का नोटिस दिया हुआ है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सीनियर मैम्बर हैं, क्या प्रिवलेज मोशन जीरो ऑवर में होता है?

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैंने नोटिस दिया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के बोलने के बाद उसकी व्यवस्था दे दूंगा।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सहरसा जिला के सोनबरसा राज से सुपौल जिला के लिटयाही तक की सड़क, जो 98 किलोमीटर तक की है, उसकी स्थिति खराब है और उस पर आवागमन की असुविधा रहती है। उस पर गाड़ियों का दबाव बना रहता है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि सोनबरसा राज एनएच-107 पर है और लिटयाही एनएच-327ई पर है। दोनों एनएच का सम्पर्क पथ सोनबरसा से लिटयाही होगा। वहां की समस्या को देखते हुए, गाड़ियों का दबाव देखते हुए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सोनबरसा राज से लिटयाही तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विशेषाधिकार का नोटिस मेरे विचाराधीन है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मुझे दो मिनट बोलने दें।

माननीय अध्यक्ष : इसमें बोलने नहीं देते हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I have given a notice for moving an Adjournment Motion regarding the rise in onion prices.

माननीय अध्यक्ष : आप जीरो ऑवर पर बोलिए।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the onion prices have tripled and even become four times what it was a few months ago and the budget of the middle-class family is soaring. They are not being able to afford to buy onions. It is a very bad situation across the entire country. In Tamil Nadu, Delhi, and Mumbai, the price of onions is over Rs.100 per kg.

Trade analysts suggest that the current hike in onion prices is attributed to illegal hoarding of onions, excess rain, and also because of the traditional methods used by the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. And because of this, most of the onions which they have actually stored

have decayed and got spoiled. In spite of the ban on exports, the prices are soaring.

I want to know what the Central Government is doing to control the price of onion. We have also asked for a Short Duration Discussion on this. I request you to consider it because it is a very important and burning issue in the country. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में चयन से विकास की असीम सम्भावनाओं को साकार करने जा रहा है।

(1220/SJN/GM)

उस क्षेत्र में पर्याप्त गहन चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण गंभीर बीमारियों के लिए चाहे खिलचीपुर, जीरापुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, पचौर, सारंगपुर, चाचौड़ा, कुंभराज, सुसनेर के लाखों निवासी दूर-दराज के शहरी क्षेत्रों में भटकते रहते हैं, जिससे दूरी, समय व आर्थिक बोझ के चलते जनहानि उठानी पड़ती है। आधारभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व विकास के बाद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने मेडिकल कालेज की कार्य योजना में राजगढ़ को सम्मिलित किया है। बहुसंख्यक किसानों के साथ लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से राजगढ़ में मेडिकल कालेज की शीघ्र स्वीकृति देकर उसको अनुगृहित करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल रमेश शेवले – उपस्थित नहीं।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच लोक सभा में बड़े उद्योग, बुलेट ट्रेन और कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट आकार ले रहे हैं। इन उद्योगों तथा सभी प्रोजेक्टों में किसानों की बहुत सारी जमीनें सस्ते दामों पर अधिगृहित की जा रही हैं, जिसका किसानों को अधिक मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। पूरे गुजरात में किसानों की जमीनों के अलग-अलग दाम तय किए जा रहे हैं, जो कि न्यायसंगत नहीं है। इसका दाम एक समान होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा अपनी विविध फसलों से प्राप्त आय तथा जमीन अधिग्रहण का जो भी मुआवजा किसानों के नाम पर बैंकों में जमा होता है, जिस वजह से आयकर विभाग किसानों को परेशान करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि पूरे गुजरात में किसानों की जमीन की कीमतें एक जैसी होनी चाहिए। सभी किसानों को उनकी जमीन की सही कीमतें तथा फसलों का मुआवजा भी मिलना चाहिए। स्थानीय उद्योगों जैसे प्रोजेक्टों में

स्थानीय लोगों को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए। किसानों को आयकर विभाग द्वारा जिस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है, वह बंद होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government of India to the Citizenship (Amendment) Bill that is going to be placed in this winter session. It is also reliably learnt that some safeguards are likely to be given to the north-eastern States. However, a few days back, it was brought out in media that an exemption from this citizenship law will be given only to those States where the inner line permit system is enforced. That means this law will not be applied in the States of Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram. Other north-eastern States like Manipur shall come under the purview of this new citizenship law. There is a lot of hue and cry in my State of Manipur. People are apprehensive of this new citizenship law. They believe that if this new law is enacted, there will be huge influx of migrants in the State. So, they vociferously demand for exemption from this law for the State of Manipur. Supporting the sentiments of my people, I would like to urge upon the Union Government, particularly the Ministry of Home Affairs, that an exemption clause or a safeguard clause may kindly be added for the State of Manipur in the proposed legislation.

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Hon. Speaker, Sir, recently in Kerala, malpractices have been unearthed in the Kerala Armed Police 4th Battalion constable recruitment test conducted by the Kerala Public Service Commission. Three students of the University College, Thiruvananthapuram, who are the office bearers of the Students Federation of India, that is the student wing of CPM, the ruling party in Kerala, have entered suspiciously into the rank list and secured first, second and 28th ranks.

(1225/GG/RSG)

The incident has badly affected the credibility of the Kerala Public Service Commission, a constitutional body, which is conducting recruitment tests to various posts in Kerala Government and public sector undertakings. Though the Kerala Government has ordered a probe into the matter and entrusted the Crime Branch to investigate the case, the real conspiracy has not been revealed so far.

We suspect that the Government is influencing the investigation team to save the real culprits. I therefore request the Government for a CBI inquiry. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप कौनसे ब्यूरो से जांच की मांग कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): CBI inquiry.

माननीय अध्यक्ष: सीबीआई पर आपका पूरा विश्वास है न?

…(व्यवधान)

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): We are demanding a CBI inquiry. We have no faith in the Kerala police. …(*Interruptions*) We want a CBI inquiry into this. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री एम. के. राघवन, श्री टी. एन. प्रथापन, श्री के. सुधाकरन, श्री थोमस चाजिकाडन, श्री कोडिकुन्निल सुरेश एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्य आज तेजी से प्रगति पर है और इस एक्सप्रेस वे से मेरठ और दिल्ली के बीच की यात्रा निश्चित रूप से बेहद सुगम हो जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के तहत डासना से हापुड़ के मध्य 22 किलोमीटर लंबे मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। तथा यूपी गेट से डासना से मध्य का कार्य भी प्रगति पर है, जो संभवत: मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, हापुड़ से डासना तक के इस 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पिलखुवा के तुरंत पश्चात एनएचएआई द्वारा टोल ब्रिज स्थापित किया गया है, जिस पर कार इत्यादि से 125 रुपये का टोल वसूला जाता है। डासना से यूपी गेट तक का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण यात्रियों को केवल 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 125 रुपये देने पड़ते हैं, जो बहुत अधिक हैं। परिणामस्वरूप जनता में भारी असंतोष पैदा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के तहत डासना से यूपी गेट का कार्य पूरा होने तक हापुड़ से डासना जाने वाले यात्रियों से उचित टोल वसूल किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि यात्री स्वयं को ठगा हुआ अनुभव न करें।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटिड की 169 शाखाएं थीं, जिसमें से 126 शाखाएं बंद हो चुकी हैं तथा 63 शाखाएं ही अभी कार्यरत हैं। जबकि नांदेड़ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ऐसे में जिला मध्यवर्ती बैंक की 126 शाखाएं बंद होने के कारण जिले के किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों को बैंकिंग व्यवहार करने में भारी असुविधा हो रही है। साथ ही जन-धन खाताधारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि नांदेड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की लगभग 25 से 30 शाखाएं नई खोली जाएं।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): महोदय, असम में हिन्दुस्तान पेपर कॉपोरेशन के अण्डर दो पेपर मिल्स हैं, एक पाचग्राम पेपर मिल और एक जागीरोड पेपर मिल। दोनों को मिल मिला कर करीब पांच हजार लोग वहां पर नौकरियों में थे, जिसमें वर्कर्स और ऑफीसर्स को ले कर और कुल मिला कर करीब 25 हजार से ऊपर लोग उस पर निर्भर हैं। महोदय, यह मिल करीब तीन साल से बंद पड़ी हुई है। लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले यह मैटर अभी एनसीएलटी में गया हुआ है। लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से हमने अखबारों के माध्यम से देखा है कि करीब 53 आत्महत्याएं हुई हैं। लोग वहां पर जिस हालत में हैं, स्कूल की फीस दे नहीं पा रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट में जो पैसा लगता है, वह भी वे नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण The head of the family is committing suicide. आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है, पिछले मंत्री बोले थे, जब असम की हमारी टीम उनके पास मिलने गई थी कि एनसीएलटी जाने से पहले हम दोनों मिलों की विजिट करेंगे। मिल तो विजिट करने नहीं गए, लेकिन वे हमारी सरकार से ही चले गए। आपके माध्यम से अभी के हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर और पीएएमओ से निवेदन है कि आज की जो सिचुएशन है, उसका संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी, कम से कम दो साल की सैलरी उन लोगों की रिलीज़ करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डॉ. राजदीप राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर जो गोरखधंधा देश में चल रहा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, देश में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों के अंदर, नए-नए डॉक्टर्स आ गए, बिना लाइसेंसधारी आ गए, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, वे खुद ही वहां पर इस काम को चालू कर देते हैं। इसके कारण से ऐसी कई मौतें भी देश के अंदर हुई हैं।

(1230/KN/RK)

मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। इस संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे उस परिवार के साथ मिला था। मुम्बई के अंदर 7 मार्च, 2019 को मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के प्रवासी श्रवण चौधरी नामक व्यक्ति की, मुम्बई में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर गोरखधंधा चला रहे डरमाडेंट अस्पताल के डाक्टर विकास हलवाई ने लापरवाही से एक साथ 9,250 हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए। इसमें एक सिटिंग में तीन से चार हजार से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होते। लेकिन 9,250 हेयर लगाए और 18 घंटे...(व्यवधान) एक मिनट सर। मैं इतना बड़ा गम्भीर मामला बहुत टाइम से लगा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप माँग कर दीजिए।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): इसको 18 घंटे की सिटिंग दी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह तो जाँच वाले कर लेंगे। आपकी माँग क्या है, यह बताइये।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): इनकी मौत हो गई। एडीआर दर्ज हुई है, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। साकीनाका थाना है, 09 मार्च, 2019 की घटना है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनका परिवार सदमे में है। मुम्बई के अंदर उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन

मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैम्बर में उस परिवार के साथ मिला था। अध्यक्ष महोदय, मेरी यही माँग है कि डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वह भी आ गई। उसमें उस डॉक्टर के खिलाफ भी राय नहीं दी गई और पक्ष में भी राय नहीं दी गई। यह भी नहीं कहा गया...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आधा मिनट दे दीजिए। बहुत बड़ा गम्भीर मामला है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूँगा कि स्क्रीन में एक मिनट होते ही अपनी बात को समाप्त कर दें।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सर, डिमांड सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, बताइये।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सर, डिमांड यह है कि इस मामले का मुकदमा दर्ज हो जाए और मुकदमे की जाँच सीबीआई को ट्रांसफर हो। सीबीआई को ट्रांसफर करके इस परिवार को न्याय मिले और वह डॉक्टर सलाखों के पीछे जाए, जेल जाए। इस मामले के अंदर यह मेरी डिमांड है। देश के अंदर ऐसा गोरखधंधा करने वाले डॉक्टरों पर रोक लगे। इसकी जाँच हो।

माननीय अध्यक्ष : लोगों का सीबीआई पर बहुत विश्वास है।

[*]SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important issue in Zero Hour. Sir, Utkal (erstwhile Odisha) was well-known for its maritime trade in ancient times. We used to have trade links with Java, Sumatra, Bali etc. To commemorate this rich tradition of trade & business, a festival called 'Balijatra' is celebrated in Odisha with great fervour. It's a nine-day fair of fun & frolic, that symbolizes our cultural heritage. Despite being very popular, it is yet to be recognized as a National Fair. Our Prime Minister promotes goodwill & harmony by extensively travelling to different parts of the world. Through you I demand that 'Balijatra' should be declared as a National Festival by the Central Government.

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में औरैया जनपद में दिबियापुर पाता में गैस का प्लांट लगा हुआ है। लगभग 20-25 साल पहले गेल और एनटीपीसी के प्लांट के लिए लगभग 800-900 एकड़ जमीन किसानों से ली गई और आश्वासन दिया गया था कि उस क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही साथ वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन जिन किसानों से जमीन ली गई, उनके बहुत सारे बच्चों को अभी भी नौकरी नहीं मिली है।

इसी के साथ-साथ वहां प्लास्टिक का दाना और बहुत सारा जो ढुलाई का काम होता है, बड़े-बड़े ट्रक उस क्षेत्र में जाते हैं, जिसके कारण उसके पास की जो सड़कें हैं, वह सड़कें हमेशा टूटी रहती हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो आय है, उसमें सीएसआर के अंतर्गत वहां डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च करना चाहिए, वह खर्च नहीं हो रहा है। वहाँ इंडस्ट्रीज के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ

[*] Original in Odia

हो रही हैं, पानी खराब हो रहा है, वहां की हवा खराब हो रही है। उसके डेवलपमेंट के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि कि सीएसआर के अंतर्गत क्षेत्र का विकास किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. रामशंकर कठेरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1235/CS/PS)

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरा सागर लोक सभा क्षेत्र है। सागर लोक सभा क्षेत्र में ट्रेनों की बेहद कमी है। मैं आपका ध्यान शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह ट्रेन भोपाल से दिल्ली आती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ट्रेन भोपाल से चलकर ललितपुर में पहला स्टॉपेज लेती है। इस ट्रेन के इसके बाद के जो स्टॉपेज हैं, वे लगातार 40 से 50 किलोमीटर की दूरी के बीच हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यदि इस ट्रेन का स्टॉपेज भोपाल से चलकर 'बीना' में कर दिया जाए, तो इससे हमारे लोक सभा क्षेत्र के यात्रियों को आने-जाने में बहुत सुविधा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह को श्री राजबहादुर सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर में बाढ़ एवं कटान की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र का कुछ भाग गंगा और फुल्हर नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण नदी तट पर बसे हुए तमाम गाँव एवं कृषि योग्य भूमि नदी में समाते जा रहे हैं।

इसके कारण हजारों की संख्या में प्रति वर्ष बेघर होकर लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि कटान में चले जाने की वजह से लोगों के सामने बेरोजगारी एवं भुखमरी की स्थिति बनी हुई है।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगा और फुल्हर नदी के बाढ़ एवं कटान की रोकथाम के लिए स्थायी कार्य योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए तथा अभी तक जो लोग कटान से प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं, उनके पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटान के कारण उनको हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for allowing me to raise an important issue in Zero Hour that has been pending for many years.

There has been a long-standing request by over 50,000 employees of the Technopark, the Vikram Sarabhai Space Centre and other establishments in the vicinity of Kazhakoottam in my constituency, to the Ministry of Railways for much-needed train halts at the Kazhakoottam Railway Station. I myself have forwarded such requests, at least a dozen times. Most of them come from other districts. They wish to get down at Kazhakoottam Railway Station, which is only half a kilometre away from their places of work. But since there are a very few trains halting there, employees have to get down 17 kilometres away at Thampanoor Railway Station or sometimes 12 kilometres away at Pettah Railway Station.

The unfortunate commuters have to take private buses and pay high bus fares which causes a significant damage to their finances and also more important, loses precious time in their work.

I request the hon. Minister of Railways to take into account the needs, demands and the inconveniences suffered by thousands of commuters and consider the memorandum, submitted by them and me, to the railway authorities to provide requisite train stoppages at Kazhakoottam Railway Station.

The Technopark is the future of Trivandrum and is the future of India and yet, we cannot facilitate our technical workers getting there. It is a crying shame. The hon. Minister of Railways must take an effective action. Thank you, Sir.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, देश की विभिन्न नदियों में अवैध बालू के खनन से जल स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। हम खास तौर पर बिहार की सोन नदी में अवैध बालू के खनन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। सोन नदी के किनारे बसे हुए लगभग एक हजार गाँव हैं। गर्मी के दिनों में 5 महीने तक इन एक हजार गाँवों के लोगों को, कम से कम लाखों लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है। वे लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं।

(1240/RV/RU)

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को इससे अवगत कराना चाहते हैं। यह एक साल का मामला नहीं है हुजूर। इस तरह से गैर कानूनी ढंग से सोन नदी में बालू का अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण पाँच महीना लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आजादी के 70 सालों के बाद भी हम उन्हें शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं और यह हम लोगों की कमी के कारण है। अगर वहां बालू का खनन बंद हो जाता तो हम समझते हैं कि वहां पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल और पर्यावरण

को बचाने के लिए हुआ, वहीं सारे लोगों के सामने बालू का खनन हो रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। हम लोग दक्षिणी बिहार से आते हैं। वहां हर साल सूखे का सामना करना पड़ता है। आप हमें आसन की तरफ से कम से कम संरक्षण दीजिए। जब हम लोग वहां जाते हैं तो लोग हम से पानी माँगते हैं और कहते हैं कि आजादी के 70 साल हो गए, आप लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं और हम लोगों से बात करने आ रहे हैं।

महोदय, यह गम्भीर मामला है। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सोन नदी में होने वाले बालू के खनन को रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बालू का खनन और पीने का पानी राज्य से मिलेगा। बालू के खनन की इजाजत दिल्ली ने नहीं दी है।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, हम लोग इस सदन में आते हैं और हम लोगों से जब जनता इसके बारे में पूछती है तो हम तो यहां ही कहेंगे, कहां जाकर कहेंगे?

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak about the problems related to fishermen community.

I want to bring to the notice of this august House that my leader, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy, hon. Chief Minister of Andhra Pradesh had announced many paybacks to fishermen community in the State of Andhra Pradesh. These include enhancement of monitory benefits from Rs. 4000 to Rs. 10,000 during spawning season, increase in subsidy for diesel from Rs. 6 to Rs. 9, increase in claim for accidental deaths from Rs. 6 lakhs to Rs. 10 lakhs and pension to those persons above 50 years of age.

Sir, fishermen are spread around 30 villages in my parliamentary constituency of Vizianagaram including Ranasthalam and Bhogapuram, and villages under both Etcherla and Nellimarla Assembly Constituencies. Being coastal villages, salt from sea water sometimes seeps into the public drinking water lines. As a result, drinking water for public supply is totally unfit for drinking.

I would request the hon. Minister to look into this matter, consider this as a special case and sanction funds under Har Ghar Jal Scheme so that the people of my constituency would have basic drinking water. Thank you, Sir.

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज पहली बार जीरो आवर में बोलने का मौका मिला है।

महोदय, बिहार राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अनुमंडल गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में आता है। बीस सालों से वहां के गन्ना किसान नेपाल को अपना गन्ना

बेचते आ रहे थे। किसी कारणवश वर्ष 2018 से नेपाल सरकार ने उनसे गन्ना लेना बंद कर दिया है। हमारा जयनगर क्षेत्र बॉर्डर पर है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तीन महीने पहले उत्तरी बिहार में बाढ़ आई थी। इसमें खरीफ फसलों का नुकसान हो गया। वहां के सारे किसान गन्ना की खेती पर ही निर्भर हैं। वर्ष 2018 से नेपाल सरकार ने उनका गन्ना लेना बंद कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम नेपाल सरकार से कूटनीतिक वार्ता कर समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए। इससे माननीय प्रधान मंत्री जी का किसानों की आय को दोगुनी करने का जो संकल्प है, उसको भी बल मिलेगा। वहां सारे किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं।

महोदय, जब हम लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जैसा कि हमारे महाबली सिंह जी ने भी बताया है कि वे गन्ना लेकर हमारे ऊपर दौड़ते हैं कि उनके गन्ने की फसल सूख रही है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें।

जय किसान, जय हिन्दुस्तान।

माननीय अध्यक्ष: महाबली जी, आप भी इनके साथ एसोसिएट हो जाइए।

(1245/KKD/CP)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग - 139 है, जो बिहार की राजधानी पटना से शुरू होता है और झारखंड तक जाता है। इसमें सड़क की लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है। प्रत्यक्ष रूप से 3 राज्य इससे प्रभावित होते हैं। यह बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क है। इससे लाभान्वित होने वाले 2 और प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह पूरी सड़क घनी आबादी से गुजरती है। यह पूरा का पूरा इलाका पिछड़ा हुआ है और नक्सलवाद से भी प्रभावित है। मेरा औरंगाबाद जिला भी इस सड़क पर ही है। मेरा औरंगाबाद जिला प्रधान मंत्री जी के आकांक्षावान जिलों की सोच के तहत आता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर दो जिला मुख्यालय बिहार का अरवल और औरंगाबाद, कई अनुमंडल मुख्यालय जैसे नौबतपुर, पालीगंज, बिक्रम, दाउदनगर, अरवल, औरंगाबाद, झारखंड का छतरपुर हैं। इस सड़क को फोर लेने करने की मांग मैंने कई बार लोक सभा में रखी, लेकिन गलत समय पर गलत जगह सर्वे के कारण हमेशा यह कह दिया जाता है कि इसमें गाड़ियों का परिचालन कम है और मानक के अनुसार नहीं आता, जिससे यह 4 लेन नहीं हो सकता है। उस सर्वे को चैलेंज करते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस सड़क पर गाड़ियों का अत्यधिक परिचालन है। सवारी गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां वहां चलती हैं। यह पूरा इलाका उग्रवाद प्रभावित है। तीन राज्यों को जोड़ने वाली इस सड़क को 4 लेन किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, there is a serious concern over withdrawal of investors from Andhra Pradesh and its overall impact on the investments in India …(*Interruptions*)

Sir, on the one hand, the hon. Prime Minister is running from pillar to post to attract investments in the country with the sole objective to push the economy further and to provide employment opportunities to the youth. But on the other hand, due to illogical and irrational decisions by the new Government of Andhra Pradesh, such as unilateral cancellation of contracts, reviewing of PPAs and reverse tendering process of projects, investors are running away from Andhra Pradesh with few companies even threatening legal action against the State …(*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): What is this Sir? …(*Interruptions*) I think, he is also *… (Not recorded)* …(*Interruptions*) He is also owning a land in the Capital. We also demand an inquiry against *… (Not recorded)* …(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): These decisions are damaging the credibility of the State and the nation, while also changing the perception of risk in the international community …(*Interruptions*)

Sir, he is the floor leader of his party. …(*Interruptions*)

Sir, let me give some examples.

1. Lulu Group recently declared that it is withdrawing Rs. 2,200 crores investments, which could have provided employment to more than 7,000 people;
2. The Adani Group has reduced its land bank from 400 acres to 89 acres and withdrew its investments of Rs. 70,000 crore;
3. The BR Shetty Group withdrew RS. 12,000 crore investment;
4. KIA has moved 17 ancillary units worth Rs. 2,000 crore out of Andhra Pradesh.
5. Reliance has gone out of Tirupati and taken R. 15,000 crore of investments;
6. APP Paper company withdrew from investing Rs. 24,000 crore in Ongole;
7. The Singapore Government Consortium withdrew from the new Capital of Amaravati.

Sir, the list goes on. Hence, I request the hon. Prime Minister to immediately intervene and to protect the image and the credibility of India.

Thank you, Sir …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी जी, आप बोलिए।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, in Andhra Pradesh, the previous regime was the most corrupt regime. I will give an example. The National Council for Applied Economic Research, which is a Central Government Organisation said that Andhra Pradesh was the most corrupt under *… (Not recorded)* We have not said this …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नाम मत बोलिए।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Even *… (Not recorded)* has land in the capital area. *… (Not recorded)* has done many scams. We also demand that the hon. Prime Minister should order an inquiry into all these scams. It is a serious issue.

माननीय अध्यक्ष : नाम नहीं जाएगा। जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम नहीं जाएंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, it is a serious issue. We demand an inquiry into the scams in the Capital. Even the Prime Minister has told this. So, we want an inquiry into these scams.

(1250/NK/RCP)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. As everybody knows, JNU is one of the best universities in our country. Unfortunately, the Government is trying to kill this premier institution systematically. The recent hostel fee hike is the latest example. Students are protesting for the last three weeks and the academic activities have come to a standstill. The entire progressive sections of the country have declared their support to this strike. It is unfortunate that the hon. Union Minister Shri Giriraj Singh has ridiculed the organisations behind the protest. We have to remember that majority of the Members sitting in this Parliament have grown up through student politics. The police are stamping down the protests brutally. Even girl students are beaten up harshly on the streets.

HON. SPEAKER: Shri H. Vasanthakumar

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, let me complete; I will take only two minutes.

A blind student Sasi Bhushan, who is a writer and poet, has been admitted in hospital after the attack of the police. Even ABVP was protesting initially against the fee hike. But their march was treated friendly by the police. Curfew has been declared as if the Government is fighting terrorists. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, I would like to raise an import issue regarding the future of 4.5 crore shopkeepers. After the introduction of online business in India, small traders and shopkeepers have shut down their shutters. It is because the foreign companies have entered India and they are also doing their business in a room and are supplying all the goods to the consumers. But there are 4.5 crore shopkeepers in India. How can they live in India?

I wish to bring to your kind notice that the loss suffered by Walmart owned Flipkart in this fiscal year, that is 2019, is Rs.3,835 crore and that of Amazon in the same fiscal year amounts to Rs.6,000 crore, as announced by them. I wish to highlight that there is no income to the Government; there is no job security to the youngsters from this online business. Also, it is spoiling the youngsters by creating a feel and an awareness about the product. In this regard, a lot of complaints are being registered on a daily basis about quality, price, size, colour and design of the products. Sometimes, duplicate materials or other products or bricks are being sent online.

It will kill the local manufacturers and shopkeepers as they will not be able to compete with the agencies supplying the goods online. Sometime, suicides are being committed by the local shopkeepers.

I urge upon the Central Government to ban online business immediately to safeguard the interests of 4.5 crore small traders and shopkeepers who are on the verge of closure because of online business. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI NANDIGAM SURESH (BAPATLA): Thank you, Speaker, Sir. This is my maiden speech. I would like to speak in Telugu.

*Sir, I am Nandigam Suresh, representing Bapatla constituency in Andhra Pradesh. I am from a remote village Uddandarayuni palem, Thullur Mandalam of Guntur district. I don't know politics, nor do I have any experience in politics. I am not from a family with political background. We are from agro based village.

* Original in Telugu

I never contested even in panchayat elections, but our leader Shri Jaganmohan Reddy garu, chose a common man like me and sent me to the Parliament. When I was in trouble Shri Jaganmohan Reddy garu asked me how he can help me. To which I said 'Sir, become Chief Minister of this state and allow me to be your follower'. But he made me enter Parliament and sit in this House along with the Prime Minister of the country. This is the greatness of our leader Shri Jaganmohan Reddy garu. He is a role model to aspiring leaders. When we observe him closely, we can learn how to live our life. I thank Shri Jaganmohan Reddy for giving me this great opportunity.

Sir, our state Andhra Pradesh was promised special status by previous Government, but now that promise has been completely ignored. Sir, special status to Andhra Pradesh is the need of the hour, as unemployment problem is worsening day by day. Educated youth in Andhra Pradesh are running from one office to other office in search of employment. They are in deep trouble and seeking help from political leaders. Some of them sold their lands to get education. They lost their land for education and now they don't have any employment. They cannot go for menial jobs nor they can stay at home and as a result they are becoming burden to their parents. Special status can help in the development of Andhra Pradesh and will give good recognition to Central Government. Therefore, I request Union Government to accord special status to Andhra Pradesh and save Andhra Pradesh.

Till now, Shri Jaganmohan Reddy garu provided 4.5 lakh jobs to the youth of Andhra Pradesh. In this direction, if special status is given to Andhra Pradesh, it can help our state develop economically and address the problem of unemployment. Please give us special status and save us. Thank you, sir. (1255/SK/SMN)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ को श्री नंदीगम सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपनी कांस्टीटुएंसी फतेहगढ़ साहब में एमएसएमई इंडस्ट्री की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आज सुबह जवाब दे रहे थे कि 40 से 50 परसेंट एक्सपोर्ट एमएसएमई से है और ज्यादातर एम्पलाएमेंट एमएसएमई में है।

मेरे क्षेत्र में चार कलस्टर्स हैं, सबसे बड़ा कलस्टर मंडी गोबिंदगढ़ है, जहां स्टील रोलिंग मिल्स हैं। सरहंद में ट्रकों और बसों की बॉडी बनती हैं, मशीनों के पार्ट्स बनते हैं। खन्ना में कैटल फीड

फैक्ट्रियां हैं, सॉल्वेंट प्लांट हैं। सानेवाल लुधियाना का सब-अर्बन एरिया है, इसमें प्लाईवुड इंडस्ट्री, हौजरी, टैक्सटाइल्स, एपैरल और बहुत कुछ है। प्लाईवुड, एपैरल और टैक्सटाइल्स में सबसे बड़ी समस्या है कि चीन इतना माल बांग्लादेश और बर्मा के थ्रू डम्प कर रहा है कि तीनों-चारों इंडस्ट्री बैठने के कगार पर हैं। इनके बहुत से युनिट्स बंद हो रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि किसी तरह से इनकी मदद की जाए क्योंकि माल इतना सस्ता आ रहा है कि इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पा रही है।

अब टैक्स की बात आती है। एमएसएमई में सारा देश का ही सफर कर रहा है। तीन बातें टैक्स से संबंधित हैं और इसे सरकार के ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। स्टील रोलिंग मिल्स पर दो तरह की कस्टम ड्यूटी लगती है। पंजाब लैंड आयरन ओर के पास नहीं है, सारा स्क्रैप बाहर से आता है। इस पर दो तरह की कस्टम ड्यूटी है – 2.5 परसेंट और 5 परसेंट। रॉ मैटीरियल पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से बहुत समस्या हो रही है। मेरी मांग है कि इसे माफ करना चाहिए।

पहले सैंट्रल एक्साइज़ में 100 परसेंट छूट थी, अब जीएसटी में कोई छूट नहीं है। मेरा निवेदन है कि कम से कम सैंट्रल जीएसटी में 50 परसेंट वापस किया जाए। कारपोरेट टैक्स कम किए हैं, 30 से 22 परसेंट और नए युनिट के लिए 15 परसेंट किया है। इसमें प्रापराइटरी फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स छोड़ दी गई हैं। ये सब तो छोटे लोग हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो बहुत फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भिण्ड लोक सभा क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं। पिछली सरकार में चंबल एक्सप्रैस-वे को श्योपुर से मुरैना होते हुए भिण्ड के अटेर क्षेत्र तक विस्तार करना प्रस्तावित है जो बहुप्रतीक्षित मांग थी। इसका डीपीआर भी बन गया है। अब इस कार्य को गति मिलनी चाहिए थी, पंरतु कल मध्य प्रदेश के सभी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि चंबल एक्सप्रैस वे का 62 किलोमीटर भिण्ड का क्षेत्र डीपीआर से हटाकर नया डीपीआर तैयार किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

(1300/MK/MMN)

यह प्रोजेक्ट चंबल संभाग के तीन जिलों, शिवपुर, मुरैना, भिंड में प्रस्तावित है। क्रमश: मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि भिंड तक चम्बल एक्सप्रेसवे के विस्तार से जिला में पर्यटन विकास एवं रोजगार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आस-पास के क्षेत्रों का व्यावसायिक सम्पर्क बढ़ेगा। उक्त एक्सप्रेसवे का नामकरण भी चम्बल नदी पर हुआ है, जो भिंड के अंतिम छोर पर समाप्त होती है। मुझे लगता है कि भिंड जिला को नजरअंदाज करके सम्पूर्ण चम्बल संभाग का माननीय प्रधान मंत्री जी का विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। निर्माण कार्य हेतु शासकीय भूमि एवं वन विभाग की भूमि उपलब्ध है, जिससे भिंड तक एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति मिलेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि 20 लाख जनता की तरफ से मेरी मांग है, चम्बल एक्सप्रेसवे का पुराना डीपीआर लागू कराकर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक्सप्रेसवे का निमार्ण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। जनता क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है। चम्बल एक्सप्रेस की मिली हुई सौगात भी सरकार

वापस ले रही है। जनहित को दृष्टि में रखते हुए इस कार्य का निष्पादन जल्द से जल्द पुराने डीपीआर के माध्यम से पूरा कराया जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूंगी। महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा फुले और आई सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग बहुत सालों से इस सदन में और महाराष्ट्र में लोगों ने की है। 1 जनवरी 1848 को भारत का पहली महिलाओं का स्कूल पुणे, बुधवाड़ा में भिडे वाडा स्कूल शुरू किया गया था। अगर आज हम वहां की स्थिति को देखते हैं, जो महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल, जहां पर महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हुई थी, तो खंडहर में स्कूल है या स्कूल में खंडहर है यह समझ में नहीं आ रहा है। उस स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि मैं आपसे मांग करती हूं कि उस स्कूल की स्थिति को सुधारकर उसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने 1848 में की थी । हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अध्यक्ष जी, प्लीज दो मिनट। वर्ष 1842 में ब्रिटिश सरकार से उन्होंने ही सबसे पहली मांग की थी कि भारतवर्ष में सभी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। महाराष्ट्र की वह पहली महिला आई सावित्रीबाई फुले थीं, जिन्होंने 1873 में शादी में दहेज लेने और देने का विरोध किया था। मैं आपके माध्यम से विनती करती हूं कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल को श्रीमती नवनीत रवि राणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, इस महीने की शुरुआत में कश्मीर में भारी हिमपात हुआ। दो-ढाई फुट तक बर्फ जमा हो गई थी। इससे आम ट्रासंपोर्ट मुतासिर हुआ, बिजली की तकसीम मुतासिर हुई, वहीं जो जम्मू-कश्मीर के हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। शोपियां, नूराबाद, कुलगाम, गोपालपुरा, मटन, सोपोर, रफियाबाद, सारे इलाकों में जो बागात थे, उनको नुकसान पहुंचा। जम्मू-कश्मीर करीब 25 लाख टन मेवा पैदा करता है, जो इसकी बैकबोन है, वहां की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन तकलीफ की बात है कि आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया कि वहां पर एक हाई लेवल टीम भेजी जाए, जो वहां पर नुकसान का तखमिया लगाए और उसके बाद, नुकसान का तखमिया लगाने के बाद, जो वहां के काश्तकार हैं, जो वहां के बाग वाले हैं, उनको जो मुआवजा दिया जाना चाहिए, वह मुआवजा दिया जाए। मेरी यह मांग होगी कि वहां जो हिमपात हुआ है, उसे एक्सट्रीमली सीवियर कैलामिटी करार दिया जाए, जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों में ऐसे मौके पर किया जाता है, वरना यह दिखाता है कि जैसे बदले की या इंतकाम की कोई राजनीति चल रही है और इन मामलों में जम्मू-कश्मीर को नजरअंदाज किया जा रहा हो। बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: मेरे पास शून्यकाल के बहुत नोटिस हैं। अभी सभी को मौका देना मुमकिन नहीं है। आज शाम को बिल समाप्ति के बाद मेरा प्रयास होगा कि सभी माननीय सदस्यों को छ: बजे के बाद अवसर दूं। अब सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1304 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400/VR/RPS)

1403 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at
Three minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1403 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: High GST rate on marble

SHRIMATI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Rajasthan is one of the main producers of marble. Rajsamand is one of the most minerally rich areas in terms of marble concentration. Activities relating to mining contribute to a major part of the economy of the State. However, the consumption of marble is declining because of high GST rate on marble. Consumers today are not even ready to pay 5% of tax on marble, ultimately burdening the factory owners who bear the taxes in order to meet their target sales or shut their businesses. It will result in problems like unemployment, ruin of industry, etc. The Indian marble producers face tough competition from imported marble. Moreover, with the passing of time, the deposits are declining, resulting in substandard quality of stone production and costly labour. Therefore, Hon'ble Sir, I request the Hon'ble Minister to reduce the GST rate on marble. (ends)

Re: Status of sanctioned roads in Satna Parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से रामायण परिपथ के तहत अयोध्या से चित्रकूट, मैहर सड़क की अद्यतन स्थिति क्या है तथा अंतर्राज्यीय सड़क योजना के तहत सतना, सेमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, इलाहाबाद की स्वीकृत सड़क तथा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग कं0 75 नौगांव, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली सड़क की वस्तुस्थिति क्या है। इसके साथ-साथ दमोह, पवई से नागौद की क्या स्थिति है।

यह सभी सड़कें पिछले पंचवर्षीय में स्वीकृत की गई थीं लेकिन इन सभी सड़कों का डीपीआर तैयार हुआ है कि नहीं, कब तक इन सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किये जाने की योजना है।

(इति)

Re: Need to develop Son Beel Lake in Karimganj district, Assam as a tourist spot and allocate funds for the purpose

श्री कृपानाथ मल्लाह (करीमगंज): मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया! मेरे संसदीय क्षेत्र करीमगंज में विश्व प्रसिद्ध सोन बील झील, जो एशिया की सबसे बड़ी झील है और यह झील ज्यादा से ज्यादा 85 स्कवायर किलोमीटर तक फैली है और जब यह सिकुड़ती है तो इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस झील के आसपास लगभग 35 गांव और 8 हजार की आबादी है। सभी स्थानीय निवासी इस झील के मछली उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। इस झील में प्रवासियों पक्षियों का भी आवास है जो सर्दी के मौसम में देखने लायक होता है।

महोदय, इस विश्व प्रसिद्ध झील को संरक्षित और सुरक्षित रखने की अभी आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस झील की व्यापक पर्यटन संभावनायें और राजस्व के दृष्टिकोण से विकसित करने की आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन है कि इस झील के संवर्धन और विकास हेतु विशेष नीति बनाकर विशेष निधि आबंटित करने का कष्ट करें, जिससे स्थानीय निवासियों सहित राज्य सरकार को भी राजस्व मिल सके। (इति)

Re: Delay in construction of four lane roads in Jalgaon district, Maharashtra

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The projects related to construction of four lane roads in Jalgaon district, connecting nearby areas of Aurangabad, Dhule, and Solapur have remained incomplete for more than two years now. Presently, due to the pendency of work, roads have been dug up at numerous places. This has resulted in unsafe roads with inadequate space for movement of the daily traffic. It has become a menace in Jalgaon district. While there have been reports of accidents due to the road work, there is also immense wastage of time waiting in traffic. There have also been reports of a consequent dip in the number of tourists visiting nearby Ajanta Caves. Slow movement of traffic to and from Ajanta Caves has resulted in tourism potential of the area not being utilized fully. I thus urge the Government to take remedial steps in this regard.

(ends)

Re: Need to extend the benefit of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme to all the eligible farmers in Dindori parliamentary constituency, Maharashtra

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसान को जो 6 हजार रूपये दिये जाते हैं इससे किसानों को अपनी खेतीबाड़ी के कार्य में काफी सुविधा हो रही है। अपने खेतों में कृषि कार्य में जो सामान लगता है उसके लिए किसी महाजन के पास कर्जे के लिए नहीं जाना पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री जी के इस कार्य के लिए हमारे किसान काफी आभारी हैं किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में कई गरीब किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण में जाती हूँ तो कई गरीब किसान अपने दस्तावेजों के साथ मुझे बताते हैं कि इस योजना में पात्र होने के बाद भी इस योजना की धनराशि उन्हें नहीं मिल पा रही है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभार्थी की लिस्ट है उसमें इस बात की जांच की जाए कि कहीं पात्र लोग इस योजना से वंचित तो नहीं हैं। (इति)

Re: Establishing National Investment & Manufacturing Zones in Karnataka

DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): The Ministry of Commerce & Industry had given in principle approval in 2013 for the establishment of National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) at Kalaburagi, Bidar and Tumkur in Karnataka. The Government of Karnataka has undertaken a Techno-Economic Feasibility survey of the project for Kalaburagi and the survey conducted by ILFS has favourably recommended the same. The project at a cost of Rs. 25000 crores on an area of 12500 acres will go a long way in industrialisation of the region and generate employment opportunities to the youth of the region is aimed at removal of poverty of the region and also removal of regional imbalance as recommended by Dr. Nanjundappa Committee appointed by the State Govt. This will help the overall development of Hyderabad-Karnataka Region which has been accorded special status of 371J. Therefore, I would like to urge the Hon'ble Minister to provide budgetary allocation for the establishment of National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ). (ends)

Re: Need to resolve the problems faced by villagers in Sikar parliamentary constituency, Rajasthan due to registration of their village land as forest land in land records

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सीकर सहित राजस्थान के अनेक जिलों में गांवों के लोग 500 सालों से एक ही जगह बसे हुए हैं लेकिन पूर्व की प्रशासनिक खामियों के कारण वो गांव रिकॉर्ड में वन विभाग की भूमि में दर्ज कर दिये गये, जिससे ग्रामवासियों को कई वर्षों से सरकार की सुविधाओं से वंचित होने के साथ-साथ उनको वन विभाग द्वारा मानसिक परेशान होना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करवाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to provide employment to local people in cement factory in Dhar parliamentary constituency

श्री छतरसिंह दरबार (धार): मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र धार के अंतर्गत /सीमेंट का कारखान टोकी, मनावर में लगा हुआ है। धार जिला संवैधानिक रूप से एक आदिवसी अधिसूचित जिला है। यहां पर आदिवासियों की भूमि को अधिकृत करके उस पर उक्त कारखाना लगाया गया है। नियमानुसार स्थानीय व्यक्तियों को 90 प्रतिशत रोजगार दिया जाना आवश्यक है तथा जिन आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को भी उक्त सीमेंट प्लांट में स्थायी नौकरी दिया जाना आवश्यक है। किन्तु फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बाहरी व्यक्तियों को नौकरियां दी जा रही हैं। अपवाद स्वरूप स्थानीय लोगों को ठेकेदारों के माध्यम से काम दिया जा रहा है। जो कि नियमों के विपरीत है।

प्रदूषण मानकों का भी इस कारखाने के प्रबंधन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को कैंसर और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियां लग रही हैं। यूं तो प्रदूषण रोकने के लिए संयंत्र लगे हैं तथा वह उस परिसर को प्रदूषण मुक्त बताते हैं किन्तु मेरी जानकारी के मुताबिक यह दिखावा है।

इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह प्रदूषण मानकों की उच्च अभियंताओं से जांच कराएं तथा स्थानीय निवासियों को जमीन अधिग्रहण के बदले स्थायी नौकरी दिलाने का प्रबंध करें।

(इति)

Re: Need to introduce a short term pharmacy course for shopkeepers running retail medical stores

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते है कि हम बीमार हो जाये तो समुचित दवाएं, दवा की मात्रा एंव समय के अंतराल को ध्यान में रखना पड़ता है। इस कार्य में फार्मासिस्ट वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। डॉक्टर की अस्पष्ट लिखावट को समझना, रोगी को दवा के बारे में बताना, दवा का कैसे डोज लेना है और कितने समय के बाद लेना है इसकी जानकारी फार्मासिस्ट लोग रोगी को एवं रोगी के रिश्तेदार को देते है। इनकी संख्या बिहार में 25 हजार के लगभग है जो 24 घंटे एवं 7 दिन के आधार पर अपनी सेवा दे रहे है। फार्मासिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत जो खुदरा दवा विक्रेता अंग्रेजों के समय में बनाये गये वह Drugs Act 1940 and Drugs Rules 1945 से नियंत्रित है। मुझे जानकारी मिली है कि रजिस्टर्ड केमिस्टो को केमिस्ट की दुकान चलाने हेतु फार्मेसी शिक्षा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक कर दिया गया है। जिसके कारण फार्मासिस्ट की शिक्षा से वंचित लोग केमिस्ट की दुकान नही चला सकते है जबकि केमिस्ट दुकान का संचालन ड्रग लाईसेंस के आधार पर उनके परिवार द्वारा कई दशकों से किया जाता रहा है। मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को रजिस्टर्ड केमिस्ट दुकानदारों को या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मैट्रिक या उससे उपर की शिक्षा प्राप्त किये हों उन्हें अनुभव के आधार पर राज्य में फार्मेसी पढ़ाई के लिए चल रहे सरकारी एंव गैर सरकारी संस्थानों में एक Short term course कौशल विकास योजना या अन्य माध्यम से कराकर अपनी दुकान चलाने की अनुमती प्रदान की जानी चाहिए।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केमिस्ट की दुकान संचालित करने के लिए उन केमिस्ट खुदरा विक्रेताओं को कुछ वर्षों की छूट दी जानी चाहिए तथा उन्हें अनुभव के आधार पर एक Short term course कौशल विकास योजना या अन्य माध्यम से कराते हुये अपनी दुकान चलाने की अनुमती प्रदान की जाये। (इति)

Re: Setting up of a Kendriya Vidyalaya in Kheda parliamentary constituency, Gujarat

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): I want to bring to your kind notice that there is no Kendriya Vidyalaya School in my constituency i.e. Kheda, Gujarat till date. I have been continuously following up with the Ministry on this subject, but till date no positive action or response has been received. I am facing a lot of problems as I have no option but to recommend admissions in nearby constituencies having Kendriya Vidyalaya School. The needy and genuine people of my Constituency are not getting admissions and suffering. If the Ministry is facing any difficulty in Gujarat in getting land or having problem on any other issue, then please share the same with me so that I could also request the State Government to take remedial step to that effect. (ends)

Re: Need to set establish a Jawahar Navodaya Vidyalaya in Jalore parliamentary constituency, Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): जालोर जिला साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तथा जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 55.58 प्रतिशत के साथ राजस्थान में यह जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता में लैंगिक अंतर भी सबसे अधिक है। वर्तमान जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा जिला मुख्यालय से 75 कि.मी. दूरी पर है। एक और नवोदय विद्यालय जिला मुख्यालय के समीप स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है ताकि और अधिक संख्या में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। यह नया विद्यालय जालोर सायला आहोर एवं भीनमाल पंचायत समिति क्षेत्र के छात्रों के प्रवेश के लिए वर्तमान में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा रानीवाड़ा संचोर एवं चितलवाना पंचायत समिति के छात्रों के प्रवेश के लिए होगा।

(इति)

Re: Need to accord approval to the proposed new railway line in Khargone parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन (म0प्र0) जनजाति क्षेत्र है। दो जिले क्रमशः बड़वानी, खरगोन में देश की आजादी के 72 वर्षों बाद भी इस क्षेत्र में रेल को देखने और बैठने के लिए यहां के आदिवासियों के लिए आज भी सपना है। बडवानी व खंडवा आकांक्षी जिले हैं। यहां पर 2010 में खंडवा से वाया खरगोन वाया बडवानी घाट होती हुई नवीन रेल लाइन सर्वे होकर प्रस्तावित है। इस पिछड़े आकांक्षी जिले को विकसित करने से यहां के कृषक अपनी फसल बेच सकेंगे, जनजाति पलायन रोकने हेतु उद्योग धंधों को विकसित एवं सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा।

घाट में अल्ट्राइटेक सीमेंट की फैक्ट्री है एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़वानी में बावनगजा, खरगोन पापगीरी धाम एवं घाट में मोहनखेडा, बाग की गुफाएं आदि स्थानों पर पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी। कृपया इस प्रस्तावित रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृत करें। जिससे लाखों आदिवासियों का सपना साकार हो।

(इति)

Re: Online submission of application by farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो जिलों टोंक व सवाई माधोपुर में वित्त वर्ष 2017-18, 2018–19, 2019-20 में दोनों प्रकार की फसलों के लिए कितने किसानों द्वारा कुल कितनी फसल का बीमा करवाया गया। किसानों और सरकार के द्वारा कुल कितना प्रीमियम दिया गया और कितने किसानों को कितनी मुआवजा राशि दी गई?

इस योजना के तहत दो प्रकार के किसानों का बीमा किया जाता है- ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक। ऋणी कृषक का बीमा तो सहकारी समितियों के माध्यम से स्वतः ही हो जाता है परन्तु गैर ऋणी कृषकों का बीमा, बीमा हेतु नियुक्ति बीमा कम्पनियों के माध्यम से ही किया जाता है। गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा हेतु ऑन लाइन आवेदन करना होता है परन्तु ऑन लाइन आवेदन करने की अवधि बहुत कम होती है। परिणामस्वरूप अधिकांश कृषक इस योजना के तहत आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। अतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑन लाइन आवेदन करने की सूचना समाचार पत्रों में अग्रिम प्रकाशित करवा कर गैर ऋणी कृषकों को पर्याप्त समय दिया जाये।

(इति)

Re: Sugar mills in Salempur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर (उत्तर प्रदेश) देवरिया जनपद (उ0प्र0) के प्रतापपुर में स्थित बजाज ग्रुप की चीनी मिल को वहां के प्रबंधन द्वारा हमेशा के लिए बंद कर देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके चलते मिल कर्मचारियों, गन्ना किसानों और जनप्रतिनिधियों में व्यापक आकोश है। देवरिया जनपद की पांच चीनी मिलों में एक भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम बी0आई0सी0 द्वारा संचालित गौरीबाजार की चीनी मिल करीब दो दशक से बंद है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित भटनी, देवरिया तथा बैतालपुर की चीनी मिलें लगभग आठ साल से बंद पड़ी हैं। निजी क्षेत्र की प्रतापपुर चीनी मिल जिले की एकमात्र चालू चीनी मिल थी। ऐसी हालत में इसके बंद हो जाने पर इस जिले का गन्ना उद्योग चौपट हो जायेगा और गन्ना किसान तथा बेरोजगार किये जाने वाले चीनी मिल मजदूर बदहाली के शिकार हो जायेंगे क्योंकि गन्ना ही यहां के किसानों की एकमात्र नकदी फसल थी। मैं इस मान्य सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके गन्ना किसानों तथा मिल मजदूरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतापपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण कर चालू रखने के साथ ही बंद पड़ी चीनी मिलें भटनी, देवरिया, बैतालपुर का आधुनिकीकरण करवा कर उन्हें पुनः चालू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। (इति)

Re: Provident Fund of tea garden workers in West Bengal

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं चाय बागान के मजदूरों के पी.एफ. संबंधी ज्वलंत मुद्दे को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जिसका सीध संपर्क हमारे चाय बागान में रहने वाले हर उन मजदूरों से हैं जिनके हक की कमाई को मजदूरों से दूर रखा जा रहा है उनमें से कुछ मुख्य बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ।

1. आधारकार्ड पर उनका नाम सही होने के कारण बहुसंख्यक मजदूर अपनी जीवन की जमा पूंजी पी.एफ. के पैसों को निकाल ही नहीं पाते।
2. विगत कुछ वर्षों से पी.एफ. डिपार्टमेंट मजदूरों के पैसों को उनके अकाउंट में जमा करने का काम ही नहीं कर रही है।
3. चाय बागान के मालिकों द्वारा आज भी 100 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा बकाया पी.एफ. डिपार्टमेंट को जमा न देना भी एक प्रमुख कारण है।

उक्त अनियमितताओं की संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ही नहीं की जाती है। जिसकी वजह से हजारों मजदूर अपने रिटायरमेंट के पश्चात अपनी जिन्दगी के अंतिम समय तक भी अपने पी.एफ. को निकाल ही नहीं पाते हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, आपसे सादर निवेदन है कि उक्त विषयों की जानकारी लेकर आने वाले समय में चाय मजदूरों के हित में एक मजबूत कानून बनाकर जल्द से जल्द इनके हितों की रक्षा की जाय जिससे कि चाय बागान मजदूर अपने पी.एफ. को आसानी से निकाल सकें एवं अपने परिवार की जरूरतों एवं सपनों को पूरा कर सके।

(इति)

Re: Need to establish a Division Office of Central Ground Water Board (CRGB) in Ajmer and also upgrade Division Office, CRGB Jodhpur as Regional Office

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मान्यवर, हमारे देश में राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है एवं इसका अधिकांशतः भाग रेगिस्तानी है। इसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य में पानी की विकट समस्या है। विगत कई वर्षों से बारिश की भी कमी रही है। वर्तमान में प्रदेश में इन्दिरा गांधी नहर ही पानी का एकमात्र विकल्प है। प्रदेश में जमीनी पानी के सर्वे एवं अनुसंधान का कार्य केन्द्रीय भूमि जलबोर्ड करता है। जिसका एकमात्र डिविजन कार्यालय जोधपुर में एवं रिजनल कार्यालय जयपुर में है। सर्वे एवं अनुसंधान का कार्य रीजनल कार्यालय जयपुर एवं पानी की बोरवेल/ट्यूबवैल स्थापना का कार्य डिविजन कार्यालय जोधपुर द्वारा संपादित किया जाता है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में स्थित अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर, टोंक के साथ-साथ पूर्वी उत्तरी राजस्थान में स्थित सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर आदि जिलों में भू-जल अनुसंधान कार्य करने के लिए सरकारी मशीनरी का जोधपुर से आने-जाने में बहुत दूरी पड़ती है जिसके कारण सरकार का समय एवं धन का खर्च भी ज्यादा होता है। यदि पूर्वी राजस्थान में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का एक नवीन डिविजन कार्यालय अजमेर में खोल दिया जाता है तो सरकार को करोड़ों रूपये की बचत होगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में भी 02 डिविजन कार्यालय बरेली एवं बनारस में कार्यरत हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि आगामी चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की विभागीय कार्ययोजनाओं के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का एक नवीन डिविजन कार्यालय अजमेर में खोलने की सक्षम स्वीकृति हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही करावें। साथ ही वर्तमान में 40 वर्षों से कार्यरत डिविजन कार्यालय जोधपुर को क्षेत्रीय कार्यालय में कमौन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान करावें ताकि वर्तमान में प्रदेश के जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, बीकानेर, हनुमानगढ़, राजसमन्द आदि जिलों में भू जल सर्वे का कार्य जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय बनने पर वहां से ही सम्पादित हो सकेंगे जिससे भी सरकार मशीनरी के अनावश्यक धन एवं समय की बचत होगी।

(इति)

Re: Setting up of a Regional office of coconut Board in Karnataka

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Coconut is a very important crop in Karnataka. In Karnataka, 518,390 hectares of areas are under coconut plantation which is 27.72% of the total area of production in the country and is 26.36% of total production in the country. The coconut farmers are not getting any help from the Coconut Board or Union Government for improving the production. Coconut farmers are in distress as there is large-scale destruction of coconut palms due to moisture stress and pest attacks. Moisture stress in soil has resulted in low productivity. Black Headed Caterpillar and Leaf Blight infestation are also causing major losses to the coconut farmers. The coconut production in Karnataka requires technical and financial assistance from the Union Government as the state is No. 2 in production. Therefore, I urge upon the Union Government to establish a Regional Office of Coconut Board in Karnataka to help the Coconut farmers in the state. (ends)

Re: Water problem in Thiruvannamalai parliamentary constituency of Tamil Nadu

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The people of Tiruvannmalai constituency of Tamil Nadu have been facing severe water shortage. Wells, Bore Wells and other water-bodies in that area are almost dried-up. The water level of Sathanur Dam on river Pennaiyar, which is the main source of drinking water for Tiruvannmalai, Kilpennathur, Chengam and Kalasapakkam areas, has gone down considerably. Desilting of the Sathanur Dam is required to increase its capacity. Furthermore, the Pennaiyar Combine Water Scheme and Mettur Combine Water Scheme could meet demands of only twenty percent of water need of that area. Tiruvannmalai constituency is essentially a rain deficit area. Since people of the area are having hardship due to current water shortage, attention of the Government is drawn to the water crisis in Tiruvunnamalai. The government has to make priority arrangement to provide water for drinking and irrigation purposes. As the Government is committed to ensure water security to every individual in the country, I urge Hon'ble Minister of Jal Shakti to provide piped water supply to every household in Tiruvannamalai under *Nal se Jal* scheme on priority basis. For that purpose availability of water at source may be secured by desilting of Sathanur Dam and also by linking Krishnagiri Dam Canal with Chettary Dam Canal by digging a stretch of one kilometre area which will benefit Tripattur and Jolarpettai areas to a great extent.

(ends)

Re: Uttarandhra Sujala Sravanthi irrigation project of Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Uttarandhra Sujala Sravanthi is a major irrigation system of Uttarandhra covering three major districts namely Visakhapatnam, Vizianagaram, and Sreekakulam. The State Government had given administrative sanction for Rs.7,214/- crores. However, now the project cost has increased to almost Rs.16,586/- crores.

My request to Hon'ble Jal Shakti Minister is that as Andhra Pradesh is in financial crisis, please allot central funds to complete the project as it fulfills the irrigation as well as water supply demands of three major districts of North Andhra Pradesh. (ends)

Re: Need to desilt Inderpuri Barrage on river Sone in Bihar

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदय, बिहार के सोन नदी में इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1965 में हुआ था इस बराज के बनने से दक्षिण बिहार के 8 जिलों में लाखों एकड़ की भूमि की सिंचाई होती है लेकिन सोन नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आने से पूरे बराज में पहाड़ी मिट्टी और गाद के भर जाने से बराज की भंडारण क्षमता खत्म हो गई जिसके चलते इन जिलों के लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के अभाव में हर साल सूखे का सामना करना पड़ता है। 54 सालों में बराज की सफाई नहीं हो पाई है। अतः सदन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्द्रपुरी बराज में जमी हुई मिट्टी और गाद की सफाई अति शीघ्र कराई जाए ताकि इन 8 जिलों के किसानों की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके।

(इति)

Re: Construction of dam on river Damodar at Kestorampur in West Bengal

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): I want to draw the kind attention of the Minister of Jal Shakti through you, towards construction of a small dam on river Damodar at Kestorampur under Jotsiram Aanchal in Jamalpur Block and by the side of Raina Block for improvement of irrigation in the surrounding areas. If a small dam is constructed on river Damodar at Kestorampur under Jotsiram Aanchal in Jamalpur Block, then the water level of the flowing river would increase and carried to the paddy fields by making a small canal. The cultivators get the scope of irrigation and the production of crops would increase and the Government would also get the tax for irrigation. In this connection, I have submitted several times but no corrective step has been taken so far. I, therefore, request the Minister of Jal Shakti to take immediate and necessary steps in this regard.

(ends)

Re: Need to constitute a Committee to execute projects under Tiruppur Smart City Scheme in Tamil Nadu

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): The Central Government had announced Tiruppur Corporation, Tamil Nadu under the ambitious smart city scheme. Thereafter, some projects under the scheme have been taken up and activities have begun. But the identification of the schemes and the manner in which they are being carried out are highly questionable. The Commissioner of the Tiruppur Corporation is the Managing Director of the Smart City Scheme. I firmly believe that the projects undertaken can hardly be concurred with the spirit of the scheme. Tiruppur city is a hub of hosiery industry and the largest earner of foreign exchange to the Central Exchequer. By virtue of its integration with the global trade, Tiruppur swells with both domestic and international buyers. For ferrying of goods and mobility of the people from every nook and corner of the sprawling city requires a good infrastructure. But the schemes chosen in Tiruppur defeat the very purpose of the Smart City scheme. The opaqueness of the process has raised very strong suspicion among the people. There is also a widespread public opinion that no concrete activity has so far been launched.

I, as the Member of Parliament representing the Tiruppur constituency, am accountable to the people and shall never be disloyal to my people. Therefore, I urge upon the government to positively consider the following:

-To constitute an exclusive committee, the MP representing Tiruppur constituency as its Chairman, to plan and execute the Smart City projects. This Committee shall be empowered to call for the tenders, scrutinize, finalize and execute the projects; and,

-to constitute a commission to look into the developments so far such as the projects planned, tenders, called for, expenditure incurred so far and the administrative officials involved in carrying out the tasks. The Commission shall inspect, investigate and present and authoritative note of all the details including the project cost incurred so far.

(ends)

Re: Need to start an additional batch in Kendriya Vidyalaya, Kollam in Kerala from the next academic year

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Kendriya Vidyalaya at Kollam is the only Kendriya Vidyalaya in Kollam District. The present system is not able to meet the admission requirement. Hundreds of eligible students belonging to the priority category are not able to get admission in Kendriya Vidyalaya Kollam. Infrastructure facilities are available to start second batch in Kendriya Vidyalaya, Kollam. Government spend huge amount for providing infrastructure facilities such as building, furniture, Laboratory etc. But the same is not being utilized fully. The request to start an additional batch in Kendriya Vidyalaya, Kollam is pending. Starting an additional batch from standard one to twelve is beneficial to both Kendriya Vidyalaya Sangathan, parents and students.

Hence, I urge upon the Government to initiate immediate action for starting additional batch from standard one to twelve in Kendriya Vidyalaya, Kollam during the academic year 2020-2021.

(ends)

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (RECOGNITION OF PROPERTY RIGHTS OF RESIDENTS IN UNAUTHORISED COLONIES) BILL

1404 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to move:

> "That the Bill to provide special provisions for the National Capital Territory of Delhi for recognising the property rights of resident in unauthorised colonies by securing the rights of ownership or transfer or mortgage in favour of the residents of such colonies who are possessing properties on the basis of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter or any other documents including documents evidencing payment of consideration and for the matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

(1405/RBN/RPS)

I want to provide a small background and perspective to the issue which is now brought before this House through this Bill. When we became an independent country in 1947 the population of Delhi was eight lakhs. After the turbulence, the violence and the bloodshed of the partition of India another eleven lakh people came and sought refuge in the city of Delhi. The 1950 census, which is the first census that we have, placed the population of Delhi at around 20 lakhs. In the next census, that is in the 2021 census, we are expecting it to increase exponentially. Anyone who has even a nodding acquaintance with the city of Delhi knows that population in Delhi or the National Capital Region will be in the vicinity of two crores, give or take a little. Why do people move to other places? Essentially people want to go to places where they can earn their livelihood. When my previous generation came and sought refuge in Delhi, they stayed in make-shift refugee camps. My father stayed in a refugee camp in Kingsway Camp.

Then, slowly the city has to provide the infrastructure. Clearly, we have failed those who come and inhabit the urban spaces. In fact, I would go to the extent of saying that prior to May, 2014 when Modi ji's Government was formed, we were somehow treating the urban space as part of a consideration, never fully comprehending the potential or the fact that it could be turned into a win-win situation. After Modi ji's Government came in, many of Prime Minister's flagship progammes were introduced in June 2015.

Let me give you one example. The Pradhan Mantri Awas Yojana was introduced by the Prime Minister because he wanted to implement his dream which was to give every Indian, no matter where he or she lives, a home which could be called his or her own, with a *pucca* structure, a toilet, a kitchen and the title of that tenement would have to be in the name of the lady of the house. It is because there was a feeling that whenever there was a marital discord it is the lady who got short-changed.

When my Ministry did a demand assessment in the year 2014-15 as to how many new structures would have to be constructed, we came to the conclusion that we would have to build something like one crore units under the Pradhan Mantri Awas Yojana for every Indian to be able to live in a home which he or she can call it his or her own. That was the Prime Minister's dream.

I am very happy to inform you that according to the latest figures I have of the Pradhan Mantri Awas Yojana, the demand assessment was one crore or ten million which was subsequently revised to one crore and twelve lakhs or 11.2 million. In the meeting of the Committee on Sanctioning and Monitoring of Projects which took place yesterday under the chairmanship of the Secretary in my Ministry, we have sanctioned another 370,000 homes and the total figure against the required one crore is something like 96 lakhs or 97 lakhs. So, three years before this scheme is to be completed in 2022, we are almost completing it.

It is a fact that many States in the country show uneven progress. The State from which I am elected, that is Uttar Pradesh, has done sterling work in the last two to three years, after March 2017. There more than 14,50,000 Pradhan Mantri Awas Yojana units have been given. I am only citing this as an example.

I want to come back to the specific issues of Delhi. Delhi today is not only the national Capital but also the highest provider of revenue. It makes the largest contribution to the GDP. People come to settle in Delhi to look for work from all regions of the country and from all walks of life. I gave the example of 1947 when people came, after the partition, to the newly independent India. Today we estimate that around 40 lakhs of Delhi citizens, that is 40 lakhs out of the two crore of population that we have, reside in what are called unauthorised colonies.

(1410/SM/IND)

I want to spend a minute or two explaining why this term 'unauthorised' is used. Sir, unauthorised colonies pose a problem for a variety of reasons. People living there do not have registered conveyance deeds and they cannot raise money from the banks because they are unauthorised. The local authorities, which have to provide the amenities, do not treat them on par with regular colonies which are part of the lay-out of the Master Plan etc.

Attempts have been made to deal with the problem of unauthorised colonies over the last many decades. I can cite that such attempts have been made in 1961, 1977, 2000, 2008 and so on. But I can tell you, Sir, that all these attempts have been half-hearted. They have never grappled with the problem in its enterity.

Today, we have a situation where 40 lakhs or more – the figure may be as high as 50 lakhs also – have been living in these so-called unauthorised colonies. Sir, in 2008, a notification dated 24th March, 2008 was gazetted. Based on that notification, some 1760 or so colonies were identified as falling in this category.

Sir, some attempts were made in 2008. But, again, these attempts were half-hearted. Then we came to the year 2011. There is a famous judgement of the Supreme Court in the case *Suraj Lamp and Industries vs. State of Haryana* on 11th October, 2008. I will secure the indulgence just to quote the operative part of that judgement. This is paragraph no. 16 of the judgement. It said: "We, therefore, reteirate that immovable property can be legally and lawlfully transferred, conveyed only by a registered deed of conveyance. Transanctions of the nature of GPA sales or SA/GPA /WILL transfers do not confer title and do not amount to transfer, nor can they be recognised a valid mode of transfer of

immovable property. The Court will not treat such transactions as completed or concluded transfers or as conveyances as they neither convey title nor create any interests in any immovbable property."

Sir, the fact of the matter is most of the property transactions in Delhi took place most of the time under general power of attorney and the kind of documentation that I am mentioning. With this Supreme Court judgement, persons who were in possession of property there or who moved into such colonies found it very difficult to acquire – what I call in a better term – legitimacy in terms of local laws.

It became clear when we passed some regulations in 2015. This is the last major medication to the regulation towards regularisation of unauthorised colonies notified on 1st January, 2015 under the Delhi Development Act. All these regulations that we had been passing and all the consideration of this matter made it abundantly clear that the Government of the National Capital Territory of Delhi would have to delineate these unauthorised colonies.

In other words, they would have to digitally map these colonies because you cannot proceed to the stage of conferring rights unless you know as to how many colonies there are. So, Sir, I will take you back to the year 2008. Today, we are in 2019. For 11 years, whichever Government has been in the National Capital Territory of Delhi – I do not want to say which Government was there till 2015 or which Government was there after 2015 – they made attempts but these were half-hearted attemtps.

We were in correspondence with the current Government which is in power in National Capital Territory of Delhi who gave affidavits before the learnerd High Court. When in correspondence with them, they told us that the company which has to be entrusted with the task of mapping these colonies digitally, that company has not even been awarded the work and they require another two years.

(1415/AK-ASA)

It became very clear that nothing would happen till 2021. This is the time that the Central Government -- and the Prime Minister, as part of his overall urban rejuvenation programme -- took a decision that we would in one-go, as a special one-time case, seek the legislative authority to confer ownership rights or what we call '*malikana haque*' in Hindi on the residents of these 1,797

colonies. As per the 2008 notification, we have excluded from these colonies those colonies, which clearly fall in another category. These are colonies where the affluent members of the society live. So, these have been excluded, and the current Bill seeks to address the problems of those who live in 1,731 colonies where there are disadvantaged people or the plot sizes are very small -- some of them are 25-30 square metres or even when they go up, they are not more than 100 square metres, etc. So, they vary.

What do we propose to do? Firstly, this exercise has two clear segments. The first segment is that the work, which should have been done in the last 11 years, that is, to digitally map these colonies needs to be completed. With great sense of humility and great sense of satisfaction I place, through you, before this House that the work, which could not be done in the last 11 years, we propose to complete it well before 31 December. The maps of all 1,731 colonies will be uploaded on the new portal, which has been created.

Now, I want to provide a few clarifications here. It is not that we are only physically getting the data from the Survey of India or any technical agency or satellite imagery. We are doing something more. We are putting up the boundaries of a colony, and you know that these colonies are spread and their boundaries are inter-mingling with the boundaries of another. We are trying to draw lines. We are uploading these digital maps onto the portal, and we are giving the Resident Welfare Association of those areas a time of 15 days to respond. It may so happen that when you place such a digital map and upload it, someone will come around and say that : “You are calling this a colony so and so, but this is my colony” and then we might have to readjust the digital maps. This is the first part of the process.

I am very happy to inform you that we have already got the maps of 600 or so, and even as we speak the work is going on. But within the next few weeks, the digital maps of all 1,731 colonies will be uploaded. After that comes a second and more important phase in it. Individuals who can show evidence that they are living in those tenements; those who have recourse; and who can produce either a general power of attorney, a will, an agreement to sell, payment or a possession document can then start applying on the second portal, which will be created very shortly. I think that the date for creation of that portal is 16th December. So, we have one portal for the uploading of all the digital maps ready,

and the second portal will be ready by 16th December. After that, all the people who have been deprived of conferment rights for the last 11 years or even earlier are free to come and apply for registration. In order to make it really easy, the terms for this conveyance has been made, if I may be permitted to say, 'extremely beneficial' to those who are living there. For small plots of less than 50 metres or 100 metres, we are charging only half-a-per cent of the Circle Rate. (1420/UB/RAJ)

If it is a private land or a government land, then it would be either half a percent or 0.25 per cent. If it is between 100 sq.m. and 250 sq.m, then it is one per cent and if it is beyond that, it is 2.5 per cent. As I said, half of it is in the other category. Sir, there are only two categories which have been excluded. If it is on a forest land or a proscribed category, or if it is an encroachment on a government land, this is something about 9 per cent of the total. All the others will be covered.

Sir, I might like to share with you that these 40 or 50 lakh people, whatever the figure is, live in unauthorised colonies spread over 175 sq.km or 43,000 acres of land. The colonies are very widespread. But we will now have the architecture and the ecosystem in place in one go to provide them ownership rights.....(*Interruptions*). These are my opening remarks and I will be happy to listen to our hon. Members after this.

I have seen some suggestions that we must get this done in three days. We can design an ecosystem whereby all the 1,731 colonies will be digitally uploaded on a portal which is already functioning. It already has some colonies, we are adding more to them by the day and we can design a very efficient system. It may so happen that when we start the online work on the second portal, we may come across some issues. A gentleman, my senior colleague, may have documents in his possession which show that he has a claim but properties are sometimes sold many times over, somebody else may show that as evidence – General Power of Attorney. My own assessment is that such cases are not more than 15 per cent or so. We should be able to confirm ownership rights to a large number of people who live in these colonies. The tentative conclusion I have been adopting is between 40 to 50 lakh people and I think this will mean 7 or 8 lakh people who will apply for the conferment of these rights.

Sir, I would like to confine myself with these introductory comments. I am very sure that the Bill in many respects, sui generis, is one of a kind because it seeks to provide a one-time exception in order to improve the living of our citizens in this capital city because if we were not to do this and allow this, many of these buildings where 40-50 lakh people live would remain unsafe. There are unhygienic conditions and civic amenities are not being provided to them. It is part of a large work that we are doing for the city of Delhi and urban spaces.

Very recently, we announced land pooling which will result in 70 lakh homes being built. We have added about 120-130 kms of metro. There are certain other steps that we have already taken and will take more steps. So, I recommend this Bill for consideration and approval.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide special provisions for the National Capital Territory of Delhi for recognising the property rights of resident in unauthorised colonies by securing the rights of ownership or transfer or mortgage in favour of the residents of such colonies who are possessing properties on the basis of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter or any other documents including documents evidencing payment of consideration and for the matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

1423 hours

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI): The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019, सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि page no. 2, para 1, notification no. SO 683A dated 24th March, 2008 of Delhi Development Authority. यह नोटिफिकेशन 24 मार्च, 2008 को दिया गया। This is the time to remember our beloved leader, Shrimati Sheila Dikshit ji for the growth of Delhi and development including roads, flyovers and metros, pollution control, better public transportation system as well as development of health and education systems. (1425/VB/SNT)

Being the Chief Minister of Delhi for 15 years, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए डेवलपमेंट किया। उनके द्वारा दिल्ली में रोड, मेट्रो, पॉलुशन कंट्रोल आदि से संबंधित काम करके जो दिल्ली का डेवलपमेंट किया गया, उसके लिए इस सदन को शीला दीक्षित जी को याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ।

इसमें पैराग्राफ-4 को देखें। I wanted to mention paragraph no. 4. I am supporting this Bill. I wanted to give certain suggestions to the Union Government. In paragraph no. 4, it is mentioned, "…or the sale consideration mentioned in the conveyance deed or authorisation slip, as the case may be, whichever is higher."

यहाँ पर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि लगभग 1797 अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज में nearabout 50 lakh people are going to benefit. इन कॉलोनियों में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग रहते हैं। यह सरकार इन कॉलोनियों में चार्जेज लगाने के लिए क्यों सोच रही है? अगर सरकार 'सबका साथ और सबका विकास' करना चाहती है, तो पूरे भारत के कोने-कोने में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, बिहार से बंगाल तक, कर्नाटक से केरल तक, आन्ध्र प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तक, देश के कोने-कोने के लोग दिल्ली में रहते हैं। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ्री कर देना चाहिए। कोई भी चार्ज करने के लिए मत सोचिए। And moreover, transparent. यानी करप्शन का कोई भी सोर्स नहीं रहना चाहिए। कुछ मोहल्लों में अन-एजुकेटेड या बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत होगी, इसलिए सरकार इसे करप्शन फ्री करने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने वाली है, इसके बारे में इस बिल में मेंशन नहीं है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्जेज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे लोग, गरीब लोग इन कॉलोनियों में रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकार का इस बारे में सोचना जरूरी है।

In the last paragraph, it is mentioned, "…unauthorized colony where no permission has been obtained for approval of layout plan."

जिन कॉलोनियों में बिना परमिशन के अन-ऑथराइज्ड रूप से गरीब लोग रहते हैं, वहाँ कोई सिस्टमैटिक रूप से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी उसके लिए जो बेसिक एमिनिटीज जरूरी हैं, उनके लिए कोई बजट ही नहीं होता है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इन कॉलोनियों में रोड्स, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल आदि की सुविधाओं के लिए क्या करेगी? यह देश की राजधानी है। इसे मॉडल मेट्रो सिटी बनाने की जरूरत है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड के रूप में एक पैकेज देना चाहिए। जैसे आप पूरे कॉलोनीज को डिजिटल कर रहे हैं, तो डिजिट्लाइजेशन में डेवलपमेंट के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स, कम्युनिटी हॉल, हेल्थ सेंटर, आम जनता की जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, इन कॉलोनियों के डेवलपमेंट के लिए भी एक स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड रखने की जरूरत है। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।

इस समय मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ तीन-चार महीने में दिल्ली में चुनाव होने वाला है। उसके पहले आप यह बिल सदन में लेकर आए हैं। इसी तरह से, जब आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव थे, तो आन्ध्र प्रदेश के लिए आपने स्पेशल कैटगरी और तेलंगाना के लिए स्पेशल इनसेंटिव्स की बात की, like Railway Coach Factory, Tribal University, IIM, and other things. लेकिन पाँच वर्ष बीत गये हैं, ये सभी आज तक नहीं बने हैं।

जब बिहार में इलेक्शन का समय आया था, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि दो लाख करोड़ रुपये बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में मिलेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद बिहार को कुछ नहीं दिया गया।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एश्योरेंसेज दिए गए और पाँच साल के बाद भी वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ।

(1430/PC/GM)

पांच साल के बाद भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा ही बिहार इलैक्शन में भी हुआ। इस बिल को भी मैं आंध्र प्रदेश और बिहार के पैकेज जैसा नहीं होने देना चाहता हूं। इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास' का मतलब है - the Government has to give special attention to it. The Urban Development Ministry should allocate certain budget for this. इसीलिए, मैं गवर्नमेंट को यह याद दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1,797 कॉलोनीज़ में से जैसे सैनिक फार्म्स, महेन्द्र एन्क्लेव, अनंतराम डेयरी और अन्य 66 कॉलोनीज़ को एक्सक्लूड किया।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई प्लान-बी, इन 66 कॉलोनीज़ के लिए कोई पैकेज बनाया जाएगा? ये जो कॉलोनीज़ हैं, इनका दिनांक 24 मार्च, 2008 के आपके नोटिफिकेशन के अनुसार रेग्युलराइज़ेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। According to that, आप इन लोगों के लिए कोई प्लान-बी बनाइए, क्योंकि अगर बाकी सारे काम हो गए और केवल यह काम रुक गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी।

मैं एयर पॉल्युशन के बारे में कहूंगा। इतने सारे स्लम्स, छोटी-छोटी झोपड़ियों के होने से ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी डेवलपमेंट न होने की वजह से एयर पॉल्युशन ज्यादा हो रहा है। एयर पॉल्युशन के बारे में हमने इस हाउस में पिछले हफ्ते बहुत बातें की हैं। एयर पॉल्युशन कंट्रोल करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सोचना जरूरी है। इस टाइम मैं सरकार से यह डिमांड करना चाहता हूं कि यह पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए। आपको इसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड देना है और इसमें स्टैंप ड्यूटी फ्री कर देनी है। आपको इन 1,797 कॉलोनीज़ और अन्य कॉलोनीज़ के कॉम्प्रेहेन्सिव डेवलपमेंट के लिए कॉमन एमिनिटीज़ विकसित करनी हैं। You should have some special development fund to develop all these colonies to create basic infrastructure for education, health, side drains, electricity, drinking water etc. आप लोग इसमें क्लेयरिटी दीजिए। मिनिस्टर साहब को इस हाउस को एश्योरेंस देना है। इस हाउस को आपको जो एश्योरेंसेज़ देने हैं, उन एश्योरेंसेज़ को इलैक्शन से पहले 100 परसेंट पूरा होना है। आपने डिजिटलाइज़ेशन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि वह दिल्ली इलैक्शन से पहले सब 1,797 कॉलोनीज़ में जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ हैं, उन सबको रेग्युलराइज़ कर दे। हमें उसका डॉक्यूमेंट चुनाव से पहले मिल जाए। अगर आप चुनाव के बाद यह काम करने के लिए गए तो यह दूसरा मुद्दा बन जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से चुनाव से पहले यह पूरा काम खत्म करने के लिए कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1433 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, दिल्ली में 40 लाख गरीब लोग 100 गज से कम के छोटे प्लॉटों में जीवन बसर कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से देश के प्रधान मंत्री जी का, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का और लोग यह कहेंगे कि मैं होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के लिए धन्यवाद क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये जो 40 लाख गरीब लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ से इस बिल को लाने के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। ये लोग 40 सालों से तड़प रहे थे कि हम दिल्ली में अपने मकानों में तो रहते हैं, लेकिन ये मकान हमारे हैं भी या नहीं हैं?

सर, दिल्ली देश की राजधानी है। सबको यहां रहने का अधिकार है। राजधानी में लोग अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छा जीवन-यापन करने के लिए गांवों से निकलकर अर्बनाइज़ शहरों की तरफ आए थे। उनको उम्मीद थी कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में जाएंगे तो सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और रोज़गार भी मिलेगा। इसके साथ-साथ यह देश का दुर्भाग्य रहा कि वे लोग ये भूल गए कि दिल्ली में शासन करने वाले कौन लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों ने यहां आना शुरू किया। दिल्ली में वर्ष 1957 में तत्कालीन सरकारों के माध्यम से डीडीए – दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया।

अभी रेड्डी जी लंबी-लंबी बातें बोल रहे थे, मैं इनकी सब बातों का जवाब दूंगा। अच्छा होता कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते, नेता-प्रतिपक्ष से लेकर सब लोग मौजूद रहते और दिल्ली की पीड़ा को समझते और वहां के लिए इस प्रकार के कुछ सुझाव देते। … (व्यवधान) सर, मैं आपको बताऊंगा, आप क्यों चिंता करते हो? … (व्यवधान) डीडीए ने भू-माफिया के रूप में काम करना शुरू किया और गांवों के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव में खरीदकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया। तत्कालीन सरकारों के माध्यम से वे जमीनें लुटनी शुरू हो गईं, उन चहेते राजदार लोगों के द्वारा, जो *… (Not recorded)* के लोगों के रूप में राज कर रहे थे।

सर, उन जमीनों का बंटवारा हो रहा था। किसान व्यथित था कि कौड़ी की भाव मेरी जमीन ले ली जाती है और बाद में उसका व्यापार किया जाता है।

(1435/KDS/RSG)

बाद में उसका व्यापार किया जाता है। किसानों ने भी अपनी जमीनें कोलोनाइजर्स को देनी शुरू कर दीं। अनियमित कॉलोनियों में लोग रहने लगे। डीडीए उन लोगों को मकान प्रोवाइड ही नहीं कर पाई। तत्कालीन सरकारें व्यवस्था ही नहीं कर पाईं। उनको यह अहसास ही नहीं हुआ कि देश के विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली में रोजी-रोटी के लिए आए हैं, अपने उच्च भविष्य के लिए आए हैं। उन सरकारों को उनकी चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन उन सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की। अगर वे चिंता करतीं, तो दिल्ली की 1071 कॉलोनियों से बढ़कर आज 2300 अनियमित कॉलोनियां, अनियमित नहीं कहीं जातीं।

महोदय, 1987 में डीडीए के बाद यहां पर यह स्थिति पैदा हो गई कि जब 1987 में दिल्ली में अनियमित कॉलोनियों के माध्यम से अव्यवस्था फैलने लगी, तो 1987 में बालाकृष्ण नाम से एक कमेटी का गठन हुआ कि दिल्ली की व्यवस्था कैसी बनाई जाए। अब तो दिल्ली राज्य की तरह हो गई है। लोग आ गए हैं, स्लम की तरह बनती जा रही है। बालाकृष्ण कमेटी के माध्यम से संघीय ढांचे के रूप में दुनिया के देशों के अंदर जो संघीय राजधानियां हैं, उनकी स्टडी बुद्धिमान लोगों ने की और वर्ष 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का संकल्प लिया। विदेशों में भी जो संघीय राजधानियां थीं, वहां पर भी लॉ एण्ड ऑर्डर और लैंड केन्द्र के पास थी, अत: उन बुद्धिमान लोगों ने तय किया कि लॉ एण्ड ऑर्डर और लैंड केंद्र के पास रहने चाहिए। केन्द्र के पास क्यों रहनी चाहिए? आपके माध्यम से मैं दिल्ली और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए एक …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हमेशा इस प्रकार की …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, तो वह सब ठीक कर देंगे।

महोदय, वह बुद्धिजीवी लोग समझते थे कि दिल्ली में इस प्रकार के एनार्की लोग भी कभी-कभी सत्ता में आ सकते हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर इसलिए है, क्योंकि यहां पर एंबेसीज हैं, यहां पर सभी राज्यों के भवन हैं। उनको सिक्योरिटी चाहिए। यहां पर एनडीएमसी के अंदर, वीआईपी एरिया के अंदर सारे वीआईपी लोग रहते हैं, इसीलिए उस कमेटी के माध्यम से वर्ष 1991 से केंद्र ने लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने पास रखा। अर्बनाइज लैंड अपने पास इसलिए रखी, क्योंकि उन बाहर के भवनों को अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जैसे लोग एनार्की करेंगे और धरने पर बैठेंगे, जो अभी कुछ दिन पहले बैठे भी थे। इस प्रकार से वर्ष 1991 में एनसीटी एक्ट बन गया, लेकिन 1993 में खुराना जी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो जनवरी, 1994 तक का एरियल सर्वे कराया गया। केंद्र में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। चूंकि लैंड का मामला केंद्र सरकार के अधीन था, इसलिए 1071 कॉलोनियों का सर्वे करने के बाद वह फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई कि 1071 कॉलोनियों को पास किया जाए। अधीर जी, मैं मानसिकता बता रहा हूं। अगर आप कांग्रेस की असलियत जान जाएंगे तो आप भी कांग्रेस को छोड़कर हमारे पास आ जाएंगे।

महोदय, तत्कालीन केंद्र सरकार ने फाइल को 10 साल तक दबाकर रखा। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार थी। अगर तब लैंड केंद्र के पास होने के साथ ही इन कॉलोनियों को अप्रूव कर दिया जाता, तो दिल्ली स्लम न बनती। अभी रेड्डी साहब मेट्रो के बारे में बोल रहे थे। रेड्डी साहब, वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे। उनके नेतृत्व में शास्त्री भवन, आनन्द विहार से लेकर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। शीला दीक्षित जी को मुख्य मंत्री बने हुए सात दिन भी नहीं हुए थे। मेट्रो को अगर दिल्ली में कोई लाया, तो वह तत्कालीन मुख्य मंत्री मदन लाल खुराना जी थे। प्याज के कारण वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस वाले श्रेय ले रहे हैं कि शीला जी मेट्रो लेकर आई थीं। ये आंकड़े हैं। आरटीआई से मंगवाकर इन कागजों को देखिए कि

दिल्ली में मेट्रो और आने वाले समय में दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, यह सपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का था। …(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I am on a point of order. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Under what rule?

… (*Interruptions*)

SHRI RAMESH BIDHURI (SOUTH DELHI): What do you mean by point of order? …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Quote the rule.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, my point of order is under rule 353, which says: "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate notice …" आपने एडवांस में नोटिस दिया है? मेट्रो के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में जो बोला है, वह फैक्चुअल नहीं है। इसे रिकॉर्ड से हटवाइए। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। …(*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। माननीय सदस्य कहें कि राजनीति और सदस्यता से त्याग कर देंगे, नहीं तो मैं कहता हूं कि अगर खुराना जी यह नहीं लाए तो मैं राजनीति से और मेम्बरशिप से रिजाइन कर दूंगा। आप हाउस को और देश को ऐसी बातें बोलकर क्यों गुमराह करते हैं? अटल जी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था। आप कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, what is your ruling?

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): आप रूलिंग बाद में करते रहिएगा। यह दिल्ली के 40 लाख लोगों के भविष्य का मामला है। ये लोग 40 साल तक …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करते रहे।

(1440/MM/RK)

सर, उसके बाद वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार बन गई। *… (Not recorded)* बनने के बाद वर्ष 2012-13 तक जो *… (Not recorded)* होती रही, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज यह जो कालोनी पास हुई है…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I will check the records. If there is any derogatory remark, it will definitely be expunged.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, speak on the subject.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): वह देश के महान सपूत और दुनिया और देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी का विजिन था। क्योंकि –

"जाके पैर ना फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।"

वह गरीब परिवार से निकलकर आए हैं और गरीब की पीड़ा को समझते थे …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Any derogatory remark made against any person will be expunged from the record.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, speak on the subject. Do not make comments on other persons.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, मैं सबजैक्ट पर बोल रहा हूं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling. Any derogatory remark made against any person will be expunged from the records.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, 1 जून, 2015 को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री आवास योजना की घोषणा की थी कि देश की आजादी के 75 साल वर्ष 2022 तक पूरे हो जाएंगे। देश के हर वर्ग, हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए। जब सबके पास अपना मकान होना चाहिए तो दिल्ली के 40 लाख गरीब लोग जो अनोथराइज्ड कालोनी में रह रहे हैं, वे अपने मकानों के मालिक क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए प्रधान मंत्री आवास योजना के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने …(व्यवधान)

1442 बजे

(इस समय श्री भगवंत मान आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seat. I will hear you. This is not proper.

… (*Interruptions*)

1442 बजे

(इस समय श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए।)

HON. CHAIRPERSON: Do not divert, please speak on the subject.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): दिल्ली में हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गरीबों की पीड़ा को देखते हुए यह निर्णय लिया कि दिल्ली की सभी कालोनियां पास होनी चाहिए। वर्ष 1998 में शीला जी मुख्य मंत्री बन गयीं, अधीर रंजन जी फिर से खड़े हो जाएंगे। वर्ष 2007 में कैसा खिलवाड़ किया गया। देश की राजधानी में रहने वाले उन गरीब लोगों को, जो विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में वास करते हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझा गया। वोट बैंक की राजनीति की गयी। वर्ष 2008 में जब पुन: चुनाव होना था, तो वर्ष 2007 में *… (Not recorded)*

ने क्या किया? प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम पर राम लीला मैदान में एक *… (Not recorded)* हुआ…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not put yourself into controversy.

… (*Interruptions*)

SHRI RAMESH BIDHURI (SOUTH DELHI): She was the *… (Not recorded)*. She belonged to the *… (Not recorded)*. मैं कैसे नहीं बोलूंगा? सर, 40 लाख लोगों के साथ *… (Not recorded)* किया गया, उनको *… (Not recorded)* दिया गया, उनके साथ राजनीति हुई है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it. If there is any derogatory remark made against any person, it will be expunged.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): यह उनकी पीड़ा है, तो कैसे नहीं बोलूंगा? मुझे बोलने से कौन रोक देगा? क्या वह *… (Not recorded)* नहीं थीं? वर्ष 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it. If there is any derogatory remark made against any person, it will be expunged.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Do not invite any controversy. Please speak on the subject.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): *… (Not recorded)* ने वर्ष 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर यह कहा गया, चूंकि वर्ष 2008 में चुनाव होने थे…(व्यवधान)

1443 बजे

(इस समय श्री भगवंत मान आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please go back to your seat.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, इसका मेडिकल टैस्ट करवाया जाए। *… (Not recorded)* इसका मेडिकल करवाएं।…(व्यवधान)

1443 बजे

(इस समय श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए।)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please limit yourself to the subject. Do not invite controversy.

… (*Interruptions*)

SHRI RAMESH BIDHURI (SOUTH DELHI): I am speaking on the subject only. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Do not take name of any person who is not here in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am on a point of order.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Under which rule you are raising the point of order?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Under Rule 353.

HON. CHAIRPERSON: This has already been raised.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): It says that no allegation of a defamatory or …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is well-taken. This has already been raised by the hon. Member. I gave a categorical assurance and direction that if there is anything derogatory against any person, it will be expunged.

(1445/PS/SJN)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): In addition to that, the name of the person -- who is a deceased and who is not here -- should not be referred here. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I have already instructed the hon. Member not to drag any name who is not in the House.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, जब वर्ष 2007 में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बांटे गए थे।

HON. CHAIRPERSON: You mention the year only. It will be understood. Do not take any name.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, गरीब जनता नहीं जानती है। वे 8वीं फेल हैं, कालोनियों में मजदूर लोग रहते हैं। उनको यह सच्चाई पता लगनी चाहिए कि देश को कौन लोग लूट-खसोट रहे थे। उनको मालूम नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Please come to the point.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, सोनिया जी, तो हाउस की मेंबर हैं, मैं उनका नाम तो ले सकता हूं। वर्ष 2007 में सोनिया जी के माध्यम से लोगों को यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी बड़ी सींसियर है, प्रोविजनल सर्टिफेकट्स को बंटवाया गया था।…(व्यवधान) वर्ष 2008 का चुनाव जीतने के बाद केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी थी। तब लोक सभा के अंदर एक अमेंडमेंट पास कराया गया था। महोदय, इसी लोक सभा के अंदर *… (Not recorded)* किया गया था और यहां पर वर्ष 2008 के अंदर अमेंडमेंट पास कराया गया था कि रेग्युलेशन एक्ट 2008, 5.3 एंड 5.4 उसमें यह तय किया गया था कि एनसीटी एक्ट को बदलकर लैंड का अधिकार, दिल्ली के अंदर ले-आउट प्लान बनाने के अधिकार, दिल्ली के अंदर विकास शुल्क किस प्रतिशत पर लिया जाएगा, यह अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। यह *… (Not recorded)* इसी पार्लियामेंट में हुआ था। वर्ष 2008 में यह अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया था। रेग्युलेशन एक्ट, 2008 5.3 एंड 5.4 दोनों के अंदर यह अधिकार *… (Not recorded)* को मिल गया गया था। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, तत्कालीन *… (Not recorded)* को मिल गया था।…(व्यवधान) वर्ष 2008 की तत्कालीन मुख्य मंत्री के द्वारा वर्ष 2012 तक सत्ता का खूब उपभोग किया जाता रहा। वर्ष 2012 तक कालोनियों के बारे में याद नहीं आया। इनके डेवलेपमेंट चार्ज क्या होने चाहिए, यह उनको याद नहीं आया था। उन्होंने वर्ष 2012 के अंदर फिर से यह कहा था कि हम लोग इन कालोनियों को पास करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2013 में चुनाव आ गए थे। वर्ष 2013 के चुनाव में *… (Not recorded)* कालोनियों को पास नहीं होने की वजह से देश के लोग तंग आ गए थे। एक आरटीआई *… (Not recorded)* से आकर बैठ गया था कि मैं दुनिया का ईमानदार आदमी हूं। मैं दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, सबको आरटीआई के माध्यम से ईमानदारी का उपदेश दूंगा।…(व्यवधान) वर्ष 2013 के अंदर वह आरटीआई एक्टिविस्ट, जो आज *… (Not recorded)* बना बैठा है।…(व्यवधान) महोदय, उन्होंने कहा है कि मैं इन कालोनियों को एक साल के अंदर पास करूंगा।…(व्यवधान) मैं इन कालोनियों को एक साल के अंदर पास करूंगा, जो आज *… (Not recorded)* बैठा हुआ है, ऐसा उसने कहा था। उन्होंने 70 वायदे किए थे। 70 वायदों में से 56वें नंबर पर उन्होंने यह कहा कि मैं अनियमित कालोनियों को एक साल के अंदर पास कर दूंगा।…(व्यवधान) महोदय, आप क्या बात कर रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up now.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, ऐसे-कैसे वाइंड-अप हो जाएगा।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, you have taken a lot of time.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): He is talking about the *… (Not recorded)* in a singular manner. This is Parliament. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No cross talks. The hon. Minister of Parliamentary Affairs is on his legs.

…(*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): This is an important legislation which we are discussing now. He wants to put forth the historical views. You have also instructed that if there is any unparliamentary word or derogatory word, it will be expunged. That you have already told. Now, I request that let the discussion go on and whenever you get your chance, you are free to say that. My request is that let the discussion go on smoothly. …(*Interruptions*) अधीर रंजन जी, एक मिनट। …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Adhir Ji. Nothing will go on record except what Shri Adhir Ranjan Chowdhury is saying.

…(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): According to the hon. Minister, you have already directed that derogatory words will be expunged. That does not mean that use of such derogatory words will be continued. As per his arguments, derogatory words will be uttered continuously. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will check it.

…(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): My argument is that once you have directed that these are the derogatory words, the hon. Members should not utter that kind of derogatory words.

(1450/RU/GG)

Secondly, a Chief Minister, whosoever he is, belonging to our Party or any other Party, should not be referred as an extremist because he is an elected Chief Minister. बिधूड़ी जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि एक्ट्रिमिस्ट बोलना बेकार है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your point is well taken.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ramesh Bidhuri, please address the Chair. Nothing will go on record. No cross-talks please.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Shri Bidhuri, be within your limitations and speak on the contents of the Bill. Please do not speak out of the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Personal comments about anybody who is not in the House should not be made.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): पता नहीं सर, मैं सुनता ही नहीं।

HON. CHAIRPERSON: Your leader has made the point.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No comments please.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, सन् 2013 में फिर इसी प्रकार की एक नौटंकी हुई। …(व्यवधान)दिल्ली की विधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। …(व्यवधान) प्रस्ताव पास करने के बाद यह कहा गया कि दिल्ली की 895 कालोनियों को हम पास कर रहे हैं। …(व्यवधान) सर, जिस पैटर्न पर वह प्रस्ताव 2013 में पास हुआ, तत्कालीन जो भी सरकार कांग्रेस की थी और जो भी मुख्य मंत्री थी, लोग अखबारों में पढ़ लेंगे कि सन् 2013 में कौन थी। सर, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। जब उनको मालूम था कि She has taken over the power of the colonies के अंदर डेवल्पमेंट चार्जेस क्या होगा, उसका ले-आउट प्लान क्या होगा तो प्रस्ताव पास करने का मेरी समझ में आया नहीं कि वह सन् 2013 में क्यों पास कर के भेजा गया। लेकिन तब एक आरटीआई के नाम से एक और *… (Not recorded)* बन कर बैठ गए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के *… (Not recorded)* आ गए। सर, अब तो ठीक है न? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Take your seat. No cross-talks please.

…(Interruptions)…(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair now.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, वे आ गए तो सन् 2015 में एक सरकार बन गई। वह प्रस्ताव पास आया। सन् 2015 की सरकार ने भी इसी प्रकार का एक और रैग्युलेशन विधान सभा में, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, पास कर के भेजा। सर, माननीय मुख्य मंत्री जी क्या यह नहीं जानते थे कि दिल्ली की जनता को केन्द्र सरकार ने नोटिस दिया हुआ है। वह 09.02.2015 में केन्द्र सरकार ने लैटर नंबर – DD VI/15 सितंबर को दिल्ली की सरकार से पूछा कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों के लिए आपने एक प्रस्ताव पास कर के केन्द्र में भेजा है। क्या आपने ले आउट बनाने का वह कार्य पूरा किया? क्या आपने वह कार्य पूरा किया कि इसका आधार क्या होगा कि डेवल्पमेंट चार्ज क्या लेना है? यह मुख्य मंत्री से, 2008 की तर्ज पर, यह पूछने की हिमाकत केन्द्र सरकार ने की होगी। सन् 2015 के उस लैटर के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें दो साल का समय दे दीजिए, दिल्ली सरकार को दो साल का समय केन्द्र सरकार ने दे दिया चूंकि मामला अदालत के अन्दर विचाराधीन था। 1145/14 रिट पिटीशन कोर्ट में चल रही थी, उन्होंने भी राज्य और केन्द्र सरकार से सन् 2015 में जवाब मांगा कि आप इन अनियमित कॉलोनियों के बारे में क्या कर रहे हो तो केन्द्र सरकार ने जब राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, नंबर DD VI/15 सितंबर को पूछा तो उन्होंने फिर से और दो साल का समय मांगा तो सन् 2017 आ गया। जब 2017 के अंदर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पूछा कि आपको यह काम करना था तो आपने काम क्यों नहीं किया तो राज्य की सरकार, श्री केजरीवाल साहब जी ने जवाब दिया कि हमने दो एजेंसीज़ ले आउट प्लान बनाने के लिए एपॉइंट की हैं। कम्पनी का नाम एसकेपी प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटिड और प्राइम मैरिडियन सर्वे ऑफ इंडिया है। ये दोनों सन् 2017 तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई हैं। हमें और दो

साल का टाइम दीजिए। यह कहने के लिए, यह दिल्ली सरकार का लैटर है, 18/08/2017 को फाइल नंबर 840, सन् 2017 में दिल्ली स्टेट अर्बन डेवल्पमेंट अनऑथराइज्ड कॉलोनी - 2771, इसमें सन् 2017 में वे कहते हैं, सन् 2017 में चिट्ठी लिख कर सन् 2019 का समय मांग लिया कि हमको और समय दो। (1455/KN/KKD)

सर, आप अगर मुझे इजाजत दें तो वर्ष 2017 में दिल्ली सरकार की चिट्ठी, जो 18-08-2017 को लिखी थी, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ।

> "Hon. High Court, Delhi *vide* Order dated 31.5.2017, in a writ petition 1145 by 2014, that the survey and preparation of map of the unauthorised colony was assigned to the Revenue Department headed by Divisional Commissioner."

दिल्ली सरकार ने यह चिट्ठी लिखी थी कि हमने जो दो एजेंसियाँ अपॉइंट की थीं, ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। हमें दो साल का टाइम वर्ष 2019 तक और दे दो। 27 जनवरी, 2019 में केन्द्र सरकार ने उनको एक चिट्ठी लिखी और 28 तारीख को केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की। दो साल पूरा होने के बाद, माननीय हरदीप पुरी जी बैठे हैं, वर्ष 2019 में अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग की। 29 जनवरी को केजरीवाल सरकार ने फिर एक पत्र लिखा और कहा कि जो दो एजेंसियाँ हमने अपॉइंट की थीं, वे प्रॉपर-वे में काम नहीं कर पाई हैं, इसलिए हमें क्षमा करें। केवल 300 कालोनियों में हमने काम पूरा किया है, वह भी सेटिस्फेक्टरी काम नहीं है। हम तहसीलदार, एसडीएम वगैरह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर लेंगे, इसलिए हमें वर्ष 2021 तक का समय दे दिया जाए। वर्ष 2021 तक समय मांगने की बू कहां से आई, यह सरकार चार साल तक क्या करती रही, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें बू नजर आई, उस समय की *… (Not recorded)* का वर्ष 2007 का वह आदेश, कि उन्होंने भी ऐसे ही वर्ष 2008 का चुनाव जीतने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। ये भी वर्ष 2019 में यही *… (Not recorded)* कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने उप राज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहा कि तीन महीने के अंदर हमें कमेटी का आदेश मिलना चाहिए। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कमेटी का जवाब दिया और जवाब देने के बाद यह तय किया कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सब का घर होना चाहिए, तो दिल्ली के चालीस लाख लोग क्यों अछूते रहे।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Shri Bhagwant Mannji, please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): यह देश के प्रधान मंत्री के मन में तड़प आई। अब यह जो एक्ट आ रहा है, इस एक्ट को लाकर इन कालोनियों को पास करने का काम किया। रेड्डी जी बोल रहे थे कि चार साल पहले यह काम क्यों नहीं हुआ। अगर चार साल पहले केन्द्र सरकार अपने पास सारे राइट्स ले लेती तो रेड्डी जी की पार्टी और सरकार यह घोषणा करती कि केजरीवाल जी को काम नहीं करने दे रहे। वह तो कर रहा था, केजरीवाल साहब को चार साल का पूरा टाइम दिया कि आप ले-आउट प्लान बनाइये। आप तय कीजिए कि उसका डेवपलमेंट चार्ज क्या होगा।…(व्यवधान) सर, मेरी पार्टी का टाइम है। यह मेरे से

जुड़ा हुआ मामला है, 350 कालोनियाँ मेरे क्षेत्र में हैं। दिल्ली की जनता में विश्वास होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा है तो ये कालोनियाँ पास होंगी, इनमें फैसिलिटीज मिलेंगी। जो 893 कालोनियां हैं, उस समय 372 का सर्वे न करने का, मैं गाँव का आदमी हूं, यह भाषा बोल ही देता हूं कि फिर एक*… (Not recorded)* रचा गया। पीएम साहब ने उसको रिजैक्ट करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वे दोनों के दोनों एक्सपोज हो गए…(व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, is he the only speaker?

HON. CHAIRPERSON: His party has enough time.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not attribute any motive to the Chair. Your turn will also come.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): तेरे वायदों पर भरोसा किया था हमने, पर *… (Not recorded)* के अलावा कुछ न मिला। उन 40 लाख लोगों को, जिन्होंने 67 सीटें जिता कर दी थीं। अब यकीन कर लें ए दोस्त, रास्ता दिखाने हमारे प्रधान सेवक आ गए हैं। अब ये कालोनियाँ निश्चित रूप से पास होंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए लोग कितनी ही प्रकार की बातें कर लें, क्योंकि जब देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा, 15 अगस्त को टॉयलेट की बात की, तो बहुत से कांग्रेस के नेता मेरे से कहते थे कि बिधूड़ी जी प्रधान मंत्री टॉयलेट की बातें करते हैं। प्रधान मंत्री गैस कनेक्शन की बातें करते हैं। अब वे भी दो साल के बाद हमारी पार्टी में आ गए हैं। वर्ष 2015 में मुझसे कहते थे, अब वे सारे के सारे कांग्रेसी बीजेपी में काम कर रहे हैं। मैं यहां पर उनके नाम लेना नहीं चाहता। तब वे कहते थे। मैंने जो पहले कहा था- 'जाके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।'

गरीब लोगों की पीड़ा तो गरीब का बेटा ही समझ सकता है। देश के प्रधान मंत्री गरीब परिवार से निकल कर आए हैं। उनको मालूम है कि गरीब की बहनों को चुल्हे की आग से बचाने के लिए कैसे सिलेंडर दिए जाएंगे। वह 16-17 साल की नौजवान बेटी शौच के लिए जंगल की तरफ कैसे जाती होगी, तो उनकी चिंता प्रधान मंत्री की थी। उसी चिंता को देखते हुए हमारे देश के प्रधान मंत्री…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Bidhuriji, please conclude, now.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, दो मिनट मुझे और दे दीजिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 30 minutes. There are three more speakers form your party to speak. So, please conclude

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, आप अंग्रेजी में बोल जाते हो, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, पता नहीं क्या बोल दिया आपने।

(1500/CS/RCP)

हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीबों की इस पीड़ा को समझा।…(व्यवधान) जो लोग 50-100 गज के प्लॉट्स में रहते हैं, अब इन कालोनियों में डेवलपमेंट का सारा काम दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा। इन कालोनियों के अंदर केबिन, ऑफिस बनाकर कैम्प लगाए जाएंगे। उनके रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। जिनके पास लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी है, वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐफ्लूएंट के नाम से, जो रेड्डी जी बोल रहे थे, हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन कालोनियों को पास करने के बाद, उनका डेवलपमेंट शुल्क बढ़ाने के बाद, उन ऐफ्लूएंट 67 कालोनीज, जिन्हें कहा गया है, जिनमें से 30 कालोनी तो इसी प्रकार की हैं, कुछ सरकारी अधिकारी कांग्रेस के जमाने के बैठे होंगे, उन पर उन्होंने ऐफ्लूएंट डाल दिया होगा। वे भी ऐफ्लूएंट में नहीं आती हैं, वे भी इसी प्रकार की कालोनीज हैं। उन सबको सेकेंड फेज में इसी रूप में सरकार के द्वारा लिया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गाँव के लोगों की जमीन पर जो कालोनी कट गई, वह उनकी अपनी जमीन है, वह उनकी पैतृक जमीन है, उनके पास हजार गज जमीन है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास नहीं है, वे वहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उनकी फरद को ही आधार बनाया जाएगा। उनकी पुश्तैनी फरद को आधार बनाकर उसे डेवलपमेंट के लिए माना जाएगा। वे पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से लाएंगे? इसी प्रकार से गाँव की एक्स्टेन्डिड आबादी है, वे तो अपने गाँव के खेतों में बस गए हैं। उन्होंने मकान बना रखे हैं, उन्होंने नक्शे भी पास नहीं कराए थे। उन गाँव के लोगों ने आरडब्ल्यूए भी नहीं बना रखी थी। वह तो उनकी अपनी जमीन है, गाँव की बढ़ोतरी हुई और हमने मकान बना लिए। एक्स्टेन्डिड आबादी को लेकर भी सरकार इसमें चिंता करे, जो वर्ष 2015 से पहले बने हुए मकान हैं। सरकार इस बात की चिंता करे। मैं अपनी ये दो रिक्वेस्ट माननीय मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूँ। मेरे तीन पत्र और थे, जो शोर-शराबे के कारण आपने मुझे पढ़ने नहीं दिए। ये लोग बहुत परेशान थे और शोर मचा रहे थे। जब चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है, तो वह चिल्लाता है।…(व्यवधान) दिल्ली सरकार ने दो साल तक का समय और माँगा।…(व्यवधान) मैं केवल यह पत्र पढ़कर अपनी बात समाप्त करूँगा।…(व्यवधान) वर्ष 2019 का एमसीडी का वह पत्र मुझे जरूर पढ़ना है।…(व्यवधान) The letter says that the Government of NCT of Delhi would go for the conduct of Total Station Machine (TSN) survey and also, as decided and communicated *vide* letter dated 21.7.2017, the Government of NCT of Delhi would require a time period of two years from 01.08.2019 to 2021 to complete the survey of unauthorised colony. …(*Interruptions*) यह दिल्ली सरकार का पत्र है।…(व्यवधान) एक तरफ वे कहते हैं कि वर्ष 2015 में हमने प्रस्ताव पास करके भेज दिया।…(व्यवधान) अगर आपने वर्ष 2015 में प्रस्ताव पास करके भेजा, तो ये काम पूरे क्यों नहीं किए?…(व्यवधान) उस प्रस्ताव का महत्व क्या है, जो दिल्ली के *… (Not recorded)* में चिल्ला रहे थे।…(व्यवधान) वे दिल्ली की जनता को गुमराह करना छोड़ दें और दिल्ली की अनियमित कालोनियों को पास करें।…(व्यवधान) वे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद बोलें कि उन्होंने अपने 01 जून, 2015 के सभी गरीबों को मकान देने के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। (इति)

1503 hours

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I rise today to talk on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

1503 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, when I stand here to speak on this, I am reminded of the first move which was made in Chennai, in Tamil Nadu by my late leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi. It was in 1970s, the first Tamil Nadu Slum Clearance Board was created because Chennai was full of slums. As the curse for any developing cities, people from villages were rushing into the cities to seek for employment, to seek for opportunities. My leader realised that and he followed that in true letter and spirit of our founder leader Dr. C.N. Annadurai; he said: "*ezhaiyin siripil iraivanai kanbom*". We see God in the smiles of the poor people. We did it. At that time, in 1970, Mr. Jayaprakash Narayan was there in Chennai to inaugurate the first Slum Clearance Board. We had developed the programme. Our leader Dr. Kalaignar developed the programme ensuring that when people were all living in the slums along the banks of the Cooum river – they were in such a pathetic state – their lifestyle changes.

(1505/SMN/RV)

Sir, in 1974, Dr. Jagjivan Ram was invited by Dr. Kalaignar Karunanidhi to inaugurate another multi-storey housing complex for the poor. Sir, Dr. Jagjivan Ram came and saw it. He came back to Delhi and told our late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi the kind of development Dr. Kalaignar Karunanidhi was doing and then this Indira Awaas Yojana was born. It was the idea of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, the leader of DMK out of which the Indira Awaas Yojana was born.

Sir, today, the Indira Awaas Yojana was going in full speed till BJP came to power. Then, BJP has decided to call it Pradhan Mantri Awaas Yojana. You may call by whichever name you want, but whenever we see a poor getting a house, we only see Dr. Kalaignar M. Karunanidhi there because this is a kind of contribution he has done there. I came to Delhi in 2004. Dr. Harshavardhan is here. From 2004 onwards, we have seen the problem of colonies coming up and down. We should not belittle the services done by all the former Chief Ministers

of Delhi. All of you have done your part to make sure the problems of the colonies are being addressed.

Sir, you are a Minister of Delhi. …(*Interruptions*) The hard work of our late Chief Minister, Mrs. Sheila Dixit can never be forgotten. She had brought a big change. She has toiled very hard to regularise these colonies. The problem in Delhi is like the problem in Puducherry. There are two different Governments. If Delhi is ruled by Congress, then we have BJP. If Delhi is ruled by BJP, then we have the Congress. At the end of the day, the people suffered a lot.

Similarly, we have a problem in Puducherry also. We have a Lieutenant Governor who does not allow the elected Chief Minister of Puducherry Shri V. Narayanasamy to function and she wants to take all the credit and is a spoilsport in trying to bring a bad name to Puducherry. So, the reason I am saying this is.

Today, Mr. Hardeep Puri is bringing about a good change. We welcome you but with riders. You took the magic wand. Very rarely, the Central Government takes the magic wand to regularise colonies. Why can you not do it whole-heartedly? You are doing it partially. Today, I have come to a conclusion that it is not the Congress, it is not the BJP, it is not Aam Aadmi but it is the elections. The moment the elections are announced, the magic wand comes out. They may claim that they came in 2014. The BJP Government wants to regularize the Delhi colonies. Why it took them such a long time? I am shocked at this technological advanced state, they are saying that they are not able to map. Mr. Nitin Gadkari was here. He claimed the way they mapped the roads is through google mapping. Now, the traffic issues are all corrected and are assessed not by physical verification but by good mapping. We are using all the advanced technologies. Today, we are using Pegasus to snoop on WhatsApp. We can use all the latest technology to snoop on anyone. You mean to say the Central Government which can take the magic wand to do it, why can you not do it? Today, 1700 colonies are going to be regularized. What about the remaining colonies? Naturally, they are little rich and affluent and the votes are less. Wherever the votes are less, that is not needed. Whoever is going to vote *en masse,* then that is regularized. We should also appreciate the efforts taken by the present Chief Minister Mr. Kejriwal. He is doing his honest effort to ensure that the colonies are being regularised and therefore, the efforts are being taken. That is why, they have spearheaded it. That is why, it has given them the fear to

do it in an urgent basis. Today, you are going to regularise the colonies. We did it. The Tamil Nadu was the first State to regularize the colonies. Dr. Kalaignar was the forefront leader. We never charged any amount to regularise. If you are there and if your ownership is proven, then it will be given free. Why do you not have a big heart? Why can you not give it free to them? Why do you want to charge? What is the money you are going to make? Are you going to fill the deficit which your Finance Minister has created in the Budget? No, these are pittance. Why do you want to make the poor people suffer more?

(1510/MMN/CP)

They have suffered enough. Give them the freedom. Let them have full ownership. There are confusions in the market. People are so confused in all these unrecognised colonies in Delhi. They say the house is recognised; the street is recognised; and the area or the complete colony is recognised. Anyone living there will want the entire colony to be regularised so that they get proper sewage, proper facilities and proper amenities. Bring them up. Let us go to the next stage of our line of development. How long or for how many years and decades, is the Central Government or the Delhi Government going to sit on these unrecognised colonies? This is the reason we do not grow. We want to be like a stuck-record going on and on. Are you now worried about the Sainik farm? What is preventing you from recognising a Sainik farm? It is a private property. I am not supporting the rich. But I am saying that when you decide to take the magic wand, finish it off. Let us go to the next stage of developmental line. When you are talking about a five-trillion economy, you should not go into small nitty-gritties and try to spook people of the things.

I would also like to say that time has come for every Government to move forward. If you are honest enough, if this decision is not a vote bank politics, I expect this re-regularisation scheme to be honest and a full-hearted effort. Then we will support you and we will support you fully. I will say, please do not try to take political mileage out of this. This is what Mr. Modi did. We also know how much of poll promises were made during the elections time that Rs.15 lakh is supposed to come in our bank account. I check my bank account every day. No, I have not got anything. So, let it not be a fake poll promise. Do it wholeheartedly. Let the people of Delhi be relieved of this pain and let the development take place. Thank you for this opportunity, Sir.

(ends)

1512 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to speak on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

Unauthorised colonies have been in existence in Delhi since the time the Delhi Development Authority started the planned development in the year 1957. Unauthorised colonies are the residential colonies constructed without seeking the required permission for the layout or building plans. Consequently, conveyance deed for these colonies are not registered by the Registrar or the Sub-Registrar unless these are regularised by the Government. The transaction of purchase and sale of properties in these colonies is evidenced by a Power of Attorney, possession letters, etc., which do not convey any title in the property as held by the Supreme Court in the case of *Suraj Lamp & Industries (P) Ltd., V. State of Haryana.*

Property is not just used for shelter. It is also seen as an investment. For numerous people like Arun Diwakar, who is a migrant labour from Bihar, settled in Delhi, the property was fruitless as the investment was not useful to him. He could not mortgage it when his wife was seriously ill and hospitalised or when he needed money for his daughter’s marriage. Now this Bill seeks to grant people of these areas an authority over their property. I support the Bill but my concern also lies in the fact that the proposed legislation will convey a message that mass encroachment of Government’s land will be made legal in the future.

So, henceforth, the Government has to be very well aware and get rid of illegal construction before it turns into a colony. My question is also regarding the definition of residents. Clause 2(a) states that a resident is a person possessing documents related to property and his or her legal heirs.

(1515/VR/NK)

Sir, residents of a house do not include just the owner and children, the person might be childless and still have a family. So, I would request the Minister to look into this matter. So, spouse, parents and siblings of the owner must also be within the ambit of the definition and, thus, the term ‘family’ must be used. Since in case of owner's demise, the property can be transferred to someone who is not a legal heir but maybe spouse.

The move of the Bill is very fair but systematic implementation must be provided. Firstly, Delhi Development Authority (DDA) has earned the distinction of being a 'slow mover." The reason for such a reputation is its sluggishness. This can prove to be a major issue. The solution to this can be - fixing a time window within which the application is made online. This has to be resolved by the DDA or else it can remain pending for years. The Government has added the clause of Conveyance Deed. It will delay the entire procedure. The Minister must state the date by which the owners will get valid registries in their hand.

Secondly, there are areas which have been left out in the mapping. Here, I would appreciate that an online portal has been formed for filing a complaint related to fault in the map. But again, maps of only 40 out of 1,731 colonies have been uploaded so far. The process seriously needs to be fastened. It is also necessary for the Government to state the source of these maps.

Sir, my question is, are you using the satellite maps and that too of 2015? This will be a major mistake as it needs an upgrade. Here, we need to make sure that not a single household must suffer and left out due to a mistake in preparing map, that is, common men should not suffer due to the mistakes of bureaucrats.

Thirdly, people are demanding that their colonies are renamed afresh. This is a legitimate demand and must be met with. This is because there are many colonies which are known by the caste and profession of the people living in it. Just because the plots are occupied by people from a particular caste, it should not be named as *Harijan Basti*. This is not only a degrading attitude but also promotes caste system and caste-based discrimination is bound to increase if such prevalent names of these colony are accepted by the Government. This is my sincere request to the Minister that he does look into this matter in order to promote equality in the capital of India.

Fourthly, the Delhi Government has spent Rs. 8147 crores since 2015 for developmental works. It has laid down pipelines, improved sewage system and also constructed roads. How much does the Central Government intend to allot for developmental works of the concerned area? Has the Government even formulated any plan for improving the condition of these regions?

Finally, I would like to know from the Government as to what is in store for the so-called affluent unauthorized colonies that have been left out. Is there any

proposed schedule for regularising colonies at places like *Sainik* Farms, Vasant Kunj and Chhatarpur and other areas?

To sum it up, I would like to say that the intention of the proposed Bill is surely noble because shelter is a basic necessity but the whole procedure needs a very smart and scientific approach. Or, else it could raise even more problems for the people of Delhi.

I would end with a simple question. The BJP Government came into power in 2014. Why did the Government not bring it in 5 years and why just before assembly elections? Political agenda is certainly the motive behind this proposed legislation. Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

With these words, I conclude my speech.

(ends)

(1520/RBN/SK)

1520 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Hon. Chairman, Sir, thank you for enabling me to talk on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

It is, undoubtedly, a very good decision by the Government. Whatever may be the political comments of my colleagues, I feel it is totally apolitical. That is what I feel and it is the need of the hour. As everybody knows, house is the need for any indidivudal. *Gruhame kada Swarga seema* is a Telugu saying. Everyone would like to have his or her own house. But having a house without a title is a meaningless proposition. So, giving title or ownership by the Government is indeed a wonderful gesture because that gives the confidence that tomorrow if there is any trouble, I can pledge the property and I can raise some loan. So, that kind of confidence, in addition to the legalised accommodation, that these 40 lakh people are gaining is indeed a wonderful gesture by this Government. Some people ask as to why the Government took five years to do this. I would like to say that this was not done in 20 years. Someone has taken this decision in such a short span of five years. So, I wholeheartedly welcome the Government's decision. I would like to extend my appreciation to this Government, especially the hon. Prime Minister and the Minister concerned for this great gesture.

My colleague has made a mention of Dr. Kalaignar, who was a great leader. In the context of remembering great Kalaignar, I would also like to remind this House about our beloved leader, Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy who had built, during his tenure, around seven to eight lakh houses, which was a history. In one particular year the total number of houses built in the country were less than the number of houses built by Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy. Continuing that great work, my beloved Chief Minister is giving 25 lakh house sites to various people. With the support of Government of India where they have cleared around 2.08 lakh houses, we are also planning to give houses for the entire 25 lakh people to whom we are giving the house sites.

Coming to this Bill, I appreciate the Government for considering the regularisation of 1,731 colonies. Most of the colonies are quite decent ones.

Wherever the colonies are of a little slum in nature, as part of Swachh Bharat, whatever infrastructure that has to be created by way of good drainage, by way of good toilets, etc. has to be created. That has to be given top priority. Wherever the colonies are a little weak, do that.

I also request you not to differentiate these colonies from other colonies where rich people reside. You are doing a good thing, with an open mind, and you are regularising these colonies. Of course, I am not holding brief for any rich people. I do not own any farm house at Sainik Farms. Keeping them aside from regularisation, perhaps may not be in good taste. If possible, maybe at an appropriate time, you may also consider regularising all those colonies because they are also decently well spread. Please consider that.

Hon. Prime Minister under Pradhan Mantri Awas Yojana has built so many houses. At the same time, regularising those colonies where people have built their own houses, will in a way add that many number of houses to the original plan of two crore odd houses. I wish this initiative of Delhi would inspire other metropolitan cities, wherever this kind of regularisation is feasible. The hon. Minister of Urban Development may also kindly look at that in a fair way.

I once again support this Bill wholeheartedly. Thank you.

(ends)

1524 बजे

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): माननीय सभापति जी, आज मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज का दिन निश्चित रूप से दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के लोगों को आज के बाद पूरा अधिकार मिलेगा।

(1525/MK/SM)

इसमें लगभग 1760 कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिसमें 40 लाख लोग निवास करते हैं। लेकिन, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की इन कॉलोनियों में केवल दिल्ली के लोग नहीं रहते हैं, पूरे हिन्दुस्तान के लोग रहते हैं। मैं तो केंद्र सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह देर से जरूर आया लेकिन, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप दिल्ली की कॉलोनियों को अधिकार दे रहे हैं और एक प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को यह अधिकार दे रहे हैं।

सभापति महोदय, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों की इच्छा होती है और हम लोगों की भी इच्छा होती है, हम लोग एमपी हैं, शायद जितने एमपी होंगे, सब लोगों की यह इच्छा होती है कि हम दिल्ली में रहें, मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ें, दिल्ली में उनका एजुकेशन हो। दिल्ली में लोग खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी हैं। यहां साधारण से साधारण लोग भी आते हैं। देश के नागरिक जब यहां आते हैं तो वे हर प्रकार का काम चाहे वह सरकारी रोजगार में हो, गैर-सरकारी क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, रेहड़ी-पटरी वाला हो, खोमचा वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, टेम्पो चालने वाला हो, कोई भी यहां आता है और जब वह लंबे समय तक यहां रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि दिल्ली में रहे। लेकिन, कोई सामान्य आदमी दिल्ली के पॉश एरिया में नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां वह खरीद नहीं सकता है। फिर वे अनाधिकृत कॉलोनियों में चले जाते हैं, मलिन बस्तियों में चले जाते हैं, वहां रहते हैं और वहीं रहकर अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजी-रोटी कमाते हैं। लेकिन, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से दिल्ली की मलिन बस्तियों का, कॉलोनियों के लोगों की सुध लेने का काम किया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। इससे पहले हम लोग देखते थे, उस समय मैं एमपी नहीं था, लेकिन रेडियो में, अखबारों में, टी.वी में देखते थे कि दिल्ली के मलिन बस्तियों को मान्यता देने के विषय को केंद्र सरकार राज्य सरकार पर फेंकती थी और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर फेंकती थी और इस तरह से 70 वर्षों तक इन मलिन बस्तियों को किसी सरकार ने मान्यता नहीं दी। लेकिन, मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और अब इन मलिन बस्तियों को मान्यता देने जा रहे हैं।

जैसा मंत्री जी बता रहे थे …(व्यवधान) हां सारी अनाधिकृत कॉलोनियां। हम लोगों के पास वर्ष 1797 का रिकार्ड था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1760 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी जानकारी पोर्टल पर आ गई है, जिससे लगभग 40 लाख लोगों को जमीन का

मालिकाना हक मिलेगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित ही इसका लाभ भले देर से हो, लेकिन सभी लोगों को मिलेगा। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं।

दिल्ली में करीब 1800 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। जैसा मुझे पता है कि वर्ष 2017 में उन कॉलोनियों को प्रोविजनल सटिर्फिकेट मिला था। लोग यह जानना चाहते हैं कि उन कॉलोनियों के बारे में वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक सरकार ने क्या विचार किया है। अगर उन सबको इस बिल में अधिकृत कर दिया जाता तो उन्हें भी इसका अधिकार मिलता। अनधिकृत कॉलोनियों में लोग पॉवर ऑफ अटार्नी के कागजात पर ही निवास कर रहे हैं, उनके नियमितिकरण के बारे में भी प्रावधान होने चाहिए।

(1530/RPS/AK)

अभी वहां आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इसमें भी समयबद्ध चरणों में विकास होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यहां की सरकार को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। यहां देश के कोने-कोने से लोग आकर बसे हुए हैं। कोई यह भी कह सकता है कि यहां मेरा परिवार बीस से तीस वर्षों पूर्व आया हुआ है, किन्तु यहां कभी-कभी यह बात उठती है और यह कहना कि दिल्ली में बाहर के लोग आकर बसे हैं, सर्वथा अनुचित है और हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने वाला कार्य है। दिल्ली पूरे देश के लोगों की है और कोई भी स्वार्थ के लिए इससे दिल्ली में आने वाले लोगों को वंचित नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई भी सरकार हो।

इस बिल में मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कुछ शुल्क लगाए जाने की बात की जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क शून्य कर दिया जाए और आम लोगों को यह राहत देने का काम सरकार करे।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही, इस बिल को लाने के लिए मैं केन्द्र सरकार एवं माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1532 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बिल पर बोलने का मौका दिया है।

जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ, केवल दिल्ली वालों की नहीं है। दिल्ली में जो लोग बसते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार के लोग यहां हैं, उनके साथ उनकी कॉलोनीज में आप जाइए, वहां कितने वर्षों से यह मांग चल रही थी। आज भी इन कॉलोनीज में कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। हम लोग बड़ा कैम्पेन करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का कैम्पेन चल रहा है, लेकिन अगर उसकी बानगी आपको देखनी है तो दिल्ली की अनअथराइज्ड कॉलोनीज में जाकर देख लीजिए कि कितना स्वच्छ देश को हम बना रहे हैं और देश की राजधानी में लोग किस तरीके से, किन हालात में रह रहे हैं।...(व्याधान) मैं भी चाहता हूं कि आहिस्ता-आहिस्ता यह काम हो, ऐसे ही हो लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार इतनी मजबूत है, मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल को लाने में इतनी देर होनी चाहिए थी। अब भी इस बिल में कई चीजें साफ नहीं हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 12 नवम्बर, 2015 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा। यह जगजाहिर है कि किस तरीके से केन्द्र सरकार और मौजूदा दिल्ली सरकार के रिश्ते रहे हैं। मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए अपने-अपने इगो को अलग रखना चाहिए था और यह अधिकार गरीबों को बहुत पहले मिलना चाहिए था। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है, मैं बाद में क्लैरिफिकेशन पूछूंगा माननीय मंत्री जी से कि अखबारों में ऐसी भी खबरें छपी हैं कि अभी केवल 100 लोगों को उनकी रजिस्ट्री दी जाएगी। अब यह बात कितनी सच है, कितनी नहीं है, मेरे पास अखबारों की कटिंग है। आजकल मीडिया पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि कई जगहों से खबरें आती हैं कि मीडिया पूरी तरह से सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता है, लेकिन अच्छे अंग्रेजी के अखबारों में मैंने इसे पढ़ा है।

(1535/IND/UB)

लेकिन अंग्रेजी के अखबारों में मैंने वह पढ़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को गरीब के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं और उन्होंने स्वर्गीय कांशीराम जी के नाम से एक अर्बन मिशन चलाया। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कांशीराम कालोनीज अलग-अलग जिलों में बनी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे स्वयं के संसदीय क्षेत्र अमरोहा में कांशीराम कालोनी पूरी बनी हुई है और बहुत वर्षों से वह बनकर तैयार है। वह सरकार का पैसा है, वह टैक्सपेयर्स की मनी है। आज केंद्र में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। मैं चाहता हूं कि आप इसका नोटिस लें और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछें कि आखिर कांशीराम कालोनीज में अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है और क्यों गरीबों को घर नहीं दिए जा रहे हैं।

सभापति जी, यहां चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में मेट्रो रेल किसने चलाई। मुझे याद है कि उसके उद्घाटन के दौरान भी देश के मीडिया ने इस बात को उछाला कि कौन इसका उद्घाटन

करेगा। इस पर बहुत बहस चल रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि मेट्रो रेल का सर्वे 80 के दशक में हो गया था। वह फाइल धूल में पड़ी थी। मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं और जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो इसका नोटिस लें कि पहली बार मेट्रो रेल के लिए बजट का अगर किसी ने एलोकेशन किया तो पहली बार संयुक्त मोर्चे की सरकार ने किया और उस समय देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने पहली बार दिल्ली मेट्रो रेल के लिए बजट का एलोकेशन अपनी केबिनेट में किया। मैं यह बात ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सिर्फ गरीबों की बात करते हैं। माफ कीजिए कि ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए सिवाय नारेबाजी के और कुछ नहीं किया है।....(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। आप गरीबों के लिए कोई भी बिल लाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। आप किसानों के लिए कोई भी बिल लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं लेकिन आप नीयत साफ रखिए। आपकी नीयत में कहीं न कहीं खोट नजर आ रही है क्योंकि आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया, तो आप यह बिल लेकर आ रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन): आप बीच में मत बोलिए। दानिश अली जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, जिस भाषा का प्रयोग मेरे आदरणीय साथी ने किया।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह इनकी सभ्यता हो सकती है कि वे मुख्य मंत्री को कैसे एड्रेस करते हैं। मैं सभी मुख्य मंत्रियों का, वे चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्हें आदर के साथ एड्रेस करता हूं। प्रधान मंत्री चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि वे देश के प्रधान मंत्री हैं, वे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उनके लिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। जो आचरण इनका है, मैं वह आचरण नहीं दिखा सकता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी नीयत को साफ कीजिए। यदि आप गरीबों को असल में अधिकार देना चाहते हैं, तो इस अधूरे बिल में अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है।

(इति)

Page No. 359-A

کنور دانش علی (امروہہ): جناب چیرمین صاحب،میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دہلی کی غیرمنظور کالونیوں کو ریگولرائز کرنے کے بِل پر بولنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے کچھ معزّز ممبران نے کہا کہ دہلی ملک کی راجدھانی ہونے کے ساتھ ساتھ، صرف دہلی والوں کی نہیں ہے۔ دہلی میں جو لوگ بستے ہیں، خاص طور سے اُتر پردیش، پُروانچل اور بِہار کے لوگ یہاں ہیں، ان کے ساتھ ان کی کالونیز میں آپ جائیے۔ وہاں کتنے سالوں سے یہ مانگ چل رہی تھی۔ آج بھی ان کالونیز میں کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑا کیمپین کرتے ہیں، سوچھ بھارت ابھیان کا کیمپین چل رہا ہے، لیکن اگر اس کی بانگی آپ کو دیکھنی ہے تو دہلی کی غیرمنظورکالونیز میں جا کر دیکھیئے کہ ہم ملک کو کتنا صاف سُتھرا بنا رہے ہیں، اور ملک کی راجدھانی میں لوگ کس طریقے سے اور کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ (مداخلت)۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کام ہو، لیکن عزّت مآب وزیرِ اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سرکار اتنی مضبوط ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس بِل کو لانے میں اتنی دیری ہونی چاہئیے تھی۔ اب بھی اس بِل میں کئی چیزیں صاف نہیں ہیں۔ میری جانکاری کے مطابق 12 نومبر 2015 کو دہلی سرکار کی کیبنیٹ نے پرستاؤ پاس کرکے مرکزی سرکار کو بھیجا تھا۔ یہ جگ ظاہر ہے کہ کس طریقے سے مرکزی سرکار اور موجودہ دہلی سرکار کے رشتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے لئے، محروم معاشرہ کے جو غریب لوگ ہیں، ان کے لئے اپنے اپنے ایگو کو الگ رکھنا چاہئیے تھا اور یہ حق غریبوں کو بہت پہلے ہی مل جانا چاہئیے تھا۔ ابھی بھی یہ صاف نہیں ہے، میں بعد میں کلیرِفیکیشن پوچھوں گا منتری جی سے کہ اخباروں میں ایسی بھی خبریں چھپی ہیں کہ ابھی صرف 100 لوگوں کو ان کی رجسٹری دی جائے گی۔ اب یہ بات کتنی سچ ہے، کتنی نہیں ہے، میرے پاس اخباروں کی کٹنگ ہے۔ آج کل میڈیا پر یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ کئی جگہوں سے خبریں آتی ہیں کہ میڈیا پوری طرح سے سرکار کے خلاف نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن اچھے انگریزی کے اخباروں میں میں نے اسے پڑھا ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو غریب کے بارے میں سوچنا چاہئیے۔ اُتر پردیش کے اندر بہن کُماری مایا وتی جی وزیرِ اعلیٰ تھیں، اور انہوں نے سورگئیے کاشی رام جی کے نام سے ایک اربن مِشن چلایا۔ آج بھی اُتر پردیش کے اندر کاشی رام کالونیز الگ۔الگ ضلعوں میں بنی ہوئی ہیں۔ میری آپ کے ذریع منتری جی سے گزارش ہے کہ میرے خود کے پارلیمانی حلقہ امروہہ میں کاشی رام کالونی پوری طرح بنی ہوئی ہے اور کئی سالوں سے وہ بن کر تیار ہے۔ وہ سرکار کا پیسہ ہے وہ ٹیکس پیئر کی منی ہے۔ آج مرکز میں آپ کی سرکار ہےاور اُتر پردیش میں بھی آپ کی سرکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور اُتر پردیش سرکار سے پوچھیں کہ آخر کاشی رام کالونیز میں الاٹمینٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیوں غریبوں کو گھر نہیں دئیے جا رہے ہیں۔

Page No. 359-B

محترم چیرمین صاحب، یہ چرچا ہو رہی تھی کہ دہلی میں میٹرو ریل کس نے چلائی۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے اُدگھاٹن کے دوران بھی دیش کی میڈیا نے اس بات کو اُچھالا تھا کہ کون اس کا افتتاح کرے گا۔ اس پر بہت بحث چل رہی تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میٹرو ریل کا سروے 80 کے دشک میں ہوگیا تھا۔ وہ فائل دھول میں پڑی تھی۔ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ اور جب مانننئے منتری جی جواب دیں تو اس کا نوٹس لیں کہ پہلی بار میٹرو ریل کے لئے بجٹ کا اگر کسی نے ایلوکیشن کیا تو متحدہ مورچہ کی سرکار نے کیا اور اس وقت دیوے گوڑا جی وزیرِ اعظم تھے، جنہوں نے پہلی بار دہلی میٹرو ریل کے لئے بجٹ کا ایلوکیشن اپنی کیبنیٹ میں کیا تھا۔ میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ صرف غریبوں کی بات کرتے ہیں، معاف کیجیئےیہ جو دو قامی پارٹیز ہیں، انہوں نے غریبوں، دلتوں، کے لئے سوائے نارے بازی کے اور کچھ نہیں کیا ہے ۔(مداخلت)۔۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے لئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ غریبوں کے لئےکوئی بھی بِل لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کسانوں کے لئے کوئی بھی بِل لانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ نیت صاف رکھیئے۔ آپ کی نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ نے اتنے دنوں تک کچھ نہیں کیا لیکن جب دہلی کا چناؤ آیا تو آپ یہ بِل لے کر آ رہے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ (مداخلت)۔۔۔

محترم، میں اس زبان کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، جس زبان کا استعمال میرے معزّز ساتھی نے کیا ۔۔ (مداخلت)۔۔۔

میں ایسی زبان کا استعمال نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ان کی تہذیب ہو سکتی ہے کہ وہ وزیرِ اعلیٰ کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں۔ میں سبھی وزرائے اعلیٰ کا چاہئے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں انہیں عزت کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں۔ وزیرِ اعظم چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں ، کیونکہ وہ ملک کے وزیرِ اعظم ہیں، وہ کسی ریاست کے وزیرِ اعلیٰ ہیں ان کے لئے میں ایسی زبان کا استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ جو انداز ان کا ہے میں وہ آچرن وہ انداز نہیں دکھا سکتا ہوں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دہلی کے غریبوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی نیت صاف کیجئے۔ اگر آپ حقیقت میں غریبوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں تو اس ادھورے بِل میں ابھی بہت کچھ سُدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ

(ختم شد)

(1540/SNT/ASA)

1540 hours

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Hon'ble Chairman, Sir thank you very much for giving me the opportunity to speak on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorized Colonies) Bill, 2019

I welcome this bill. Primarliy, two issues are taken care of through this bill. One is about the Residents of unauthorized constructions and the Unauthorized colonies.

At the outset I would like to point out that this bill is brought keeping an eye on the upcoming election. It is known to all.

However, I would like to say that this bill should not confine only to the territories of the National Capital Delhi. I personally feel that this bill should have a broader view keeping in mind the announcement of hon'ble Prime Minister to provide Housing for All by 2022 to every homeless people in the entire country, whereas, the scope of this bill is restricted only to the residents, who have constructed houses in the unauthorized colonies in the NCT Delhi.

I would like to state that the issue of unauthorized construction and unauthorized colonies can be seen everywhere, both in urban and rural areas of the country. Buildings are constructed outside the purview of the City or Town Planning authority. Since these residents have built their houses in unauthorized colonies, a number of shortcomings and impediments are being faced by them even to construct the houses on their own. Mainly, they are unable to get any benefits from the government scheme and they are also deprived of many facilities.

That is why I feel that, if the government had taken a comprehensive view to expand the scope of the bill to make it applicable to the entire country, it would have been a step forward to realize the dream of the hon'ble prime minister to ensure housing for all.

While moving the bill the hon'ble Minister mentioned that intention of the government is that under the Pradhan Mantri Awaz Yojna a grant of Rs.1.50

* Original in Kannada

lakhs is given to each the beneficiaries to construct a house and also to provide interest subsidy on the loan raised by the resident to construct it.

I am aware as to why the government is bringing this bill only for Delhi and at this point of time to take the approval of the house.

However, this issue of unauthorized colonies and constructions has become a matter of concern for everyone and everywhere, that too after the independence of the country. There is a rapid urbanization in the country every year, all the towns and cities suffer from the mushrooming of unauthorized constructions and colonies. All the hon'ble members of Lok Sabha are very well aware of this fact. There are difficulties like getting a Khata or the Mutation of the property, getting bank loan on the property, as the documents of unauthorized colonies are invalid. However, some state governments took steps to amend the revenue act time and again to modify the rules. But, there are interventions but the courts and the amendments could not be effective. Due to judicial interventions the state government could not pursue the issue of unauthorized colonies and unauthorized constructions.

If the union government is really serious to implement the Prime Minister's Housing a scheme for all in an effective manner, I would like to suggest you to convene a Joint meeting of all Hon'ble Chief Ministers and Hon'ble Ministers for Housing of all the states of the country and discuss the issue thoroughly to find effective steps to put an end to the problem of unauthorized colonies and unauthorized constructions.

Through bill you are making an experiment to find solution to the problems of unauthorized colonies and unauthorized constructions in NCT Delhi However, but it is not sufficient to think of only for NCT Delhi, instead, the government needs to think in a broader perspective to take care of the problems, that are plaguing in all the states in the country. Hence, there is need to bring a comprehensive bill far regularizing the unauthorized construction in all the 30 states of the country irrespectively whether it is Rural area or Urban area. This would certainly help to ensure the successful implementation of the Housing for All, which aims to provide a house to every homeless persons in the country.

I would like to mention that during the tenure of shri Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka, our government amended the Revenue Act of the

state to introduce section 94 and 94 C to ensure the ownership rights to the residents those who constructed houses on the government land.

As far as Slum Board is concerned, this is the matter of great concern that in the number of Slums are increasing everywhere in the country. There are so many impediments to construct houses in Slums., which have mushroomed on both private and government lands. As far as the government is concerned whether it belongs to any department like Railways or the Defence or the Environment and Forest, in wchich slum dwellers have been residing there for more than forty to fifty years. A large number of slum dwellers are there in my Lok Sabha constituency too.

About two months ago, the railway officials demolished unauthorized dwelling units of the residents of my Parliamentary constituency as the land belongs to the Indian Railways.

On the one hand the government is announcing to provide house to everyone and on the other hand the constructed houses are being demolished. Therefore apart from giving ownership rights to the residents of a Lay outs and private colonies, I would like to suggest that the government should contemplate to grant ownership rights to the poor people, those who construct their dwelling unit on the government land also.

I will once again urge the government to take all necessary measures to bring a comprehensive law to cover all the poor, who built houses in unauthorized manner and who are residing in unauthorized colonies, in all the states to enable them to get the rights of ownership and also to fulfill the objectives of Housing for All scheme in the country.

With these words, hon'ble Chairman sir, I, thank you once again once again and support this bill.

(ends)

(1545/RAJ/GM)

1545 बजे

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है। दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति यही भाव रख रहे हैं कि मोदी जी, दिल तो एक है, कितनी बार जीतोगे। आज हम जिस बिल पर बहस कर रहे हैं, इस पर दिल्ली के लोगों को वर्षों से आशा लगी थी, उस पर दिल जीता है, क्योंकि जब कैबिनेट से यह मुद्दा पास हुआ था, तो इसकी भनक लग गई थी। कई लोग शंका में भी हैं और शंका में इसलिए हैं कि दिल्ली में जो सरकार है, वह फेक न्यूज के आधार पर लगातार लोगों में भ्रम फैलाती रहती है, उसके कारण जब हम लोग दिवाली में गलियों में गए थे, तो लोग हमें खींच रहे थे कि आओ, हमारे साथ दिया जलाओ। उनको लगा कि दिवाली डबल हो गई। अभी तक न जाने कितने लोग घर के इल्लीगल स्टेटस में ही संसार से चले गए। जब हम इस बिल का पहली लाइन पढ़ते हैं कि पिछले कई दशकों के प्रवास और अन्य कारकों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आए हुए, परप्रान्त से आए हुए और पार्टिशन के बाद इस दिल्ली में आए हुए, सभी को याद है, यहां बैठे हुए हम सभी सदस्यों को याद है कि जब हमारे देश का वर्ष 1947 में विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आए और दिल्ली में रहे। हरदीप सिंह पुरी जी भी अपना दर्द बता रहे थे कि इनका जन्म भी ऐसी ही परिस्थिति में, ऐसी ही कालोनी में हुआ। कैसे-कैसे हरदीप पुरी जी यहां तक पहुंचे हैं, इसके दर्द को जानना है तो इस बिल के महत्व को जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। पार्टिशन से लोग आए, घर बनाए, यहां-वहां रहने लगे, कानून नहीं था। फिर परप्रान्तों से आए। हम इस बिल के महत्व को दो पक्ष से देखेंगे। जो दूसरे प्रान्तों से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, हिमाचल प्रदेश से आए, उत्तरांचल से आए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहां हर जगह से लोग आए हुए हैं, यहां बैठे हुए हर सदस्य का इस बिल से कुछ न कुछ रिश्ता है। आज रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, तो मैं उस पक्ष की बेचैनी देख रहा था।

सभापति महोदय, रमेश बिधूड़ी जी की कोई भी लाइन सत्य से जरा भी इधर-उधर नहीं थी। हां, जरूर उसको सुनने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ इसलिए होती हैं, क्योंकि वह चुभती है। वह चुभती इसलिए है कि जैसे ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात आती है, वे सारे नाम याद आते हैं। अभी भी कई माननीय सदस्य लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिन बाद ही केन्द्र ने यह क्यों किया, इसका भी जवाब हमारे रमेश बिधूड़ी जी ने दिया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हां, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार और उसके …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ने फेक न्यूज फैला रखा, हम उसके लिए यह जरूर कहना चाहेंगे कि वर्ष 2017 की दिल्ली के मुख्य मंत्री की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डिमार्केशन का काम दो साल में करेंगे, वह पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसे पढ़ने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक दिन अखबार में उसका इश्तहार निकलवा दीजिए, दोनों चिट्ठियों को छपवा दीजिए, क्योंकि लोग इस पर बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरी चिट्ठी वर्ष 2019 में लिखी गई।

(1550/VB/RSG)

2019 में भी यह सरकार बैठी नहीं। वर्ष 2014 में जैसे ही प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पद पर बैठे हैं, चूँकि उन्होंने गरीबी में जीवन गुजारा है, उन्होंने अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के दर्द को स्वयं जीया है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए, दिल्ली सरकार को कहा कि आप इसका जल्दी निराकरण करें, इसकी मैपिंग करें, हम इसे करने को तैयार हैं। वे दोनों चिट्ठियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। मुझे आज यह भी पता चला है कि दिल्ली के मैक्सिमम लोग अपनी-अपनी नौकरियों पर न जाकर लोक सभा की कार्यवाही देख रहे हैं। हमें इसके बारे में कई सन्देश आ रहे हैं।

इसलिए उनको पता होना चाहिए कि दोनों चिट्ठियाँ, जो वर्ष 2017 और वर्ष 2019 में जवाब के रूप में मंत्री जी को आई हैं, …(व्यवधान) जी हाँ, अब वह तो जगजाहिर है। वह मेरे मोबाइल पर भी है, रमेश बिधूड़ी जी ने तो पढ़ भी दिया। मैं उन चिट्ठियों के संदर्भ में माननीय सदन को और पूरे दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी जब यह कैबिनेट से पास हुआ, तो दिल्ली सरकार का पहला रिएक्शन बड़ा इंट्रेस्टिंग था। उन्होंने पहला रिएक्शन यह दिया कि यह काम तो मोदी हमारे दबाव में ही कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हुए और कहा कि कोई बात नहीं, आपको यह तो लगा कि यह मोदी जी कर रहे हैं। दबाव का ही यह नतीजा था कि आपने पहले एक साल में ही इसे करने का वादा किया था। यह दबाव का ही नतीजा था कि आपने दो-दो बार कहा कि हम दो साल का टाइम लेंगे और वर्ष 2019 में बोलते हैं कि हम इसे वर्ष 2021 से पहले नहीं कर सकते हैं। वह चिट्ठी है।

अब जब सवाल उठेगा, तो उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के क्या-क्या दर्द थे, उन पर आज इस सदन में जरूर चर्चा होनी चाहिए। अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में कोई बैंक नहीं खुल सकता था। जब हम सांसद के रूप में इन अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में जाते थे, तो सबसे पहली डिमाण्ड यही होती थी, लोग कहते थे कि सांसद जी, एक बैंक खुलवा दीजिए। तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ बैठे हैं, ये बातें इनके सामने ही हुई थीं। इन्होंने कहा था कि चिन्ता मत कीजिए, हम इस पर कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि हमें इतनी देर क्यों हुई, हम उनको बड़ी विनम्रता से बताना चाहते हैं कि 20 साल से बीजेपी दिल्ली सरकार में नहीं है। इसलिए रेस्पांसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी।…(व्यवधान) आप देखिए, आप जितनी तरह से भी बात को घुमाइए, लेकिन सच्चाई यह है कि …(व्यवधान) यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं है सर। हमारी सरकार के मिनिस्टर ने दो-दो बार लोकल गवर्नमेंट से कहा कि आप डिमार्केशन करके दीजिए। जब उन्होंने दो बार डिनाइ किया, दो-दो साल का मौका देकर, मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिल्ली के लगभग 70 लाख लोगों के दर्द को समझा है दानिश भाई। …(व्यवधान)

उनकी परेशानियाँ क्या थीं? उनकी ये परेशानियाँ थीं कि उनके यहाँ बैंक्स नहीं खुल सकते थे। कॉलोनियों में जो वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, वे नहीं खुल सकती थीं। सबसे बड़ी यह बात है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं- हे माँ, हे पिताजी, एक घर बना देना ताकि हम कुछ न करें, तो उस घर से ही आगे के लिए कोई व्यवसाय कर सकें, उसको मॉर्गेज रख सकें। लेकिन उस घर को मॉर्गेज रखने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझता है और

इसे देश तथा दिल्ली के लोग भी समझते हैं। जब किसी का अपना घर होता है, किसी का मालिकाना हक होता है, तो उसकी आने वाली सात पुश्तें यह कहते हुए रह जाती हैं कि मेरे पापा का दिल्ली में घर है। उस घर को मॉर्गेज रखकर हम पैसे लाएंगे और हम कोई व्यवसाय करेंगे। ऐसी व्यवस्था से ये कॉलोनियाँ महरूम थीं। आज नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनका निराकरण कर दिया है।

सभापति जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो राजनीति में आना सफल हो गया है।

(1555/PC/RK)

मेरा घर बिहार में है। मेरी पढ़ाई-लिखाई बीएचयू, वाराणसी में हुई। मैं यहां आया, तब मैं यह बात सोच रहा था। …(व्यवधान) मैंने मुंबई में काम किया। उस समय हमारे सीपी, पुलिस के मुखिया सत्यपाल जी होते थे। मैं यहां आया, अपने साथियों के साथ बैठा, अब जाकर लग रहा है कि जो लोग गांव छोड़कर, खलिहान छोड़कर, बूढ़े मां-बाप को छोड़कर रोजगार के चक्कर में यहां आए, आज उनके लिए जो मोदी सरकार ने कर दिया, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे एक साथी हैं ही नहीं, उसके लिए दिल्ली जो धन्यवाद दे रही है, वह हम शब्दों में यहां नहीं बता सकते।

सभापति महोदय, मैं यहां एक दर्द बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है - पिछले कुछ दशकों में प्रवास और अन्य कारकों से आए हुए, ये अन्य कारक क्या हैं? कैसे लोग आए? ये अन्य कारक हैं कि वे लोग रोजगार के लिए आए। वह दिन कलेजा चीर देने वाला था, जब इसी *… (Not recorded)* …(व्यवधान)

महोदय, इसलिए इस बिल का महत्व है। …(व्यवधान) लेकिन इस बात को आप समझिए, जो लोग दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं, जो लोग पार्टिशन के बाद आए, उनके लिए इतने छोटे स्तर का बयान? वह कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्य मंत्री ने दिया, जिनको इस दिल्ली के उन ही लोगों ने मुख्य मंत्री बनाया। उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद आज इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने जो सुख दिया है, जो खुशी दी है, उसके लिए तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जाए तो वह भी छोटा पड़ जाएगा।

महोदय, मैं इस लाइन को कन्डेम करता हूं, लेकिन आज मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि जितनी परेशानियां थीं, उनके बाद क्या लाभ हुए, क्योंकि उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने फ्री में घर नहीं बनाया। उन्होंने सीमेंट खरीदा, बालू खरीदी, ईंट खरीदी, सब कुछ खरीदा, लेकिन उन्होंने जो पैसा लगाया, वह पैसा नहीं आता था। कुछ भी निश्चितता नहीं थी और अनिश्चितता में जीता हुआ इंसान क्या दर्द पाता है, वह हम-आप सभी लोग समझ सकते हैं। थोड़े दिन पहले दिल्ली की इन्हीं अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए के लोगों ने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए जब उनसे समय मांगा तो प्रधान मंत्री जी – जय हो, वे धन्य हैं, उन्होंने अपने आवास पर दिल्ली की अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों के आरडब्ल्यूएज़ को बुलाया। उसमें बोलते-बोलते उन्होंने यह बात रखी, प्रधान मंत्री जी ने यह लाइन कही कि दूसरे लोग चाहे अपनी जिम्मेदारी उठाएं या न उठाएं, यह सरकार गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकती। तब हमें लगा कि हमें अपना लक्ष्य मिल गया, हमें अपना वजूद मिल गया।

1559 बजे (श्रीमती मीनाक्षी लेखी <u>पीठासीन हुईं</u>)

सभापति महोदया, इससे क्या-क्या लाभ होने वाले हैं? आज इस सदन में जितनी चर्चा होगी, उसे पूरी दिल्ली देखेगी। इसका जो बैस्ट लाभ है, उसके बारे में मैं आज सदन को थोड़ा बताना चाहता हूं। हम जब अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों में जाते हैं तो वहां छोटा ग्राउंड भी नहीं होता है, कम्युनिटी सेंटर नहीं होता है। उनका भी मन होता है कि हमारी कॉलोनी चमकदार हो, हमारी कॉलोनी में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनें। इस बिल के बाद जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, वह रीडेवलपमेंट का काम है। मैं बहुत दिन मुंबई में भी रहा। मुंबई ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के लिए जाना चाहता है। हम लोग उस पर गाने भी बनाते थे, देखते थे, कहते थे, लेकिन दिल्ली की इन अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों में इतनी बदतर ज़िदगी क्यों है?

हमारे एक भैया ने गलती से उसको मलिन बस्ती कह दिया, लेकिन उनके भाव में जाइए तो उसके लिए वह शब्द गलत नहीं, वहां की ऐसी व्यवस्था थी कि हम वहां एमपीलैड फंड नहीं लगा सकते थे। हम जाते थे, वहां बैठते थे, उनसे पूछते थे कि क्या हुआ? वे कहते थे कि एमपी साहब दे दो, हम कहते थे कि हां, ले लो, बजट दे दो, लेकिन हम एमपीलैड फंड नहीं लगा सकते थे। अब क्या होगा? इस बिल के पास हो जाने के बाद वे कॉलोनियां आपस में मिलकर सोसायटी बनाएंगी और सोसायटी बनाने के बाद उनकी रीडेवलपमेंट शुरू होगी। रीडेवलपमेंट होगा तो उन ही कॉलोनियों में ग्राउंड भी बनेगा, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा और लोग कहेंगे, धन्यवाद मोदी जी, आपको दिया हुआ हमारा वोट वसूल हो गया।

(1600/KDS/PS)

हमारे कई साथियों ने कहा कि वर्ष 2012 में प्रोविजन आया, वर्ष 2015 में दिल्ली के मुख्य मंत्री जी भी कुछ लाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप सबको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में तत्कालीन कांग्रेस की मुख्य मंत्री द्वारा प्रोविजन लाया गया और वर्ष 2015 में इन्होंने एक झांसा दिया, उसमें भी मालिकाना हक नहीं था। वह लोग तो सिर्फ चुनावी जुमले करते थे, हम तो चुनाव से पहले ही कर रहे हैं। पहली बार यह देश देखेगा कि लोग चुनाव में वादा करते थे, हम करने के बाद चुनाव में जाएंगे। हम ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं। हमारे रेड्डी साहब और मारन साहब, जो चले गए हैं, इन्होंने कई बार कहा -'डेरोगेटरी वर्ड'

महोदया, अगर डेरोगेटरी शब्द से इतनी परेशानी है तो थोड़ा राहुल गांधी जी को समझाइए। उनको समझाइए कि डेरोगेटरी वर्ड्स क्या होते हैं और किसी को सम्मान देने के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कुछ लोग फीस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं फीस पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जिस रेट पर इन घरों की रजिस्ट्री होगी, उसकी पड़ताल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तो न के बराबर है, क्योंकि ऐसा होने से पहले हम लोग जो सर्वे कर रहे थे, तो हम पूछते थे कि कितना रेट होना चाहिए? उन्होंने मुझे जो रेट बताया था, वह बताता हूं। लोगों ने जो रेट मांगा था, उससे 40 गुना कम, यानी न के बराबर यह रजिस्ट्री होने जा रही है, जिसके लिए मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी को और नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

(1600/KDS/PS)

महोदया, इसके न होने के नुकसान से अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप सबको पता है कि दिल्ली में किस प्रकार से सीलिंग का दर्द शुरू हुआ। दिल्ली में 351 सड़कों को मुख्य मंत्री जी द्वारा नोटिफाई करना था कि ये कॉमर्शियल हैं, रेजीडेंशियल हैं या ये मिक्स्ड हैं? दिल्ली सरकार में जो लोग थे, वे न जाने कौन सी डील में लगे हुए थे कि उन्होंने 351 सड़कों को तब नोटिफाई नहीं किया। अब तो 1200 से ज्यादा सड़कें तैयार हैं, लेकिन ये अभी भी यह नहीं बताते हैं कि ये सड़कें कॉमर्शियल हैं, रेजीडेंशियल हैं या ये मिक्स्ड हैं? इसका फायदा कुछ गलत अधिकारी, कुछ गलत लोग लेते हैं और वे जाकर सीधे सील कर देते हैं। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में घरों के नीचे जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, उनको भी वे सील कर देते थे। इस बिल के आने के बाद सारी दुकानें भी सुरक्षित हो जाएंगी। दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को यह भी एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है।

महोदया, मैंने सीलिंग का विरोध किया था। मैं ही वह व्यक्ति हूं। हम लोगों ने सीलिंग तोड़ी थी। हम लोग कोर्ट में लड़े थे। हमने कहा था कि किसी के साथ पिक एण्ड चूज नहीं होना चाहिए। दिल्ली की वर्तमान सरकार और इससे पहले वाली सरकार भी न जाने क्या-क्या करती थी, यह मेरी समझ के बाहर है। मैं बड़ा सीधा-सादा आदमी हूं, इसलिए सीधा बोलता हूं, सीधा सोचता हूं, सीधा देखता हूं और सीधा चलता हूं। मुझे भी कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ा। इन सारे तथ्यों के बीच यह दर्द मिटाने वाला कोई बिल अगर आ रहा है, तो वह यह बिल है, जिसके लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को न सिर्फ यह पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी धन्यवाद देने वाली हैं। ऐसा वही कर सकता था, जो गरीबी को समझता है, जो गरीबों को समझता है। अभी न जाने और कितनी बातें आएंगी। भगवंत मान जी यहां से चले गए। वह बार-बार दौड़कर इतना बेचैन हो जाते हैं कि …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) आप सोचिए कि फेक न्यूज कैसे फैलाई जा रही है? जब इस योजना का नाम 'पीएम उदय योजना' पड़ गया तो बोले कि ऐसा मेरे दबाव में हो रहा है। इस योजना का पूरा नाम है- 'प्रधान मंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन दिल्ली अधिकार एवं आवास योजना'।

(1605/MM/RU)

पीएम उदय, जैसे ही यह नाम आया, हमारे गांव में जोंक होती है, वह जानवरों और भैंस को लग जाती है। वह खून चूसती है। उसको ईंट से कूटेंगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप उस पर थोड़ा नमक डाल दीजिए। पीएम उदय योजना जोंक पर नमक की तरह है। वह जैसे ही आयी, दिल्ली के *… (Not recorded)* चिल्लाने लगे कि ये धोखा दे रहे हैं। मैं उस तरह से नहीं बोल सकता हूं। मैं एक्टर तो हूं लेकिन उनकी एक्टिंग के सामने, वह चिल्ला-चिल्ला कर बोलने लगे कि यह सरकार धोखा दे रही है, धोखा दे रही है। हम लोगों ने पूछा कि इसमें क्या धोखा है? यह बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने बोला कि इस सत्र में तो यह बिल लाने की कोई चर्चा ही

नहीं है। आज जो भी लोक सभा की प्रक्रिया को सुन रहा होगा, यह बिल हमारे हाथों में है और यह बिल नरेन्द्र मोदी जी सरकार लेकर आयी है। उन लोगों को, पता नहीं यह बोलना पार्लियामेंट्री है या नहीं, लेकिन *… (Not recorded)* अगर गलत होगा तो काट दीजिएगा। …(व्यवधान)

महोदया, यह फेक यूज़ का कितना बड़ा गिरोह है? आज आदरणीय शीला दीक्षित जी इस संसार में नहीं हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। हमने आमने-सामने चुनाव लड़ा था। बेशक हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव रिजल्ट के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मेट्रो की बात रेड्डी साहब ने कही है। मैं बड़ी ईमानदारी से, मैं एक गांव से आता हूं और मेरे पिता जी भी गांव के किसान थे। उन्होंने मुझ से उस मुलाकात में कहा था कि मनोज, मैं अटल जी के पास जाकर बैठ गयी और मेट्रो का काम शुरू हो गया। वही बात रमेश बिधुड़ी जी कह रहे थे। वह योजना को शुरू करने के लिए तारीफ कर रही थीं …(व्यवधान) बिलकुल प्रधान मंत्री थे और इसी नाते केन्द्र और राज्य का आधा-आधा होता है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Nothing is going on record. All this is not going on record.

… (Interruptions)… (Not recorded)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): आप देखिए कि 15 साल में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उनका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, *… (Not recorded)* ने, अभी एक आरटीआई डाली गयी थी कि कितना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया गया, 15 साल में 79 करोड़ रुपये खर्च किए गए। भाइयो-बहनो आप लोग नोट कर लेना। 15 साल में उन्होंने 79 करोड़ रुपये खर्च किए और इस वर्तमान सरकार ने केवल इसी टर्म के चार साल में ही 311 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद आज तक जोड़ लीजिए तो यह चार सौ करोड़ रुपये के पार हो चुका है। क्यों, क्योंकि इनको फेक न्यूज़ फैलाना है। क्यों, क्योंकि इनको मीडिया को धोखा देना है। क्यों, क्योंकि इनको दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकनी है। सरकारें 60 महीने की होती हैं साहब, सरकारें तीन महीने की नहीं होती हैं और यह तो अच्छा हुआ। इसलिए मैं इस फेक न्यूज की फैक्ट्री वर्तमान दिल्ली सरकार को और कल से और अभी भी बाहर थोड़ी देर पहले तक, एक अलग ढिंढोरा पीट रहे हैं। रोज वह यही कोशिश करते हैं कि अनोथोराइज्ड कालोनी किसी तरह से पास न हो। मैं ऐसे सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं, शायद आप भूल गए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, गरीबों का काम मुमकिन है, ईमानदारों का काम मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।

(1610/SJN/KKD)

सभापति महोदया, इसी संदर्भ में इस बिल में एक लाइन लिखी गई है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि 'अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां और जमीनी

वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है'।...(व्यवधान) महोदया, मैं बस दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कई ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों के लोगों को जानता हूं, जिनकी बेटियों की शादियां रूक रही थीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने घर बनाए हैं। जब उनकी बेटियों की शादी की बात होती है, तो कई लोग यह सोचते हैं कि वे अप्राधिकृत कालोनियों में रहते हैं और उनकी कालोनियों में सारी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में वे आज जीवन जीने जा रहे हैं, जिसकी शुरूआत हो रही है, अप्राधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए नरेन्द्र मोदी जी मात्र प्रधान मंत्री ही नहीं, बल्कि नरेन्द्र मोदी जी इस देश के एक बड़े समाज सुधारक के रूप में भी याद किए जाएंगे। हम इस बात की खुशी प्रकट करना चाहते हैं।

महोदया, मुझे पता है कि इन सभी सिस्टमों के बीच वर्ष 2015 में जो दिल्ली डेवलेपमेंट एक्ट शुरू हुआ था, उसकी खुशी के साथ-साथ हम जैसे लोगों को, चूंकि यह तभी संभव हुआ है, जब दिल्ली ने सात के सात सांसद दिए हैं और सातों एक ही नोट पर बात करते हैं। सभापति महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी उसी सात सांसदों का एक अंग हैं। सभी लोगों ने इस पर एक स्वर में बात की है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के इस काम को जिस प्रकार से जनता याद करेगी और इसको याद करना भी चाहिए। हम केवल उसके लिए ही खुश नहीं हैं, बल्कि हम इसलिए भी खुश हैं कि आगे आने वाली सात पुश्तों के लिए हमने दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था दे दी है, जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, हरदीप सिंह पुरी जी के यूडी मिनिस्टर रहते हुआ है और हम सभी के सांसद रहते हुआ है। यहां से आगे जाने के लिए न जाने कितने रास्ते खुलेंगे, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम वर्ष 2022 तक सबको घर दे देंगे।

महोदया, घर तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला घर, जिनके पास छत ही नहीं थी। दूसरा घर, जिनके पास घर थे, लेकिन कच्चे थे, वे बारिश में टूट जाते थे। तीसरा, यह भी घर था, लेकिन उसको घर नहीं कह सकते थे, लिख नहीं सकते थे, उस पर अधिकार नहीं था, उसको बेच नहीं सकते थे, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, मार्गेज़ नहीं रख सकते थे। महोदया, मैं समझता हूं कि जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने आज वास्तव में दिल्ली के 60 लाख लोगों को छत देने का काम किया है। मैं उसके लिए भी माननीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1613 बजे

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब चेयरपर्सन साहिबा, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है, तो जाहिर सी बात है कि हम सबकी दिलचस्पी इसमें है कि यह जो कानून है, इस कानून से किसको लाभ मिल सकता है और इस कानून की मंशा क्या है? हर दिन हजारों लोग हिन्दुस्तान के मुख़्तलिफ़ हिस्सों से अपनी आंखों में सपने सजाए हुए दिल्ला का रुख करते हैं, ताकि अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकें।

महोदया, गालिब ने कहा था कि – 'हमने माना रहेंगे दिल्ली में लेकिन खाएंगे क्या'। आजकल तो खाने की बात नहीं है, आजकल तो शहरी सहूलियात की बात है। ये कितनी तकलीफ की बात है कि दिल्ली में 50 लाख लोग बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम हैं। अब जब उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम सब उसका स्वागत करते हैं।

Hon. Chairperson, I rise here to support the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019. However, there are a couple of reservations.

In the first place, I would like to know and this House has an interest to know: why was the matter delayed for too long? This Government has been in place for the last six years. When was the proposal actually received? When was the Resolution by the Delhi Assembly passed and when was the work started on it?

Whatever explanation has been given by the hon. Minister is not convincing because it was a decision, which was to be taken, in principle.

(1615/RCP/GG)

You decide to regularise unauthorised colonies; you take a decision in principle and then you just go to the modalities and the methodology. It was not that the methodology should have been decided on day one.

Then, why should we stick to a deadline of 24th March, 2008? See, this Bill is presented before the House after 11 years. Should we still adhere to the statistics of 2008? That needs to be explained. Are the lists up to date, prepared as on date or is it the list that was notified way back in 2008 or somewhere after 2008, that is immediately thereafter?

See the definition of 'resident'? Definition of 'resident' is given in Clause 2(a). It is again gender neutral. Rights are to be conferred on a resident. Who is a resident? Can we afford to be oblivious to the fact that the lady of the house contributes to whatever is spent on acquiring property rights in Delhi or

elsewhere? Why should we ignore her? Would it not have been better to confer these rights on a family, on a couple? It is because, you know, most of the time it is the lady of the house who sells her ornaments to help her husband to get the property. This legislation does not address to the issues of gender equality, when she should be made an equal participant or an equal beneficiary in conferment of rights. I do not know what explanation will come from the hon. Minister.

Then, why should you arbitrarily ignore some colonies? The effort is to regularise the irregular colonies. It has nothing to do with whether that colony belongs to some kind of an affluent section of society or the residents of that colony are well off. It is because if you leave out the colonies, the problem will persist. What you are trying to do by this Act is to address the problem. That problem, of late, has assumed menacing proportions and it has been a concern to all of us. But if you leave some of the colonies saying that they belong to the affluent people who are well off, down the line you have again to take care of those colonies. I do not think that it is a reasonable classification when you divide the colonies into the affluent or well off people and the people belonging to the weaker sections. You could, at the most, do one thing. In case of the people who you feel are better off, are not economically deprived, you could have a higher charge for them. But how can you ignore them by having this classification? I would request the hon. Minister to do away with this classification. It is because what I understand is there are 1797 colonies in all and the beneficiaries are 1731 colonies, if the figures are correct. So, these colonies should not be left out.

Thank you, Madam.

(ends)

1619 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Chairperson, Madam, for giving me an opportunity to speak on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

First of all, I would like to appreciate the Minister of State of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri who has formulated this new Bill under the great governance of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi *ji*. This Bill intends to provide a legal framework to grant ownership rights to people living in unauthorised colonies in Delhi and thereby to award the rights to 1731 identified colonies spread over 175 square kilometres of the National Capital which is inhabited by 40 lakh people from the lower income group.

According to this Bill, the ownership rights will be given on the basis of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter and other documents including papers evidencing payment of consideration through a conveyance deed or authorisation slip.

(1620/SMN/KN)

The applicants will have to simply register by applying online, duly uploading the required documents such as general power of attorney, payment receipt, possession letter, etc, and thereby making it as 'recognised' to facilitate development or redevelopment to improve the existing infrastructure, civic and social amenities which will lead to better quality of their life.

Through this, the Delhi residents can start applying for ownership rights from 16th December and would receive ownership certificates within 180 days.

Apart from the above, the Union Government announced the 'Housing for All' mission for urban areas, which will provide central assistance to implementing agencies through States for providing houses to all the eligible families and is to be completed in a phased manner before 2022.

The said Mission was launched by our hon. Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji in June, 2015, supporting construction of houses, across the country.

Accordingly, in my State of Tamil Nadu, our beloved leader late Puratchi Thalaivi Amma's Tamil Nadu Vision 2023 is implemented successfully by the hon. Chief Minister Shri Edappadi K. Palaniswami and hon. Deputy Chief Minister through Shri O. Panneerselvam. The strategic long-term plan envisages the provision of houses for all urban slum families in Tamil Nadu and will make the cities/towns slum free before 2023. Under this programme, housing and infrastructure would be provided to all urban slum families in Tamil Nadu at a cost of Rs. 65,000 crore.

Our Tamil Nadu Government had planned to implement the construction of houses for the slum families and urban poor in 666 towns in Tamil Nadu during 2015-2022 under 'Housing for All Mission'.

I am once again thankful to the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and hon. Minister for approving the inclusion of 191 towns in this programme under phase-1 during this current fiscal year.

I would also request through you Madam to the hon. Minister to immediately release the pending amount for the Tamil Nadu Housing and Slum Clearance Schemes. I would also congratulate the NDA Government led by our hon. Prime Minister who is always thinking and working to provide better and quality life to the poorest of the poor and thereby adhering the famous slogan *'Elayin siripil iravanai kaanpom*'. The meaning of this slogan is that we can see the God by having a smile on the face of the poor. My AIADMK party's great leader and former Chief Minister of Tamil Nadu Annadurai has pronounced this slogan. Our Prime Minister enlightened the lives of the poor. Now, the Delhi people are praising our Prime Minister as a God.

Keeping in view the socio-economic conditions of the residents of these unauthorised colonies in the nation's capital, it is the need of the hour to consider positively and to pass this Bill.

Accordingly, I support this Bill. Thank you.

(ends).

1624 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Madam Chairperson for affording me this opportunity to take part in the discussion on a very important Bill as far as Delhi is concerned.

Madam, it is a very belated Bill but I fully agree with the Government. It is 'better late than never'. But when we draft a Bill and present the Bill before the House, the Bill should be *pucca* and it should be a foolproof Bill that should give benefit to the poor people of the Delhi's unauthorised colonies.

Sir, first of all, I would like to state that the Bill is hurriedly drafted. It is ill-drafted. Scrutiny has not been done of the contents of the Bill. I am not going into the politics of Delhi between Aam Aadmi Party, BJP and other political parties. I am fully confining to the particular Bill.

(1625/MMN/CS)

I support the spirit of the Bill. Since it is providing the ownership and titleship to the poor residents in unauthorised colonies; I fully support it. There is no doubt about it. But at the same time, election is coming to Delhi very soon. You have hurriedly drafted a Bill by which the legitimate right is going to be conferred. Whether this legitimate right can be conferred upon the poor people is the question which I would like to ask the hon. Minister.

I am fortunate, Madam, you are there in the Chair. As a very eminent lawyer of the Supreme Court, I feel, you can very well understand this, Madam. What is actually the Bill? Clause 3(1) of the Bill says, 'notwithstanding anything contained in the Indian Stamp Act of 1899, Registration Act of 1908 and also the Income-tax Act of 1961..". Three Acts are exempted because the notwithstanding provision is there. Also, the Supreme Court judgement in *Suraj Lamp & Industries Private Ltd., Vs. State of Haryana* has also been overruled. It is overriding the dictum of the Supreme Court judgement. These are the four things we are exempting.

But what is the law by which transfer of property is taking place in our country? The basic law relating to the transfer of property is the Transfer of Property Act. Transfer of property, mortgage, agreement for sale—all these transactions basically come within the purview of the Transfer of Property Act. The Transfer of Property Act is still there. How can you transfer a property,

without having a registered document, to a particular person or without complying with the provisions of the Transfer of Property Act? How can you confer a title upon a person? That is why, I am saying that if your intention is *bona fide*, if you want to give due benefit to the poor people of Delhi, who are residing in the unauthorised colonies, then it should be a foolproof legislation. To my limited knowledge of law, I feel or I apprehend that this is lacking. There are so many legal provisions lacking in this Bill so as to give the due benefit to the poor people.

Also, I would like to say that you are overriding all these provisions. Coming to registration, registration is mandatory and compulsory. Registering a document is *pucca.* What is a sale, what is a mortgage, what is an agreement for sale—all these things are defined in the Transfer of Property Act. It is not only in the Stamp Act, not only in the Registration Act, not only in the Income-tax Act but it is there in the Transfer of Property Act also. The Income-tax Act is regarding exemption from the income tax. That is all. But what about the provisions of the Transfer of Property Act by which all the transfers are taking place? That is why, I am saying that it is confusing; it is complicated; and most of the provisions are contradictory also. So, the hon. Minister can kindly have a re-look into the provisions of the Bill whether this Bill will give fruitful benefit to the residents of Delhi or not. That is the first point which I would like to make.

The second point which I would like to make is regarding Clause 3 of the Bill. Kindly have a reading of that. Clause 3, Sub-clause (2) says, "The Central Government may, by notification published in the Official Gazette, fix charges on payment of which..". 'Of which' means what? …(*Interruptions*) Madam, I am not entering into any political debate. Something is missing in that provision. I think whether it is language-wise or whatever may be, this Section leads to nowhere because if you go through the entire Section—I have no time to substantiate it—something is missing because the wording is, 'the Central Government may, by notification published in the Official Gazette, fix charges on payment of which..'. 'Which' means what? Is it that the property which has been transferred? Or, is it that the property which has been mortgaged? Nothing is there. Something is missing in the provision. If you go through the entire Section, it reads further, 'transactions of immovable properties based on the latest..'. This is everywhere. So, there also what I am saying is that it is ill-drafted

and hurriedly drafted; and no thorough and in-depth scrutiny has been done in drafting the Bill. That is why, I am saying that this matter has to be re-looked. Otherwise, the Minister is so confident and convincing that this Bill will stand in law and it is a valid law. Kindly enlighten the House whether the arguments which have been advanced are wrong.

(1630/VR/RV)

The third point is regarding physical possession. You want to provide a title upon a person. What is the definition of 'resident' given in the Bill?

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I may be allowed some time because I am not making any political speech. We are drafting a law and in the legislative process, we have to spare some time.

Madam, 'resident' means, a person having physical possession of property on the basis of a registered sale deed or the latest Power of Attorney. Yes, I do admit it. But, suppose I am the rightful owner of my property and I have leased my house to a tenant on rent. I do not have the physical possession. That means, those who do not have the physical possession, but absolute right, will not be entitled to get a right over the property.

Please also refer to clause 3 of the Bill. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I would like to urge upon the Minister to kindly look into the contents of the Bill. There are many legal lacunae, which have to be rectified.

Once I would like to support the spirit of the Bill whilst the people who are residing in the unauthorized colonies are getting their title rights either by mortgage or by transfer or by any other documents or by means of Power of Attorney.

With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1632 hours

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

Madam, this is not the first time that the ownership rights of unauthorised colonies are being given to its residents. Our hon. former Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi constituted the State Slum Board and handed over the houses to the slum dwellers.

The Bill to give ownership rights to the dwellers of unauthorized colonies is a right step to help the poor. Though it was the election promise of Aam Adami Party, the Bill has been introduced by the BJP Government at the Centre. But the credit goes to Aam Adami Party. Anyhow we have to help the people on the streets.

The property right is for 1,731 unauthorized colonies. Still there are thousands of such colonies. The Government should take steps to consider remaining colonies also.

Apart from giving the property right, the basic amenities like water, light, sewerage system should also be given to these colonies in consultation with the State Government.

A lot of migrant workers come to Delhi in search of employment. They do not have proper shelter to live in. They stay on roadsides and railway platforms. The Government should consider a plan to provide them proper land or shelter.

The Centre has identified many smart cities all over India. Proper hygiene and cleanliness in these smart cities should be maintained. The Centre in consultation with the State Governments should consider to regularise all illegal colonies in these cities because more than 30 per cent of our population live in slums in unhygienic environment. Thank you, Sir.

(ends)

1634 बजे

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले, मसूदी जी ने जो बात कही, उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली देश का दिल है। किसी शरीर के लिए, अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह से उसके दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए भी एक स्वस्थ दिल्ली का होना बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते भी हमने दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में एक अच्छी और गम्भीर चर्चा की।

(1635/CP/RBN)

यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब लोग जो दिल्ली की अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उन्हें बहुत सालों से जो समस्या हो रही थी, उसे ठीक करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी एक अच्छा बिल लेकर आए हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं।

इसमें दो-तीन बातें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वैसे तो बहुत सारी राजनीतिक बातें भी यहां हुईं, उन्हें हमें दिल्लीवालों के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि elections are also nearby. वही देखेंगे कि किसके साथ हैं, किसको पसंद करते हैं, किसने क्या किया, यह सब चुनाव में हमें पता चल जाएगा। हमारा मकसद यह है कि सिर्फ रेग्युलराइज नहीं करना है। It is not just regularising the unauthorised colonies. हमें यह भी देखना है कि और किस तरह से जो उनकी सुविधायें हैं, उनकी जो बाधायें हैं, उन सबको कैसे ठीक करें।

दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां देश के कोने-कोने से लोग काम करने के लिए आते हैं। मेरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम है। I was also very surprised to know that there are lakhs of people from Srikakulam who are residing in Delhi. दिल्ली ऐसी जगह है, जो सबको खींचकर लेकर आती है। एक नयी जिंदगी का सपना दिखा कर, एक नये रास्ते की खोज में बहुत से लोग यहां आते हैं, काम करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि उनका अपना एक मकान हो। मकान सिर्फ इसलिए नही कि कहीं धूप हो या बारिश हो, उसके अंदर रहने के लिए नहीं है, एक मकान होने से उनकी काफी सारी समस्याओं का समाधान उनको मिलता है। मकान होने से उनको लोन लेने का एक मौका मिलता है। मनोज तिवारी साहब बोल रहे थे कि शादी भी इससे जुड़ा हुआ एक मामला है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर जो गरीब लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके लिए मकान एक बहुत जरूरी मामला है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ यहां पर हैं और जिस तरह से वे बनी हैं, तो हमें यह भी नजर में रखना पड़ेगा कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ अनप्लान्ड कॉलोनीज़ भी हैं। यहां पर बहुत सारी सुविधायें बाद में देने के लिए भी बहुत काम हमें करने पड़ेंगे। उन कॉलोनीज़ में स्मार्ट पाइपलाइन हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फायर सेफ्टी हो, ग्रीन कवर हो, ये सब इन कॉलोनीज़ तक पहुंचाने के लिए एक सख्त प्लान बनाने की भी बहुत जरूरत है। हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये बिल लाए हैं। ये कॉलोनीज़ तो अभी बंद नहीं होंगी। लोग दिल्ली आते रहेंगे और यह प्रॉब्लम कंटीन्यू होती रहेगी। Urbanisation is a process which we are seeing not just in Delhi but in all the cities across the country. When this urbanisation is happening at such a high level, this is going to continue. अगले साल भी लोग दिल्ली में आएंगे, अगले साल भी इस तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ बनेंगी, तो उनका हम क्या करेंगे? उसके लिए और पांच साल के बाद जब चुनाव आएगा, तब एक और बिल लेकर आएंगे। ऐसा एक रजिस्टर बनाकर रिकोग्नाइज करेंगे या अभी से हम उनके लिए हाउसिंग का एक प्लान बनाकर सोचने का काम करेंगे। मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो आगे का समय है, उसमें हम यह ध्यान रखें कि कितने इमीग्रेंट्स यहां आते हैं, कितने लोग दूसरे राज्यों से काम की तलाश में आते हैं, कौन यहां से ट्रैवल करके, कम्यूट करके बाहर भी जा सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग करके हाउसिंग की एक प्लानिंग दिल्ली में होनी चाहिए।

Other than that, I think that there should be a proper dispute redressal system here also. These are some of the points which the other hon. Members also mentioned. It is because we are regularising them on the basis of documents which are not recognised by the Government. These are all unrecognised documents which are probably written by hand, signed by some people, etc. So, unless we have some proper dispute redressal system, this might lead to a lot of litigations and cases where it will become a lawyers paradise. The whole reason we are bringing this Bill is that it gets settled through a proper redressal system.

मान लीजिए कि कोई रेंट पर रह रहा है। मकान किसी और के नाम पर है, जो भी डाक्यूमेंट हम देखते हैं, उसमें मकान किसी और नाम पर है और 30 साल से कोई और बंदा वहां पर रह रहा है, तो how do we address that? अगर वहां पर कोई समस्या आती है, तो कौन देखेगा? हमने एक तरह से अधिकार आफिसर्स को दिए हैं, but that will also lead to the problem of corruption. This is not just one issue. Many a time we have seen that when we give such powers to the officers, there is a door which opens for corruption also. So, we have to take care of that.

One important issue that I wanted to mention is that, other than the problem of redressal system there is a problem with urban planning. There are many Departments within this urban planning. कभी भी हमें एक्सेप्टेंस या अप्रूवल चाहिए होता है, तो इन सबके लिए एक साथ मिल कर काम करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए।

(1640/NK/SM)

Otherwise it is very difficult. हम कई बार काम करते हैं और देखते हैं कि फायर सेफ्टी का कुछ काम रह गया है, प्लानिंग या सेटबैक्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक बॉडी हो, जहां से इन सब चीजों का अप्रूवल मिले। Then it makes it much easier to do some kind of planning ahead also. Other than this, I would like to appreciate the efforts that the Government is putting right now and I will also have to put it on record that the State Governments – present and the previous – have also done their part. राजनीति की बातें कम करके हम सभी को मिल कर काम करना चाहिए, जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको किस तरह से हल करें, उस बारे में चर्चा करनी चाहिए। I appreciate all the speakers who have spoken on this. Thank you, Madam.

(ends)

1641 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और अभी पूरा देश देख रहा है। पिछले तीस-चालीस सालों से इन अनधिकृत बस्तियों को लेकर दिल्ली में हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं। दिल्ली के अंतिम छोर पर बैठा गरीब आदमी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से यहां आकर अपना जीवनयापन करता है, वह कहीं न कहीं बस गया, लेकिन आज भी उसको अधिकार नहीं मिला कि वह दिल्ली का वासी है।

प्रधान मंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है। प्रधान मंत्री आवास योजना में गांव के अंदर लगभग एक करोड़ मकान स्वीकृत किए हुए, सताईस लाख बनाकर दे दिए और पचास लाख से ज्यादा मकान बन कर तैयार हैं, यह ग्रामीण लोगों के लिए गांव की योजना है। दिल्ली में हर बार चुनावी नारा लगता था। जब दिल्ली का चुनाव आता है, अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन या दूसरी जमीन पर कॉलोनियां बस गई हैं, हम उनको हक देंगे। हमने लगातार कई सरकारों को देखा, पच्चीस-तीस सालों से देख रहे हैं लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उन गरीबों को नियमन का अधिकार मिले, उनके बच्चों को सारे राइट्स मिले। वह अपने घर पर लोन ले सकें, अपना काम कर सकें और सरकारी योजना का फायदा ले सकें। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। …(व्यवधान) तैयार होकर आ गए क्या।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): हनुमान जी, आप इधर एड्रेस कीजिए। भगवंत मान जी आप बैठ जाइए। आपस में बात मत नहीं कीजिए। मैं आपका पूरा ध्यान रखती हूं।

…(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपकी पार्टी तो दिल्ली के बाहर नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं, केवल दिल्ली तक ही सीमित है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान जी, आप इधर देखकर बात कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, 'आप पार्टी' जैसी तो हमारी खुद की पार्टी है, हम खुद पार्टी लेकर घूम रहे हैं। …(व्यवधान) मान साहब।

माननीय सभापति: हनुमान जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं ही आपको मिला, सुबह से इतने लोग बोल रहे थे। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। दिल्ली में अंतिम छोर पर बैठे देश के गरीब, जवान और किसान की चिंता निश्चित रूप से है। विपक्ष वाले दो-तीन दिन से इसलिए ज्यादा राजी हो रहे हैं कि दो-तीन उप-चुनाव जीत गए और महाराष्ट्र के अंदर हमारी शपथ होगी, महाराष्ट्र के अंदर पूरा का

पूरा मिक्स वेज बना दिया है। क्या हो गया, कोई बहुत ज्यादा थोड़े हो गया। इस पर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2024 तक का पट्टा प्रधान मंत्री जी को देश की जनता ने देखा है। 2024 तक आप कितना भी कुछ कर लो, बॉयकाट कर लो या बाहर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आपको सुनते हैं और आप हमें सुनो। इसमें कितना आनंद आता है। इस विधेयक से दिल्ली की तमाम कॉलोनियां जिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी को चालीस लाख लोग दुआ देंगे।
(1645/SK/AK)

लोग हमेशा वोट के लिए घोषणा पत्र लेकर आते हैं, लेकिन अनाधिकृत बस्तियों को नियमित किसी ने नहीं किया। माननीय प्रधान मंत्री जो को गरीब लोगों की बहुत दुआएं लगेंगी।

इस बिल के माध्यम से अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वे मकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, बैंक से लोन ले सकेंगे। इस सोच के साथ सरकार यह बिल लेकर आई है। इस बिल के तहत संपत्तियों का पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क में रियायत मिलेगी। ऐसी कालोनियों में विकास के लिए मौजूद अवसंरचना और जनसुविधाओं को भी बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है।

आज हर आदमी शहर की ओर भाग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण रोजगार की तलाश है। गांव खाली हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है। हमारे गांव की आबादी में से काफी लोग शहरों में आकर बस गए हैं। वे दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में किसी नगर पालिका क्षेत्र या नगर परिषद् क्षेत्र में रोजगार की तलाश में आते हैं। यह सरकार बेरोजगारी के ठोस समाधान के लिए भी निश्चित रूप से काम करेगी। 70 साल के गड्ढे 10-15 साल में नहीं भरे जाएंगे।

इस निर्णय से 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1797 अनाधिकृत कालोनियों का नियमन होगा। सरकार गरीब के हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रही है ताकि देश के प्रत्येक शहर में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग मूल धारा से जुड़ें, उनका विकास हो, उन्हें हर अधिकार मिले, जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। इस सोच के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार यह बिल लेकर आई है। हम सबको इस बिल का समर्थन करना चाहिए। आज जब बिल दिल्ली में आ गया है तो देश के तमाम महानगरों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के क्षेत्रों में, जिनका नियमन नहीं हो रहा है, काम अटके पड़े हैं, उन सब व्यक्तियों के मन में एक आस और उम्मीद जग गई है कि हमें भी घर मिलेगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने बहुत अच्छी सोच जाहिर की है और इस बिल को बनाने में बहुत समय लगाया है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मंत्री जी और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारे साथियों ने विरोध नहीं किया और कहीं न कहीं अपनी बात रखी।

इस बिल के पास होने से अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को अच्छे स्कूल, अस्पताल, रहने की जगह और अच्छी आबोहवा की सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के पर्यावरण को लेकर चिंता की गई, प्रदूषण को लेकर चिंता की गई और अब अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने जा रहे हैं। यह बिल ऐतिहासिक है, आरएलपी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। धन्यवाद।

(इति)

1649 बजे

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): माननीय सभापति जी, मैं आज बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार दिल्ली के लाखों गरीबों के सपने को पूरा करने जा रही है। मैं अपनी सरकार के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, डीडीए के वी.सी., अन्य अधिकारीगण और सभी विपक्षी पार्टियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब खुशी का अवसर होता है तो कोई एक पक्ष नहीं देखा जाता है। देश में कितने लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं, पता नहीं, लेकिन कम से कम आधी दिल्ली देख रही है कि मेरे ऊपर जो अनाधिकृत का धब्बा लगा हुआ था, आज वह बिल पास होने जा रहा है।

इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 है। यह पीएम उदय योजना के अंतर्गत अनऑथोराइज्ड कालोनीज़ इन दिल्ली आवास अधिकार योजना है। ऐसे लाखों लोग दिल्ली में इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों में पैदा हुए और इन मकानों में ही मर गए।

(1650/MK/UB)

मगर उनको यह दिन कभी देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मेरा मकान भी आज पक्का हो गया है। पूरा भारत यहां पर रहता है। देश में ऐसी कोई भी पार्लियामेंट की कांस्टिट्यूएंसी नहीं होगी, जिसके हजारों लोग दिल्ली की अनॉथराइज्ड कॉलोनीज में न रहते हों। इसलिए यह केवल दिल्ली के सांसदों के लिए ही नहीं, बल्कि आज पूरे पार्लियामेंट के हर मेम्बर के लिए खुशी की बात है। आपकी कांस्टिट्यूएंसी के जितने लोग दिल्ली में नागरिक के रूप में रहते हैं, आज सभी को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिना यह देखे कि वह हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बिना यह देखे कि वह कौन-सी जाति से आया है। …(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा सच करके दिखाया है। मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं- "इतिहास ने ढाए हैं जो जख्म दिल्ली पर, उसको मिटाना है। बहुत देखे हैं हमने मुगल, तुगलक और अंग्रेज, अब इस दिल्ली को राम राज्य दिखाना है।" प्रधान मंत्री जी दिल्ली को राम राज्य दिखाएं, दिल्ली में हर आदमी के पास अपना मकान हो, अपनी छत हो। मेरे से पहले यहां दयानिधि मारन जी, गोस्वामी जी, दानिश जी बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि अभी भी सांसदों को यह नहीं पता कि अनधिकृत कॉलोनी विषय क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा उसकी बैकग्राउंड में ले जाता हूं ताकि आपको विषय समझ में आए। एक सीधी बात है कि अगर आप 2014 में दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक साल के अंदर कॉलोनियों को पास कर देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, हमने विधान सभा चुनाव में कहा था कि हम कॉलोनियां पांस करेंगे।

मगर, भारत सरकार ने लोक सभा के मैनिफेस्टो में यह कभी नहीं कहा, क्योंकि यह विषय भारत सरकार का कभी नहीं था, यह विषय दिल्ली सरकार का था, जिसके ऊपर दिल्ली की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो, हमेशा ये सरकारें राजनीति करती आई हैं। अनधिकृत कॉलोनी है क्या? वर्ष 1947 में दिल्ली में केवल 17 लाख की जनसंख्या थी। आज दिल्ली की ढाई करोड़ जनसंख्या है। जब लोगों ने यहां आना शुरू किया, डीडीए 1962 में कांस्टिट्यूट हुई, 1957 में एक्ट बना, मगर उसके बीच में लोग कहां जाते, वे अपना मकान कहां बनाते, दिल्ली में लोगों को मकान देने का हक डीडीए का था। उस समय डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों ने दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं की, दिल्ली के लोगों को कोई मकान नहीं दिया। देश के हर कोने-कोने से लोग आए, चाहे वह बिहार से आया हो, चाहे पार्टिशन के बाद, जिनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिली, वह दिल्ली में आया हो। जम्मू-कश्मीर में वहां के पंडितों को वहां की सरकार ने जिंदा जलाकर उनको कश्मीर से निकाल दिया, उसने दिल्ली में आकर अपना घर बनाया, जब पंजाब में आतंकवाद की जड़ें फैल रही थीं, वहां के लोगों ने दिल्ली में आकर अपना घर बसाया। अगर डीडीए उनको घर नहीं देती तो वे अपना मकान कहां बनाते। बिहार के लोग जो अपनी बीबी का, अपनी मां का गहना बेचकर, वहां की अपनी जमीन बेचकर दिल्ली में अपना घर बनाते हैं, वे कहां से घर बनाते। यूपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग आकर यहां मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अपनी रेहड़ी लगाते हैं, मोची का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, वे यहां पर दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी बनकर आए हैं, आज अगर उनको यहां पर मकान दिया गया है तो इसके लिए मैं दिल्ली के 360 गांव के लोगों को धन्यवाद करता हूं क्योंकि दिल्ली में 360 गांवों के लोगों ने सारी कॉलोनियों को मकान दिया, उन्होंने गरीब लोगों को मकान दिया। हजार-हजार रुपये गज में अपनी जमीन बेचकर उन्होंने वहां पर लोगों को मकान बनाने का स्थान दिया। मैं दिल्ली के उन गांवों को बधाई देना चाहता हूं। मगर, सरकार ने क्या दिया? ये जो कॉलोनियां बनी हैं, ये पचास साल से बनी हुई हैं। ये कॉलोनियां पचास साल से दिल्ली में बसी हैं। …(व्यवधान) जिस कॉलोनी में सड़क नहीं है, जिस कॉलोनी में पानी नहीं है, जिस कॉलोनी में सीवर की लाइन नहीं है, नाली नहीं है, आप सभी माननीय सदस्य सोचकर देखिए कि 60 लाख आदमी दिल्ली में बिना पानी, सीवर, नाली, सड़क के कैसे रहते होंगे? वहां कोई सड़क नहीं है, वे लोग कैसे रहते होंगे। आज वे सारे काम हो रहे हैं। …(व्यवधान)

(1655/RPS/SNT)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Mr. Bhagwant Mann, sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, you cannot interrupt. Please sit down.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मुझसे पहले बहुत से सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार को अलग से फण्ड देना चाहिए, मैं सबको कहना चाहता हूं कि उन अनधिकृत कालोनीज में सांसद का एक भी रुपया नहीं लग सकता, एमसीडी का एक रुपया नहीं लग सकता, भारत सरकार अपना एक रुपया नहीं लगा सकती। उन कालोनीज में मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर कोई पैसा लगा सकता है तो वह दिल्ली की सरकार लगा सकती है। यहां पर कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, मैं बहुत हैरान होता हूं जब मैं सुनता हूं कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया और उन्हीं 15 सालों में भारत सरकार में कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी ने राज किया। दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थीं। भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि भारत में भी हमारी सरकार हो और दिल्ली में भी हमारी सरकार हो। कांग्रेस ने दस साल दिल्ली में भी राज किया और भारत में भी राज किया, मगर आज वे हमसे यह कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो आप कालोनीज को पास कर रहे हैं। आपके समय में भी तीन-चार चुनाव आए, दिल्ली में भी आप थे, भारत में भी आप थे, तो आपने कालोनी क्यों नहीं पास की? यह हमारा सौभाग्य है, यह काम मेरे मोदी ने कर दिखाया।…(व्यवधान) बड़े-बड़े मुद्दे जिनको सालों से कोई भारत सरकार नहीं सुलझा पाई, उसे मेरे प्रधान मंत्री जी ने सुलझाए हैं और चुटकी में सुलझाए हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किया, कोई दंगा नहीं हुआ। श्री राम मंदिर बन रहा है, मेरे प्रधान मंत्री के कार्यकाल में बन रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अनुच्छेद 35ए हटा, कहीं कुछ नहीं हुआ, ट्रिपल तलाक हटा। ऐसे 200 से 300 साल पुराने मुद्दे थे। मैं समझता हूं कि अनथराइज्ड कालोनीज के बारे में अगर यहां पर बैठा हुआ एक भी सांसद इसका विरोध करेगा तो उसे शर्म आनी चाहिए। उसे 100 फीसदी बोलना चाहिए कि मैं इसका समर्थन करता हूं। क्यों कोई इसका विरोध करे? …(व्यवधान) मुझे खुशी है कि यह दिल्ली का ऐसा आखिरी चुनाव होगा। …(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान) मुझे खुशी है कि यह दिल्ली का आखिरी चुनाव होगा, जिसमें अनधिकृत कालोनीज का मुद्दा इसके बाद शेष नहीं रहेगा। …(व्यवधान) हमने एक ही कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए कि आप एक-एक काम के ऊपर बीस-बीस साल सरकार बना सकते थे। मेरे मोदी ने एक ही कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए, मेरी सरकार ने ऐसे काम कर दिए। …(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, क्या मोदी जी मेरे नहीं हैं? …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मान साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मोदी जी आपके भी हैं, बिल्कुल हैं। आप अपने भाषण में कहिएगा। वह आपके भी प्रधान मंत्री हैं। आप अपनी सीट पर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मान साहब, आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए। वह आपके भी प्रधान मंत्री हैं। आप अपने भाषण में कहिएगा। आप भी क्रेडिट लीजिएगा। उनके काम का क्रेडिट आप भी लीजिएगा।

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मोदी जी देश के 150 करोड़ लोगों के प्रधान मंत्री हैं, किसी एक के प्रधान मंत्री नहीं हैं।

माननीय सभापति : बिल्कुल ठीक है, आगे बोलिए। अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैडम, जब लोगों ने आकर मकान बनाया। …(व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं – प्राइवेट लैण्ड और गवर्नमेंट लैण्ड। अब यह गवर्नमेंट लैण्ड कैसे हुई? आप यह सोच रहे होंगे कि क्या सरकार ने गवर्नमेंट लैण्ड के ऊपर लोगों को मकान दे दिया फ्री में? क्या सरकारी जमीन के ऊपर जो मकान बने हैं, वे भी दे दिए? यह सरकार की जमीन नहीं थी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, उसमें सेक्शन 33 और सेक्शन 81 थे। जब हमारा किसान बाहर से आए लोगों को मकान देता था, वहां पर प्लॉट काटता था, तो सरकार अंग्रेजों के बनाए कानून की सेक्शन 81 लगाकर उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर देती थी। इस तरह से वह सरकारी जमीन बनती थी, सरकार उसका मुआवजा भी नहीं देती थी। वह जमीन आज भी प्राइवेट लैण्ड है। जो दो कैटेगरीज बनाई गईं- प्राइवेट लैण्ड और सरकारी लैण्ड, वह सरकारी लैण्ड नहीं है, वह ओरिजिनली किसान की जमीन है, जिसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसलिए जो 100 मीटर का प्लॉट है, अगर वह प्राइवेट लैण्ड के ऊपर है…(व्यवधान) सब कह रहे हैं कि फ्री कर दो, फ्री कर दो। क्या दिल्ली के लोगों को स्वाभिमानी नहीं बनाना है? क्या बिजली-पानी के *… (Not recorded)* वायदे करके हम सबको भिखारी बनाना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस 100 मीटर के प्लॉट का मेरी सरकार 2900 रुपये ले रही है, …(व्यवधान) मेरी सरकार अगर 2900 रुपये ले रही है तो वह गरीब जनता को स्वाभिमानी बना रही है।…(व्यवधान)

(1700/RPS/GM)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): भगवंत मान जी, आप बैठिए। जब आपकी बारी आए, तब बोलिएगा। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): कुछ लोगों का स्वाभिमान नहीं होता, मगर मेरी सरकार दिल्ली के गरीब लोगों को स्वाभिमानी कर रही है, ताकि एक बाप अपने बेटे को बोले कि मैंने यह प्लॉट मुफ्त में नहीं लिया, मैंने इसके लिए 2900 रुपये जमा कराए हैं, ताकि वह बेटा जीवन भर मेहनत की रोटी खाए और अपने खरीदे हुए मकान में अपने स्वाभिमान के साथ जिए। यह काम मेरे प्रधान मंत्री ने करके दिखाया है। …(व्यवधान) जैसे मेरे पहले कॅलीग्स ने बोला, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आज केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्य मंत्री सभी को कह रहे हैं कि जल्दी से रजिस्ट्री शुरू करो। वह यह दिखाना चाहते हैं कि इसमें मेरा भी कोई साथ है, योगदान है। एक भी योगदान नहीं है, आज अगर लोगों को रजिस्ट्री कोई देगा तो वह डीडीए देगा, भारत सरकार देगी। …(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): डीडीए किसकी है? …(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): आपको कुछ पता ही नहीं है, बस बोलते जाते हो। डीडीए भारत सरकार की है। आप बैठ जाओ। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप बैठ जाइए, यह आपको आखिरी वार्निंग है। यहां से आपको वार्निंग दी जा रही है। अब आप उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, मगर उन 15 वर्षों में और पिछले पांच वर्षों में दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया हॉस्पिटल नहीं बना। आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 20 सालों में कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया हॉस्पिटल नहीं बना। अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी तो 1993 से 1998 तक जो हमारी सरकार थी, उसमें यूनिवर्सिटी बनी थी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1996 में एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में पीआईएल डाली कि सारी अनथराइज्ड कालोनीज बन रही हैं, इनको तोड़ दिया जाए। उस समय, 1996 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि क्यों न सारी अनधिकृत कालोनीज को तोड़ दिया जाए। दिल्ली में हमारी सरकार थी। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री थे, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्य मंत्री अपनी दिल्ली की जनता का वकील बनकर हाई कोर्ट में गया और वहां उन्होंने खुद बहस की। उन्होंने कहा कि इन कालोनीज को मत तोड़िए, मैं आपको सारा रोडमैप बनाकर दूंगा। अगर दिल्ली में वे 25 लाख मकान दिल्ली अनधिकृत कालोनीज में आज भी खड़े हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से खड़े हैं।

(1705/IND/RSG)

हमारी दिल्ली में 15 साल तक सरकार नहीं थी। आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है, उसने 15 साल पहले वाली *… (Not recorded)* अपनी सरकार बनाई। जब उनकी 28 सीट आईं और हमारी 32 सीट आईं, जैसे आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में होने के बाद भी हम विपक्ष में स्वाभिमान के साथ बैठे हैं, वैसे ही दिल्ली में भी विपक्ष में बैठे और 28 सीट जीतने वाली पार्टी ने जिस 15 साल की सरकार को *… (Not recorded)* बोलकर 28 सीटें जीतीं, उसके साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार दिल्ली में बनाई। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं –

"जिसे *… (Not recorded)* कहकर खूब चिल्लाया
सत्ता में आने के लिए उन्हीं से हाथ मिलाया
हो सकता था जिन पैसों से दिल्ली का विकास
वह पैसा विज्ञापनों पर लुटाया
जिनको जिंदगी बदल देने का दिलासा दिया
पांच साल में बस उन्हें जहरीली हवा और जहरीला पानी पिलाया।"

आपने यह काम किया।…(व्यवधान) मैं आपको और सदन को तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि आज यदि आईपी यूनीवर्सिटी बनी, तो मेरी सरकार ने बनाई थी।…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): आप 'मेरी सरकार' क्यों कह रहे हैं?

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): आप क्यों मेरे से पंगा ले रहे हो? मैं जाट हूं, क्या आपको पता है?…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): मिस्टर वर्मा, आप चेयर को देखकर अपनी बात कीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अगर दिल्ली में यूनीवर्सिटी बनी थी, तो मेरी भाजपा सरकार ने बनाई। अगर दिल्ली में कालेज बना, तो मेरी भाजपा सरकार ने बनाया। अगर दिल्ली में कालोनियों को टूटने से बचाया, तो मेरी सरकार ने बचाया। आज 20 सालों से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप बीच में न बोलें।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैट्रो बोर्ड 1996 में बना था और मैट्रो कार्पोरेशन एक्ट 1997 में बना था, जब दिल्ली में मेरी सरकार थी।

1707 बजे (माननीय अध्यक्ष <u>पीठासीन हुए)</u>

अध्यक्ष जी, जब मैट्रो का उद्घाटन हुआ, तब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। जितना दिल्ली में काम हुआ, वह मेरी सरकार ने, मेरे प्रधान मंत्री ने, मेरी भाजपा सरकार ने करके दिखाया। मेरी सरकार

ने देश में आयुष्मान योजना दी, लेकिन वह दिल्ली में लागू नहीं हुई। मेरी सरकार किसानों को एमएसपी योजना देती है, लेकिन दिल्ली के किसानों को वह योजना नहीं मिलती। मेरी सरकार, मोदी सरकार जब दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कालोनियों को पास करती है, तो यहां बैठे कुछ लोगों को दर्द हो रहा है कि यह काम मोदी जी ने कैसे कर दिया? आप सभी को इस बात का समर्थन करना चाहिए कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को आथोराइज का दर्जा नहीं दे पाई, मगर दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्यों का वोटर कार्ड बनाकर दिल्ली सरकार ने उन्हें आथोराइज्ड का दर्जा दे दिया, लेकिन जो दिल्ली के बाशिंदे थे, वे आज भी अनआथोराइज्ड हैं। ऐसा दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। मेरे प्रधान मंत्री ने...(व्यवधान) भगवंत मान जी के जो प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने देश के हजारों-करोड़ों लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना में मकान दिया है, वैसे ही आज दिल्ली के करीब 60 लाख लोग सदन को बधाई दे रहे होंगे कि सदन आज यह बिल पास कर रहा है और जब बिल राज्य सभा में पास हो जाएगा, तब मैं मिठाई लेकर आऊंगा और आप सभी को खिलाऊंगा कि आपने भारी बहुमत से इस बिल को पास किया। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान जी। माननीय सदस्य, पहले आप सीट पर जाएं। आपने बहुत टोका-टाकी की है।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष जी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बात-बात पर 'मेरा प्रधान मंत्री'। क्या प्रधान मंत्री जी हमारे नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण शुरू कीजिए।

1709 बजे

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के इस बिल का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस बिल के सपोर्ट में हूं।

(1710/ASA/RK)

मैं उसके सपोर्ट में हूं। हालांकि मेरी...(व्यवधान) हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। लेकिन 7500 करोड़ रु. वहां पर खर्च कर दिया लेकिन यहां पिछले 70 साल से पानी ही नहीं पहुंचा था। जहां पर टैंकर माफिया था, ...(व्यवधान) तब तो कांग्रेस और इनकी, दोनों की थी। हमारी पार्टी की सरकार पिछले कुछ सालों से आई है। अब दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसी कर दी कि एक जज का बेटा, एक डी.सी. का बेटा और एक रिक्शेवाले का बेटा एक बैंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं। ...(व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): 5 साल ड्रॉप-आउट हो गये थे।...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं बना है।

श्री भगवंत मान (संगरूर): इसका मतलब इनको जानकारी ही नहीं है। ...(व्यवधान) अरविंद केजरीवाल ने वह काम कर दिया जिसका इनको पता ही नहीं है। हां, इनको दुख बहुत है क्योंकि ये दिल्ली नहीं जीत पाएंगे। अगली बार भी हम दिल्ली जीत रहे हैं। देखिए, ये मेरी-मेरी कर रहे हैं। दिल्ली इनकी नहीं है।...(व्यवधान) दिल्ली अब इनकी नहीं है। राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं।

...(व्यवधान) (<u>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>)

सर, राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं। एमसीडी किसकी है? डीडीए किसका है? वह सब आपका है। आप रविदास जी का मंदिर तोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कुसूर क्या है?...(व्यवधान) राजधानी में इनके 3 एमएलएज हैं। कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है। ...(व्यवधान) बिधूड़ी साहब, आराम से बैठिए।

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को बोलने दें और माननीय सदस्य से आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय क्या आप पोलिटिकल भाषा बोल सकते हैं? नहीं। तो आप इस विधेयक पर बोलिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 20000 लीटर पानी फ्री कर दिया। 16 लाख घरों का ज़ीरो बिल आया, तो किसने किया? ना जी, अरविंद, अरविंद। मतलब पूरी दिल्ली को इन्होंने देश समझ लिया । जो आता है, दिल्ली, दिल्ली। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बिल में जीतने-हारने का लिखा है?

श्री भगवंत मान (संगरूर): सर, जीत जाएंगे। लेकिन इनको चुप करवाइए। इनसे दिल्ली चली गयी। इसलिए बस। दिल्ली में तीन सरकारें हैं। एमसीडी, डीडीए और अरविंद केजरीवाल।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। सीनियर माननीय सदस्य आपको ज्ञान देना चाहते हैं।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पर हम बहस कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करनी हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए। डिबेट हो जाए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं लेकिन पिछले तीन घंटे से यही हो रहा था, जो अब ये कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : हो रहा होगा। मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला तो मैं अगले माननीय सदस्य को बुला दूंगा। आप बिल पर बोलिए।

…(व्यवधान)

(1715/RAJ/PS)

श्री भगवंत मान (संगरूर): अब मुझे मौका मिला है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी शांत रहिए, इनको बिल पर बोलने दीजिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): मान्यवर, मैं बहुत बड़ा सैटरिस्ट हूं, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूं। मैं अपने-आप को मान साहब कह कर बुलाता हूं। Charity begins at home. अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो मुझे कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा।…(व्यवधान) मुझे यह बता दीजिए कि ये लोग अरविन्द केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं? दिल्ली की कैबिनेट ने अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का बिल नवम्बर, 2015 में पास कर दिया था, तो अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया? यह अब आ गया, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो धारा-3 पीडीपी लग जाएगी।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री भगवंत मान (संगरूर): सर, मेरा गला बहुत कमाल है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इसको जोर-जोर से दबा रहे हो, अगर यह कहीं टूट गई तो आप पर धारा-3 पीडीपी लग जाएगी।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री भगवंत मान (संगरूर): मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि यह बिल अब क्यों आया, क्योंकि चुनाव है। राहत इंदौरी का एक शेर है, मैं वह कह कर बैठ जाऊंगा।

सरहद पर तनाव है क्या,
पता करो,
चुनाव है क्या?

(इति)

1717 बजे

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है।

प्रजा सुखे सुखम् राजा, प्रजानां च हिते हितम्,
नात्म प्रियम प्रियम राजा, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम।

यानी, प्रजा के सुख में सरकार का सुख है और प्रजा के हित में सरकार का हित है। प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है। यह बिल सही मायने में जनता को प्रिय है, वही काम सरकार कर रही है।

अध्यक्ष जी, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', इस सिद्धांत को लेकर हमारी सरकार और खास तौर पर मान साहब के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उसी काम के आधार पर जनता के हक की लड़ाई हम सभी लोगों ने लड़ी और इतने वर्षों के बाद वह हक की लड़ाई आज पूरी हुई। जब कच्ची कालोनी की बात आती है, तो मुझे वे सब बैंक के खाते भी याद आते हैं, जो कि 'जन-धन' के माध्यम से इन कॉलोनीज में खुले। मुझे वे गैस कनेक्शंस भी याद आते हैं, जो बहनों को दिए गए। मुझे वे तमाम वादे याद आते हैं, जो प्रधान मंत्री रिलीफ फंड के माध्यम से हम ने यहां के लोगों को राहत पहुंचाई, लेकिन हम लोग मकान का अधिकार नहीं दे पाए। जब मकान के अधिकार को लेकर बात आती है, तो मुझे यह भी याद आता है कि इन अनऑथराइज्ड कालोनीज में, जहां जनता का बहुत बड़ा समूह रहता है, बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, वे कौन लोग हैं और अनऑथराइज्ड कैसे हुई? गांव, देहात, ओवर टाइम काम करने वाले लोग, स्लम्स, झुग्गी-झोपड़ी और अनऑथराइज्ड कालोनी, आज दिल्ली की यह स्थिति है। मैं बहुत गर्व से अपने इतिहास को याद करती हूं। मेरे पिताजी का जो परिवार है, हमारा परिवार मिणकुंभरी से आता है, जो हड़प्पा का क्षेत्र है। मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग हैं, लेकिन वह परिवार एक माइग्रेट के रूप में दिल्ली भी आया और जब दिल्ली में एक रिफ्यूजी की तरह रहा, तो कहते हुए शर्म आती कि दिल्ली की क्या स्थिति है, जो कि टोटली अनऑथराइज्ड हुआ और अनऑथराइज्ड क्यों हुआ, यह 70 साल की …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) की निशानी है। जिस प्लान्ड सिटी की कामना आज हर भारवासी करता है, उसकी प्लानिंग पर ढेले भर का काम नहीं हुआ और अनऑथराइज्ड को हम अनऑथराइज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वे सभी कालोनीज, जिनको हम कच्ची कालोनीज कहते हैं, वे जोनल प्लानिंग के बाहर थीं। वे जोनल प्लानिंग के बाहर इसलिए थीं कि दिल्ली को एक मास्टर प्लान दिया गया। उस मास्टर प्लान में यह बनाया गया कि यह गांव का इलाका है, यह शहर का इलाका है, यह ऐसा इलाका है, यह वैसा इलाका है और जोन माफ कर दिए गए, लेकिन जोन माफ करने के बाद भी जो किसानों की जमीन थी, उसको हथिया गया। मैं शब्द 'हथिया गया' इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि जब आप एक्वायर करते हैं तो एक्विजिशन प्रोसिडिंग्स होती हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त यहां बैठे हैं, उनको याद होगा कि एक्विजिशन प्रोसिडिंग्स में क्या-क्या अन्याय इस शहर की जनता के साथ किया।

(1720/VB/RU)

क्योंकि यह शहर गाँवों का एक समूह था। उन सबकी जमीनों को एक-दो रुपये प्रति एकड़ पर ले लिया गया और 70 साल के बाद आज भी चार-पाँच सौ मुकदमे एक्विजीशन के अटके हुए हैं। एक्विजीशन के बावजूद, कुछ भी प्लांड तरीके से नहीं किया गया, बल्कि कई प्राइवेट कॉलोनीज, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत-से प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को एक परदे के रूप में इस्तेमाल किया गया और आज भी उन सरकारी जमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके कॉलोनाइज करके बेचा है। जिसने कॉलोनाइज करके बेचा, उसको अधिकृत किया गया। जो जमीनें एक या दो रुपये एकड़ थीं, उनको कई सौ रुपये एकड़ पर बेचा गया। इसी कारण ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, डिफेन्स कॉलोनी आदि बनी हैं। ये सब पाप का इलाज है। इन सबके बावजूद, कुछ गाँव वालों ने और कुछ कॉलोनाइजर्स ने सोचा कि ये जमीनें पड़ी हैं, इससे पहले कि सरकार इनको एक या दो रुपये एकड़ पर एक्वायर करे, हम खुद कॉलोनी काटकर बेच देते हैं। उस तरह से जोनल प्लानिंग के बाहर ये कॉलोनीज बनी हैं। मान लीजिए कि सब-डिवाइडेड एग्रीकल्चरल लैंड का ढाई एकड़ का प्लॉट होना चाहिए, ढाई एकड़ का प्लॉट नहीं है और उसके अंदर आपने पाँच या दस लोगों को बेच दिया। इसी तरह से ये अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज बनीं।

पार्टिशन के बाद पूरे देश भर के अन्य स्थानों से रोटी-रोजगार, पढ़ाई-लिखाई की जरूरत के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, एम्स में इलाज करवाने आदि के कारण दिल्ली बसी। सही मायने में जब यह कहा गया कि दिल्ली देश का दिल है, चूँकि यह देश की राजधानी है, इसलिए हर वर्ग, हर राज्य, हर स्थान, हर कस्बे से लोग यहाँ आते हैं। जब दिल्ली में सभी लोग आते हैं, तो दिल्ली सबकी साझी विरासत है। इस साझी विरासत की हम लोगों ने यह हालत कर रखी थी, जिसमें न पीने का पानी, न सड़कें, न टॉयलेट्स, न सीवर थे। ये सब अन-ऑथराइज्ड तरीके से इतने वर्षों तक बनने दिया गया। इतिहास में जाएँ, मेरे मित्र श्री बिधूड़ी जी ने वर्ष 2007 और 2008 की बात बताई। लेकिन मैं उससे भी कुछ साल पहले जाना चाहती हूँ। वर्ष 1970 में यह सिलसिला शुरू हुआ। 1970 के बाद 1996 आया, 1996 से 1998 आया, मामला कोर्ट में गया, गाइडलाइंस माँगी गईं, मगर किसी ने इस पर काम नहीं किया। इस पर क्यों काम नहीं किया, मुझे लगता है कि जो 1071 कॉलोनीज थीं, वे बढ़कर 1700 से ऊपर हो गईं। उसका सिर्फ एक कारण यह था कि इसका राजनैतिक फायदा उठाया जाए। प्लानिंग का काम मेहनत का काम होता है। प्रधान मंत्री आवास योजना में बाकायदा मकान बनाकर देनी पड़ती है और कुछ काम न करना पड़े या अन-ऑथोराइज्ड चलती रहें, चुनाव के वक्त केवल लालच देकर चुनाव जीतते रहें, लेकिन काम न किया जाए। राजनैतिक मंसूबों से जो लोग दिल्ली को चला रहे थे, इसी कारण से ऑथोराइज करने के लिए कोई काम नहीं किया गया।

अगर आप इसके इतिहास में और गहराई में जाएंगे, तो पता चलेगा कि ऑथोराइज कॉलोनीज में जो जमीनों की कीमतें थीं, उस कीमत के 10 प्रतिशत से कम कीमत पर यहाँ पर जमीनें उपलब्ध थीं। लोग सस्ती जमीनों की वजह से यहाँ आकर बसते थे और अन-हाइजिनिक कंडिशंस में रहते थे।

वर्ष 2007, 2008, 2012 और कॉमन कॉज का एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, जहाँ पर पूछा गया कि आप अन-ऑथराइज्ड को कैसे ऑथराइज्ड करेंगे, क्या गाइडलाइंस बनाएंगे, तो

कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाई गईं। इसकी मुख्य तीन दिक्कतें हैं। पहली बात तो यह है कि कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है। पूरा शहर अन-प्लांड सिटी है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सीवर, पानी, बिजली आदि की दिक्कतें रहीं।

इसमें एक रिपोर्ट है- काउंटर मैग्नेट एरियाज टू दिल्ली एंड एनसीआर, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक 497 घरों के अन-ऑथराइज्ड सेटलमेंट का ब्यौरा दिया गया। कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि यहाँ पर लिखा गया। यह पाया गया कि 92.3 प्रतिशत लोग यानी 90 प्रतिशत से अधिक लोग 1990 के पहले से यहाँ पर बसे हुए हैं। यानी 1990 के पहले का मतलब यह है कि तकरीबन 30 साल से पुरानी इन कॉलोनीज के अंदर रिहाइश हैं।

(1725/PC/KKD)

इन कॉलोनीज़ में अधिकतर लोग एससी कम्युनिटी के हैं, बैकवर्ड क्लासेज़ के हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, जहां पर डिस्टर्बिंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। 45.9 प्रतिशत लोगों की हायर सेंकेडरी की पढ़ाई से कम की पढ़ाई है। मेजॉरिटी में लोग वहां रहते हैं, वहां वेंटिलेशन का प्रावधान नहीं है, हवा का प्रावधान नहीं है, कमरे छोटे-छोटे हैं और पूरे परिवार के रख-रखाव का वहां कोई प्रावधान नहीं है। ज्यादातर लोग अपने परिवारों के साथ यहां रहते हैं।

अगर इनकम की बात आए तो उनकी कितनी कमाई है? दो हजार रुपये से आठ हजार रुपये तक। 13.9 प्रतिशत लोग हैं, जो आठ हजार रुपये तक कमाते हैं। अन्य सब लोगों की इससे कम कमाई है। तकरीबन 70 प्रतिशत बच्चे यहां काम करते हैं, क्योंकि उन परिवारों के पास बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 67 प्रतिशत लोग अपने परिवार और रिशतेदारों के साथ माइग्रेंट पॉप्युलेशन का हिस्सा हैं। 99 प्रतिशत लोगों को पैसा बॉरो नहीं करना पड़ा। 500 रुपये की बात हो रही थी, दानिश जी कुछ कह रहे थे। उनको शायद 500 रुपये नहीं लाने पड़े, शायद आपको केजरीवाल जी को समझाना पड़ेगा कि लोग बिना पैसा उधार लिए दिल्ली आए हैं। …(व्यवधान) 42.3 प्रतिशत लोग काम के लिए आए हैं। …(व्यवधान) जब इस पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज़ करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से पूरे समाज का और पूरे हिन्दुस्तान का जो डिसएड्वांटेज सैक्शन है, वह दिल्ली आकर बसता है। वह आर्थिक और सामाजिक कारणों से अपना घर-बार, गांव छोड़कर दिल्ली आकर बसता है। उसका मकसद सिर्फ एक है – आर्थिक रूप से, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उसको वह सब प्राप्त हो। यानी, एस्पिरेशनल क्लास, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, वह एस्पिरेशनल क्लास दिल्ली में आकर बसती है।

सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार जहां उनकी अपनी जगह है, वहां उनको न आर्थिक सुरक्षा है, न सामाजिक सुरक्षा है। इस कारण दिल्ली में आकर लोग जाति, धर्म, इस सब भेदभाव से हटकर, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यह न इसका है, न उसका है, वह सबका है। इसलिए, सबका होने के कारण, वह सबको सुरक्षा का माहौल प्रदान करता है। सबसे दु:ख की बात है कि जो दिल्ली सब लोगों को इतना सब कुछ देता है, पूरे भारतवर्ष को देता है तो दिल्ली की चिंता करने वाले लोग दिल्ली की चिंता न करें, ऐसे कैसे चलेगा? वही उदाहरण, इन अनधिकृत कॉलोनीज़ का जो यह

बिल है, वह बताता है कि जिन लोगों को दिल्ली की चिंता करनी थी, उन्होंने दिल्ली की चिंता नहीं की। एक और व्यक्ति जब गुजरात से उठकर दिल्ली आया, उसे भी अगर एक माइग्रेंट के रूप में देखा जाए तो उसने आकर दिल्ली की चिंता की और इस बिल को लेकर आया। वर्ष 1970 से आज तक यह बिल नहीं आया था। सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो मैं भारत के बारे में बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। हमने बहुत सारी दिक्कतें झेलीं, बहुत सारी दिक्कतें देखीं, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और इस सरकार ने उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। यह इन अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़, कच्ची कॉलोनीज़ को पक्का करने का समाधान ढूंढने का प्रयास है।

दिल्ली सबको अपनेपन का अहसास देती है और सुरक्षा का माहौल प्रदान करती है, लेकिन एक व्यक्ति, जिसको चौबीस घंटे अपने मकान की ही चिंता रहे, उसको लगे कि कल बुल्डोज़र चल जाएगा, परसों बुल्डोज़र चल जाएगा। उस बुल्डोज़र के चलने से कोई मॉनिटरिंग कमेटी बैठ जाएगी, कब ताला लगा देगी, कब मकान गिरा देगी। वर्ष 2008 की मॉनिटरिंग कमेटी आज तक चल रही है। पता नहीं कितने जज बदल गए, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी वहीं की वहीं है। इस सबसे असुरक्षा का माहौल उन 40 लाख लोगों के मन में बैठता है। आप सोच सकते हैं कि जो सुरक्षा की चिंता करते हुए उम्मीद के साथ दिल्ली आकर बैठा है, उसको दिल्ली ये सब न देकर असुरक्षा प्रदान कर रही है। उसकी बहू, बेटी, बच्चे – सब असुरक्षित माहौल में पल-बढ़ रहे हैं।

जमीन के अधिकार की बात की गई। प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि इस बिल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कन्सिडर नहीं किया है। मैं उनको एक बात बताना चाहती हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रहते हुए, वे वकील हैं, उनको भी पता है कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं हो सकता तो लोग जमीन का ट्रांसफर कैसे करते हैं। विल बन जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, अधिकार दे दिए जाते हैं, रिसीट दे दी जाती है। इस वजह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के उल्लंघन में तो यह बनी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के उल्लंघन में यह कार्य हुआ, इसलिए यह अनऑथराइज़्ड कहलाया।

(1730/KDS/RCP)

उसी को ऑथराइज्ड करने के लिए यह बिल आया है। जमीन का अधिकार देने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग व मेरे अन्य मित्रों और सभी ने बताया कि एमपी लैड का पैसा आप नहीं लगा सकते। सरकार द्वारा अन्य प्रावधान करके यह पैसा यहां पर लगा दिया जाए, इसलिए यह बिल लाया गया है। मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए Anna Zimmer को क्वोट करना चाहती हूं। In her paper, she said, “Enumerating the Semi-Visible”. नई दिल्ली की भी अगर बात करे, तो लोग सोचते हैं कि नई दिल्ली में पता नहीं कैसे लोग रहते हैं? शायद लुटयन दिल्ली जैसे लोग रहते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग, जो आधे दिखाई देते हैं, जो इस शहर को चलाते हैं, वे लोग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बसते हैं। इसीलिए authorising and enumerating the semi-visible, the provision of basic urban services, inclusion in decision-making processes and a more overarching right

to the city are all understood to be major entitlements linked to urban citizenship. Withholding these entitlements from residents of informal settlements raises therefore a strong question about the inclusiveness of citizenship in urban societies. It is for this reason कि 'सबका साथ, सबका साथ' का जो वायदा है, वह पूरा करने के लिए यह काम किया गया है।

महोदय, सेक्शन 2(a) की बात की गई। उसमें जिन रेजिडेंट्स को क्वालीफाई किया गया है, वह सोशियो लीगल और पॉलीटिकल पोजीशन से किया गया है, as residents of the colonies. सेक्शन 3(1) से जमीन की सम्पत्ति के अधिकार को रेगुलराइज करने के लिए इन ट्रांजैक्शन्स को लिया गया है। सेक्शन 3(2) फिक्स चार्जेस का प्रोविजन किया है। आपने जो चार एक्ट्स बताए कि इन चारों के उल्लंघन में यह प्रावधान है तो वह उल्लंघन में नहीं होते हुए, उनको सामने रखते हुए सरकार ने अपनी रजिस्ट्री और इन सब अमाउंट्स को वेव ऑफ किया है और फिक्स चार्जेस को आधार बनाया है, ताकि यह कोर्ट में चैलेंज न हो। कोर्ट में यह चैलेंज न हो, इसीलिए कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है। अगर कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करते और फ्री में कर देते तो ये सब वायलेट होते। इस वजह से फिक्स चार्जेस करके कम पैसों में काम किया गया है। Through this act, सरकार ने कोशिश की कि सुरक्षा का अधिकार सभी को मिले और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय, शहर में रहने वाले सभी लोगों को मिल सके।

यह मार्ग है विकास का, विश्वास का, प्रयास का, उल्लास का, कृषक का, श्रमिक का, निर्धन बंजारे का, घुमंतू और निम्न वर्ग का, मध्य वर्ग का, ग्रामीण का, शहरी पथिक का, शहरी वर्ग का, भारत की शान का, जन-गण के प्राण का और देश के नवनिर्माण का। बहुत-बहुत आभार।

(इति)

1734 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, घंटे भर से यह चर्चा हो रही है। इसमें सबको पता लगा कि एक जंग हो रही है, चाहे इसे चुनावी जंग कहें या व्यक्तिगत जंग कहें। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि साहब सिंह वर्मा जी स्वर्गीय हैं और शीला दीक्षित जी भी स्वर्गीय हैं। इन सभी ने दिल्ली के लिए कुछ न कुछ किया है। लेकिन आज सदन में दो स्वर्गीय व्यक्तियों का नाम लेकर हम लोग आपस में इस तरह की लड़ाई कर रहे थे कि साहब सिंह वर्मा जी ने ज्यादा काम किया या शीला दीक्षित जी ने ज्यादा काम किया। दोनों का ही योगदान है। सब मानते हैं कि शीला दीक्षित जी ने जरूर कुछ काम किए हैं, साहब सिंह वर्मा जी ने भी कुछ काम किए हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो स्वर्ग में चले गए हैं, उनके नाम पर इस सदन में अगर हम आपस में जंग करें तो यह सदन की मर्यादा के लिए शोभा नहीं देता।

महोदय, दिल्ली हिन्दुस्तान की पॉलिटिकल कैपिटल है। मुंबई, जहां से हमारे डीजी साहब सत्यपाल जी आते हैं, वह हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। मैं बंगाल से आता हूं, जिसे कभी कल्चरल कैपिटल कहते थे। आजादी के बाद लाखों की तादाद में लोग पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, जो उस समय का ईस्ट-वैस्ट पाकिस्तान था, दिल्ली में रोजगार और रोजी-रोटी के लिए आते रहे।

(1735/MM/SMN)

यह आज का सिलसिला नहीं है, यह फिनोमिना चला आ रहा है। दिल्ली नो-मैन लैण्ड की तरह से हमारे सामने आती है। कोई भी यहां आ सकता है, रुक सकता है, रोटी-रोजी कमा सकता है और दिल्ली के विकास के लिए योगदान भी कर सकता है। इसलिए दिल्ली का कोसमोपोलिटन केरेक्टर बन गया है, कोसमोपोलिटन नेचर बन गया है। हम सब गर्व करते हैं कि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन इस नेशनल केपिटल में भी एक कोननड्रम है। What is the conundrum? Delhi has been witnessing a conundrum that is called 'penury in plenty'. कहीं फाइव स्टार होटल्स हैं और कहीं इतनी सारी कालोनियां, सभी एक साथ चल रहे हैं। इन कालोनियों को रेग्यूलराइज़ करना जरूरी था और यह कोई भी सरकार करे। यह आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। इस बारे में अगर कोई भी पहल करता है तो यह अच्छा है। यह पहल आज की नहीं है, बहुत दिनों से यह चल रही है। कालोनी में जो रहने वाले हैं, यह उन लोगों की लड़ाई है, यह उन लोगों का संघर्ष है और उन लोगों ने अपने संघर्ष को हम लोगों तक पहुंचाया है, तभी हम इसे इस सदन में लेकर आए हैं। आप यूपीए की सरकार की बात करते हैं। एनडीए की सरकार भी थी और एक बार नहीं दो बार थी, लेकिन आज क्यों आया है? हमारे पुरी साहब जब यह कानून लेकर आए तब कह रहे थे Farsighted revolutionary decision. मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। हर चीज में, हर सिद्धांत में टाइम एंड स्पेस डायमेंशन होता है। अगर इसको देखा जाए तो मैं यह आराम से कह सकता हूं कि यह Poll-sighted revolutionary decision है। क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और बिना मतलब यहां कोई काम नहीं होता है। जरूर कोई मतलब रहा है, इसलिए यहां बात उठ रही है।

1738 बजे (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

अगर आप पहले कर देते तो बात नहीं उठती। आप जिस समय इसको कर रहे हैं, उस समय को लेकर यह बात उठ रही है।... (व्यवधान) मैं इसका समर्थन करता हूं। ... (व्यवधान) अगले साल चुनाव होने हैं। आज बोलने वाले ज्यादातर स्पीकर दिल्ली के हैं।... (व्यवधान) दिल्ली हम सभी की है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Adhir Ranjan Ji, please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): दिल्ली के सभी सांसदों से मैं दरख्वास्त करता हूं। मुझ से मिलने मेरे घर पर यहां के कुछ गरीब लोग आए थे। उन लोगों की मांग थी कि हमारे यहां के गांव में बिजली नहीं है। मैं सभी दिल्ली के सांसदों से दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी इस विषय को सुलझाने की कोशिश कीजिए। किर्बी प्लेस और बरार स्कवेयर से बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे और मुझ से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमारे गांव में बिजली का इंतजाम कर दीजिए। मनोज तिवारी जी सीएम बनने वाले हैं, would be CM. मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बिजली की समस्या के बारे में सोचें।... (व्यवधान) पुरी जी ने मान लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? यह पुरी जी का रवैया है, मेरा नहीं है। इसलिए मैंने दरख्वास्त कर दी है। Would be यानी, हो भी सकता है।

It is my request to the hon. Minister to clarify the status of P1 zone Narela sub-city which was left out of registration process under land-pooling system. Now, the Government of NCT of Delhi has declared villages in P1 zone as R1 areas vide Gazette notification dated 21st November, 2019. Many societies from the Government and autonomous organisations have already purchased land in P1 zone in order to participate in land pooling policy. Hence, I request the hon. Minister to kindly reply as to when the villages in P1 zone will be notified for land pooling policy by DDA and landholders of these villages will be invited to apply for land pooling policy.

(1740/SJN/MMN)

यह लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत दिनों से चल रही है। मैं सिर्फ दो-तीन जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं कि आप अप्राधिकृत कालोनियों को रेग्युलराइज़ करने जा रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई टाईमफ्रेम है? दूसरा, इसमें किस तरह से मैपिंग की गई है? क्या सैटेलाइट मैंपिग की गई है या फिज़िकल मैपिंग की गई है? तीसरा, आप जो चार्जेस ले रहे हैं, उन चार्जेज़ को थोड़ा कम कीजिए। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो चार्जेज़ को थोड़ा कम कर दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, रेग्युलराइज़ करने के बाद उसको मास्टर प्लान के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? आप हम सबको इन दो-चार चीजों के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आम लोगों को शंका है। आप बुरा मत मानिएगा, आम लोगों को यह शंका है कि यहां पर जो राजनीतिक नेता हैं,

वे चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आते हैं। यहां पर बड़े-बड़े भाषण दे रहे रहे हैं, हमारे सामने बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं। हम लोग चुनाव खत्म होने के बाद जहां के तहां रह जाएंगे, हमारे लिए कोई भी आने वाला नहीं है। आप इस बात की गारंटी दे दीजिए कि आप चाहे चुनाव में जीतें या हारें, यह चलता रहेगा। हमारा यह टाईमफ्रेम है, हम इसी के अंदर इसको करेंगे।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : अधीर रंजन जी, धन्यवाद। प्लीज, कन्क्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, बंगाल के लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं। वे भी बहुत सारी अप्राधिकृत कालोनियों में रहते हैं। वे लोग भी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि इससे तरह-तरह की असुविधाएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी दिल्ली को जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली कॉनेन्ड्रम है, एक तरफ डैज़लिंग है और दूसरी तरफ डिस्मल है। इन दोनों तरफ को मिलाकर दिल्ली को बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है। मैं इस बिल का जरूर समर्थन करूंगा। लेकिन मैं दोबारा यह कहना चाहता हूं कि जो वायदा किया है, उसको निभाना पड़ेगा। आपने जो वायदा किया है, उसको निभाना पड़ेगा और आप कितने समय तक उसको निभा पाएंगे, वह सदन में बताइए।

(इति)

1742 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, let me first start by thanking the hon. Members who have participated in the debate. I have noted that 16 of them have participated. It has been a very rich discussion. From my personal point of view, I draw immense satisfaction that not a single hon. Member has opposed the Bill. Some have expressed reservations. My distinguished senior colleague, Shri Adhir Ranjan Chowdhury said, while recalling what I had said that this is a farsighted and revolutionary initiative and step, perhaps, I should have added that it is also a politically motivated or poll-sighted one. The implications being that there is a political motivation to bring in this Bill.

Well, I want to thank all the hon. Members. I will, in the interest of efficiency--if you permit, Sir-- divide my response into three segments. One is a segment where the hon. Members have raised very specific questions which require an answer from the Government in terms of our understanding, in terms of our intent, in terms of the process that we have put in place and how we propose to implement it. So, I will go through each of the points made by the hon. Members. But there are one or two additional points which I think emanate essentially from the fact that I have spent more time and more sleepless nights on the Bill, on its drafting and on the regulations which have been notified. Since the hon. Members clearly preoccupied as they are with a much wider canvas, they have not had a chance to look at that. So, I will clarify one or two points. And, finally there is the easier political response which is required and which has come from some hon. Members.

My distinguished friend, Shri Dayanidhi Maran, and others have recalled what was done in Chennai in the State of Tamil Nadu. Some have asked why we do not do it in the rest of India. I think there is a basic misunderstanding which, perhaps, we have not put in front of the hon. Members as to what it is. But let me start with the point that it is a poll-sighted one.

(1745/VR/GG)

I regret the fact that my hon. friend, Shri Bhangwant Mann is not present in the House. Sir, through you, let me draw the attention of the House to how

much there has been a vilification of facts in the public domain and I say this with a degree of seriousness.

My friend and my colleague, Mr. Ramesh Bidhuri has collated all the Government letters, the letters which have been written to the Chief Minister of Delhi, what the Government of the National Capital Territory of Delhi has said before the Court and also what I have exchanged with him. I mean this information which I am placing before the House is already in the public domain.

Sir, the crux of the matter is that the regulations on the basis of which 1769 colonies have been identified goes back to a Gazette Notification of 2008. I quoted it when I introduced the Bill. So, when some hon. Members ask me why the year 2008 has been taken, it is because that is the most comprehensive Notification, we have listing 79.

I was asked by another hon. Member from the Treasury Benches - what about those which are not fitting in? The Government is very clear and in a transparent manner we have excluded some colonies. I will also come to that as to why we have excluded them. I state with the sense of responsibility that we will address those colonies at a subsequent stage. If some colony is there which does not fit into either or where there is a wrong fitting, we will do it. But if you do it now, it will just open the can of worms. What we need to do is to move ahead. I can say with confidence, if we had come with those 69 colonies first, you would have said कि यह सूट-बूट की सरकार है। ये तो गरीब आदमी का ध्यान ही नहीं रखते हैं।

So, we are starting with, as the lady hon. Member, my sister said, those people who belong to economically weaker sections, who are disadvantaged and we come to the 1731 colonies to start with. We will address the other at a subsequent stage.

Sir, in 2008, we had a Gazette Notification, which identified 1790 colonies. I do not want to get into a discussion as to who started Metro because I am also the Minister responsible for Metro. This is not a discussion on who started the Metro. This is not a question whether Chief Minister 'X' did more than the former Chief Minister 'Y'. I belong to a different tradition. I have been a Civil Servant for four decades. I think every Chief Minister of this State has contributed to making Delhi what it is. That is a fact. Equally I would say, if we are in a bit of a mess and if the situation in Delhi both in terms of atmospheric pollution, in terms of

congestion should have been better, each Chief Minister also bears part of the responsibility. But I want to digress from that and I want to come simply to the issue of these unauthorized colonies.

I would like to repeat what I said initially. The process of registering these colonies was continuing till the hon. Supreme court in a Judgement in 2011 in the Suraj Lamp and Industries vs. State of Haryana case came to the conclusion or rather there is a finding, which I would read out, that no longer will they recognize these five kinds of documents – General Power of Attorney, Will, Agreement to Sale, etc. for the purpose of registration. That is where the problem starts.

Now, it was clear to any Government which was responsible at that point of time in Delhi or the Centre that you had to deal with this problem. Around 40 to 50 lakh people are living there. It is spread over something like 43,000 acres. I have also mentioned the square kilometres when I was introducing the Bill. if you allow that to happen, that is a recipe for total chaos. So, we had to deal with it.

What was the objective? The objective was very clear. How did we have to deal with it. It was also very clear. The Government of the National Capital Territory of Delhi was required to map these colonies because if you do not know what the colonies are, you cannot go to the next stage. Now, I do not want to get into the blame game, the fact of the matter is that there has been correspondence which is in the public domain. I have this letter which I have written to the Chief Minister and I did not get a reply.

The Modi Government came to office in May 2014.

(1750/RBN/KN)

1750 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

I became a Minister in September 2017. When I was looking at all the issues which were before us, उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दिल्ली का सुधार जो है, इस अन-अथोराइज्ड कालोनीज का रेग्युलराइजेशन, रेग्युलराइजेशन तो अंग्रेजी का शब्द है। पर इनको मालिकाना हक, जब तक यहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं, यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि वे डिस-एडवांटेज्ड हैं। डिस-एडवांटेज क्यों है, क्योंकि हमारी नीतियाँ ठीक नहीं हैं। Poor people are living in unauthorised colonies. They are poor because your policies were poor. मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसकी गलती है, आपकी है या हमारी है। हमारी कलेक्टिव

रिसपोंसबिलिटी है। 17 सितम्बर में हमने यह कॉरेसपोंडेंस चालू की। हमने दिल्ली सरकार को लिखा। कई बार केजरीवाल जी मुझसे मिलने आए, मैंने उनको लंच भी खिलाया। ये हमेशा मुझसे कहते गए, हमें थोड़ा समय दीजिए। मुझे उन्होंने क्या कहा, हम कम्पनी को कान्ट्रेक्ट देने वाले हैं वह कम्पनी इसकी डिजिटल मैपिंग करेगी। मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि यह सैटेलाइट इमेजरी होगी या फिजिकल होगी, दोनों। सैटेलाइट इमेजरी से आपको इमेजेज मिलेंगी। उन इमेजेज को आप अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। प्रोसेस चालू हो गया है। उसके बाद हमारे लोग जाकर वहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उनको फिजिकली वेरिफाई करेंगे, आरडब्ल्यूएज से पूछेंगे कि यह आपकी थी क्या? 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा। एक पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक की बात होगी। एक बार मालिकाना हक मिल गया, तो फिर वह रजिस्ट्री करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस दौरान मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि वह फेक नेरेटिव बन रहा है। वह राजनीतिक एटमॉस्फियर है, उसमें जिन लोगों ने रुकावटें डाल रखी हैं, अब वे कह रहे हैं कि जल्दी करो। हमने कब यह निर्णय लिया? उस समय लिया, जब केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर एक ऐफिडेविट दिया कि हमें दो साल का और समय चाहिए। अगर इसमें पोल साइटेड है, वर्ष 2017 में मैं नया मंत्री बना था, उस समय तो कोई पोल आने वाला नहीं था। मैं डिस्टिंगविश्ड मित्र अधीर रंजन चौधरी जी से कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ कुछ समस्या ऐसी बन गई है कि आप कोई भी काम कभी-भी करिए कोई न कोई पोल तो आ ही रहा होगा। मान लें, आज कर लें तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में पोल आ रहा है या छत्तीसगढ़ में आ रहा है। अगर एक साल बाद करें तो पोल कहीं और आ रहा है। या तो एक बार नेशनल पोल करवा दीजिए तो हमारी समस्या हल हो जाए, नहीं तो हमेशा यह कारण रहेगा कि यह पोल साइटेड है।…(व्यवधान) Let me now come down to some of the basic issues which have been raised by hon. Members.

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे क्यों कमेंट करते हो। आपको बोलने का मौका दूंगा।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: My distinguished friend, the hon. Dayanidhi Maran said, 'be large-hearted and make it free'. I have a lot of respect for that thinking. But I belong to a different school of thought that if you make anything free, people will not respect that. क्योंकि आप मुफ्त में दे रहे हो, वह कह रहे हैं कि इसमें कुछ है नहीं। हमने जो रेट्स तय किए हैं, मैंने केलकुलेशन भी करवाई है कि कितने रेट्स मिलेंगे? हर एक एरिया का एक सर्कल रेट होता है। अब यह अन-अथोराइज्ड कालोनीज दिल्ली शहर में 'ए' और 'बी' ज़ोन्स में नहीं हैं। वे हैं- 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी', 'एच' में। I speak in English. I am sure the translation is very good. I have a problem. If I have a default response, I normally go into English. That is because you have kept me outside the country for 40 years. But I am switching back to Hindi. ऐसा है, कालोनी 'एच' में अगर 100 गज का प्लॉट होगा तो इसमें टोटल 1217 रुपये का चार्ज लगेगा। यह ज्यादा है या कम है, यह तो आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। मेरे लिए यह मुफ्त के बराबर है। जिन लोगों को यह राइट्स

मिलने वाले हैं और मालिकाना हक मिलने के बाद वहां पर लोन ले पाएंगे, वह प्रोपर्टी को डेवलप कर पाएंगे। जो प्रोपर्टी का रेट होगा, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है।

(1755/SM/CS)

I want to tell the hon. Members that I have not heard from a single resident in these so-called unauthorised colonies that they want it free. Nobody has come to me because the rates are so reasonable.

There is a regulation and there is a notification where these things have been put up on DDA's website. Please have a look at it. I am open to discussion but no one is suggesting it that we should do it.

Will the Government create social infrastructure in these colonies?

महोदय, बात सही है, पिछले 11 साल से इन पर कुछ किया नहीं है, कालोनियाँ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो सिविक सुविधाएँ हैं, वे हैं नहीं, इसलिए हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना होगा और यह सरकार बनाएगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो liberalised development control norms हैं, जो वेकेंट प्लॉट्स हैं, जहाँ खाली जमीन है, उन पर हम liberalised development norms इस्तेमाल करके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीडेवलपमेंट करेंगे, इसलिए हमने रेग्युलेशंस नोटिफाई कर दिए हैं। अगर आप एक बार उन रेग्युलेशंस को देख लें, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहेगा। जो चार्ज कलेक्ट होगा, मान लीजिए एच के लिए 1200 रुपये, किसी के लिए 4 हजार रुपये होगा, इसको हम एक स्पेशल फंड में रखेंगे और उस स्पेशल डेवलपमेंट फंड को हम इन कालोनीज पर लगाएंगे। मैं यहाँ पर जवाबदेही की भावना के साथ कह रहा हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट फंड से या जहाँ से भी लगाना हो, हम लगाएंगे, पर इसमें और सुधार होगा। एक बार यह रेग्युलराइजेशन हो जाए, मालिकाना हक मिल जाए तो हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वे अपनी सांसद निधि से भी पैसा लगा पाएंगे और बाकी रिसोर्सेज भी आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो 40-50 लाख हमारे भाई और बहन यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दिल्ली का पूरा नक्शा एकदम बदल जाएगा और ये जो कालोनीज हैं, जिन्हें हम अनऑथराइज्ड कह रहे हैं, क्या हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द, क्योंकि यह काम बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ पर लैंड प्राइसेस और लोगों को इसमें प्राइड होगी, ईज ऑफ लिविंग होगी और यह जल्दी डेमन्स्ट्रेट हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट रूकिए।

माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो वर्तमान विधेयक, जो चल रहा है और शून्यकाल की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप बोलिए।

श्री हरदीप सिंह पुरी : दयानिधि मारन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। It is an important point. Why was the technology not used to do this digital mapping? The submission I want to make through the hon. Speaker, is that technology is available to everyone. You can get satellite imagery; you can even get submeter imagery where you see the numbers on a scooter plate. But you must have the political will to do it; you must have the political will to use that technology in order to get something done.

I have been worried because I am new to this operating environment. मुझे चिंता यह हुई है, अभी एक आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि जो बाहर का रेट है, यहाँ अनऑथराइज्ड कालोनीज में तो उसका 10 प्रतिशत रेट है। यह सही है। That is correct. But what is worrying me is that very responsible people are going ahead and buying property in those unauthorised colonies. Why? It is because they are looking it as an investment. If you get into this trap that you want to buy property in an unauthorised colony in order to produce a land bank and then you authorise it, you will make a killing in profit. I think that the decision was not to act for so long somewhere at a subterranean level. I am not making any accusation. We should be very careful. Why has it taken so long? Why are we doing today? I would have done it in 2017. I was told by the hon. Chief Minister कि हमें आप दो साल दीजिए, अभी करने वाले हैं।

(1800/RV/AK)

यह वैसा ही है, जैसे बसों के बारे में बातें होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमें दिल्ली को सुधारना होगा और हमें मेट्रो सिस्टम बनाना होगा। इस समय दिल्ली में 380 किलोमीटर का मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है। जब हम फेज-IV लाएंगे तो यह 500 किलोमीटर तक चला जाएगा। पर, मेट्रो में और बाकी चीजों में भी, हम लोग जो को-ऑपरेशन चाहते हैं, वह हमें नहीं मिलता है। किसी बात पर हमें कहा जाता है कि हम इन-प्रिंसिपल एप्रूवल दे रहे हैं और इन-प्रिंसिपल एप्रूवल देंगे, पर पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया कि वे हमारी सहायता करें और हमें को-ऑपरेट करें। मैं निन्दा नहीं कर रहा हूं। ये फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में हैं। हमारे मेरठ का आर.आर.टी.एस. का 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया।…(व्यवधान) So, I am making a point that we had decided to go ahead, and believe me that Delhi elections were still very far-off. हमने यह काम कब शुरू किया? सरकार की जो एजेंसीज होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती हैं, आप उसे नैविगेट करना शुरू करते हैं।

मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। हम पिछले चुनावों के पहले ही इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष ले आए थे। इसे हम केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने तब लाए, जब हमें दिल्ली की सरकार ने कहा

कि वर्ष 2021 से पहले यह काम हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम अप्रैल-मई, 2019 के चुनावों के पहले इसे लाए, उस समय दिल्ली चुनाव हमारे होराइज़न में भी नहीं था। उस समय नेशनल इलेक्शंस थे। I just want to say that, yes, it is revolutionary and far-sighted. As regards 'poll-sighted', may be, you and I can have a coffee and discuss as to what is poll-sighted. May be, we have all become politicians. All of us, no matter what we say and the words we use become 'poll-sighted'. But I am happy to have that discussion.

My colleague, Shrimati Pratima Mondal, said that names of these colonies should not connote caste, etc. But I just want to tell the hon. Member that the Government has no role in this. The Government does not go giving names to particular colonies. I can tell you that I am dealing with a different category. It is not unauthorised, but this is the Kathputli Colony. It is called a Kathputli Colony because it has artisans there and there we are taking a slum. Again, I do not like to use the word 'slum', but 'informal settlement'. वहां 2800 परिवार स्लम-लाइक कंडीशंस में रहते थे। हम उनके लिए एक नया मॉर्डन स्ट्रक्चर बना कर दे रहे हैं। हमें दिसम्बर तक इसके तीन टावर्स तैयार करके देने थे, पर एन.जी.टी. की तरफ से कंस्ट्रक्शन पर जो बैन लगाया गया, उससे थोड़ी डिले हुई। पर, इसे दिसम्बर नहीं तो जनवरी में जल्दी ही कर देंगे। पर, यह काम भी छ:-सात सालों से चल रहा था। So, we have no role in assigning names.

अफ्लूएंट कॉलोनीज़ की भी बात आई। कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बात की। हमारी पार्टी के भी कई माननीय सदस्यों ने इसकी बात की। देखिए, एक बात सही है कि जब आप ऐसा कोई क्रांतिकारी स्टेप लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ी-सी चिंता होती है। चिंता यह होती है कि इसे कितनी स्पीड में कर पाएंगे, यह काम रुक तो नहीं जाएगा? यह जो लीगल प्रिंसिपल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या यह और जगहों पर भी अप्लाई होगा? यह बिल्कुल अप्लाई होगा। अगर हम मान लेते हैं कि किसी कॉलोनी में हम 'कन्फरमेंट ऑफ राइट्स' इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि यह प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 'जी.पी.ए.' के थ्रू हुआ है या 'सेल' या 'एग्रीमेंट-टू-सेल' या 'विल' से हुआ है तो अगर यह और कैटेगरीज में अप्लाई करेगा, खासकर उन जगहों पर जहां पर अफ्लूएन्ट या 'वेल-टू-डू सेक्शंस ऑफ सोसायटी' है तो मेरा इसमें यही रिस्पॉन्स है कि इसे हम अलग से एड्रेस करेंगे। पर, इस समय, for the sake of clarity, we have excluded those 65 colonies, क्योंकि इस समय काम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या लोअर-इनकम ग्रुप पीपल का है और इसमें इनकी जनसंख्या बहुत है। पर, दूसरे को भी हम बाद के स्टेज पर एड्रेस करेंगे।

महोदय, मेरे पास लोग रिप्रेजेंटेशंस लेकर आते हैं कि कई कॉलोनीज़ की कैटेगेराइजेशन ठीक नहीं हुई है। मैं उसे भी जल्द एड्रेस करूंगा। पर, इस बीच हमने दो पोर्टल्स बनाए हैं। एक, सारी सैटेलाइट इमेजरी को अपलोड करके बनाया है। सैटेलाइट इमेजरी तो सभी जगह उपलब्ध रहती हैं,

but you have to utilize that imagery and convert it into PDF files. Once you have converted it into PDF files, then you can upload it on your portal.
(1805/CP/UB)

जो फिजिकल डायमेंशन है, उसकी आप चारों कोनों से फोटो खीचेंगे। आप आरडब्ल्यूएज़ को 15 दिन का समय देंगे कि वे अपने व्यूज़ भेज सकें। 15 दिन के बाद जब सारी इनफोर्मेशन अपलोड हो जाएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम दूसरे पोर्टल के माध्यम से बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली की सारी buying and selling has been on the basis of General Power of Attorney. जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी क्यों है? इसका बहुत स्पष्ट कारण है। लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं। एक कल्चर बन गया कि सब प्रापर्टीज़ जीपीए पर हो जाएं। अब कोर्ट ने उसमें रुकावट डाल दी। Another hon. Member asked कि आप पोजेशन पर क्यों इनसिस्ट करते हैं। हम पोजेशन खाली पर नहीं इनसिस्ट करते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक्स प्रापर्टी है। एक्स के दो दावेदार आ जाते हैं। एक के पास 5 डाक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कई प्रापर्टीज़ एक, दो या तीन बार बिकी है और दूसरे के पास जीपीए है, तो हम देखेंगे कि कौन सा लेटेस्ट है, क्या ट्रांजैक्शन है, वहां कौन रह रहा है? अगर दोनों में से एक वहां रह रहा है, then possession will get additional weightage. If you read the notification, it becomes very, very clear.

दानिश अली जी ने कहा हम स्वच्छता की बड़ी बातें करते हैं। मैं सिर्फ यही सबमिट करना चाहूंगा कि जो स्वच्छता का आंदोलन हुआ है, the Swachhta Abhiyan started as a project of the Government, पर यह एक जन-आंदोलन बन गया है। मेरा मंत्रालय अर्बन है, शहरी क्षेत्र के हमारे काम हैं। यहां हमने 65 लाख से अधिक इंडीविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं। हमने पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए हैं। सारे टार्गेट्स हमने मीट किए हैं। आपका पाइंट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के बारे में है कि आप वहां जाकर देखिए कि क्या स्थिति है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस निर्णय से, मालिकाना हक देने से यहां पर जो बदलाव आएगा, यहां पर जो परिवर्तन आएगा, वहां आप देखेंगे कि स्वच्छता सिचुएशन एकदम इम्प्रूव करेगी। इसके कई कारण हैं। एक तो बाहर से फंड्स आ सकेंगे और दूसरा यहां अकांउटिबिलिटी होगी। हमारे यहां कुछ ऐसा कल्चर बना हुआ है कि अगर आप कुछ करिए तो कहते हैं कि इल्लीगल है। वह इल्लीगल नहीं था। किसी ने उसे खरीदा है। किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है, पर उसकी *Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. Vs. State of Haryana* के डिसीजन के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई।

श्री डी.के.सुरेश जी ने जो कहा, वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। That he welcomes the Bill, पर उन्होंने कहा कि इसे बाकी देश के लिए क्यों नहीं करते? I want to submit with all humility that land and colonisation are State subjects. इसमें केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है। कोई और सरकार करना चाहे, तो बड़ी खुशी से करे। हम दिल्ली में इसलिए करा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लैंड यूनियन ऑफ इंडिया के पास है। इसमें यह नहीं है कि दिल्ली में चुनाव आ रहा है, इसलिए दिल्ली में करने जा रहे हैं। हम बाकी जगह कर ही नहीं सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स इसे कर सकती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे करें। अगर कहीं पर समस्या है, जैसे तमिलनाडु के

ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि उनके लीडर ने 2007 में ऑलरेडी कुछ किया था …(व्यवधान) 1970 में कुछ किया। They are free to do it because land is a State subject. हमसे पूछा जाता है कि कई जगह इनफोर्मल सैटलमेंट्स स्लम्स हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमें नहीं करना है, न तो हमारे पास डेटा है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। जिस स्टेट को लगता है कि वहां पर इनफोर्मल सैटलमेंट्स या स्लम्स ज्यादा हैं, उसमें सुधार करें। इसमें हमारी कोई गहरी चाल नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हैं। हम इसे तीन साल पहले दिल्ली के लिए करना चाह रहे थे।…(व्यवधान) अगर केजरीवाल जी इसमें …(व्यवधान) I am not yielding. …(व्यवधान) यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। यहां पर एवीडेंस है कि पिछले तीन साल से वे हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। अगर 3 साल पहले किया होता, तो आप कहते कि हमने यह हरियाणा के चुनाव के लिए किया या किसी और के लिए किया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप किसी माननीय सदस्य का कोई जवाब मत दीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, I think I have responded and at least, I have made an attempt to respond to two questions as to why we have delayed it so long and the 2008 Notification.

(1810/NK/SNT)

It is entirely possible that हम 1731 कॉलोनियों को डिजिटल अपलोडिंग, जहां चालीस लाख नागरिक रहते हैं। मुझे लगता है कि सात-आठ लाख लोग क्लेम करेंगे। एक परिवार में भी अगर चार-पांच लोग हैं तो यह चालीस लाख बन जाता है। अगर हमें पता लगता है कि कहीं और कॉलोनी है that is the decision which we will have to visit. मुझे लगता है कि अगर हम एक झटके में इसे कर दें तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। To the hon. Member, N. K. Premachandran Ji – I listen to his comments very carefully – I have two short comments. मीनाक्षी जी ने कुछ जवाब दिया। हमने जो रेग्युलेशन नोटिफाई किए हैं, अगर आप उसे देख लें, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा। They are on the DDA website. इनकम टैक्स की रेफरेंस है उसके लिए हमने ऑलरेडी कॉरिजेंडा इश्यू किया हुआ है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): We did not get the corrigenda.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Then, I think, that is something we have to rectify. We have this corrigendum which is dated 22nd November with the Bill. I will send you a copy. It very clearly says, in point 4, page 3, line 3, for 'income tax 1971 or' read 'or'. So, that has been omitted. I know, legislative drafting is a special skill. दो-तीन व्यक्ति बैठ जाएं और अगर तीन में से कोई दो वकील हों तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट बहुत इंट्रेस्टिंग हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जल्दी में नहीं हुआ है।

मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। कुछ हफ्ते पहले प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा था कि मैं कुछ बाहर के राजदूतों के साथ अमृतसर जाऊं क्योंकि गुरूनानक देव जी की

550वीं बर्थ एनिवसरी थी। जब मैं वहां था और मुझे पता लगा कि the President has already convened the Session of Parliament, अगली सुबह यह कैबिनेट में लिस्टेड था। मैंने वहां से फोन किया कि इसे विदड्रा कर लो। उस समय Parliament was not in Session. हम ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे थे। उसके बाद हमने विदड्रा किया। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के लिए ला रहे हैं बल्कि पिछले आठ-नौ महीने से इस पर काम चल रहा है। अगर हमने पहले 2017-18 में किया होता तो अब तक यह काम कम्पलीट हो गया होता। अभी भी हमारी कोशिश रहेगी, जो इंडीव्जुअल अप्लाई करेंगे क्योंकि दूसरा पोर्टल 16 दिसम्बर को शुरू होगा। उसको करने के बाद उनको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। केजरीवाल जी, I want to caution him. वह रोज स्टेटमेंट दे देते हैं, जो ठीक नहीं होती। एक दिन कहा कि यह लेजिस्लेटिव बिजनेस में लिस्टेड ही नहीं है और महात्मा गांधी की समाधि के पास जाकर नारे लगाने शुरू किए। सदन में भी बोले, लेकिन क्या हुआ? हम एक कैबिनेट में नहीं लाए, दूसरी कैबिनेट में लाए, इसमें भी समय लगता है। उसके बाद कहना कि यह लिस्टेड नहीं है कि जनता के साथ केन्द्रीय सरकार धोखा कर रही है। शीशा लेकर देखो आपने कितनी रुकावट डाली है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं ऑपरेटिव प्रोविजन तीन दिन में रजिस्ट्री करा दो। भाई साहब, ध्यान से रजिस्ट्री हम नहीं कराएंगे, डीडीए नहीं कराएगा, रजिस्ट्री दिल्ली की सरकार कराएगी, पैसे लेकर करें या न करे not the issue एक दिन में रजिस्टार कितनी प्रोपर्टी को रजिस्टर कर सकता है, यह सवाल पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से आप मैकेनिकली करे तो केजरीवाल की मुंह से कही बात खुद ही न खानी पड़ जाए। अगर तीन दिन में करा दो, हम सबका करा देंगे, सेंकड पोर्टल करा कर उसके बाद तीन दिन में होती है कि तीस दिन में होती है हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बार-बार किसी का नाम मत लो।

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, मैं राज्य सभा का डिस्पिलिन्ड मेंबर हूं। मुझे माननीय अध्यक्ष से जो गाइडेंस मिलेगा, उसे मैं करूंगा। मैं कनक्लूड करना चाहूंगा। मैं सिर्फ तीन चीजें कहना चाहूंगा। इसमें रुकावटें लाई गईं, जो काम ग्यारह साल में नहीं हुआ, इसे हम तीन महीने नहीं, तीस दिन में कोशिश करके पूरा करेंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ कानून लाकर पोर्टल बना कर नहीं किया है, हमने डीडीए से रिक्वेस्ट की है कि वह अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हैल्प सेंटर लगाएं।

(1815/SK/GM)

उन्होंने पहले कहा था कि 25 लगाएंगे, मैंने गृह मंत्री जी के साथ कंसल्टेशन की तब मैंने कहा कि 25 मत लगाओ, 50 या 75 लगा दो ताकि कोई भी ऐसा नागरिक न हो जो वहां रहता हो और उसे सहायता मिलने में कोई कमी रह जाए। तीसरी चीज, यह बहुत ही रिवाल्युशनरी स्टैप है। मैं अपने साथियों से हमेशा कहता हूं, हो सकता है इसे इम्पलीमेंट करने में कहीं अगर कोई छोटी सी कमी रह गई, We are available 24x7 and if there are any implementing difficulties, Lieutenant Governor, DDA, Housing Ministry और बाकी एजेंसियां आपके साथ बैठकर इस काम को पूरा करेंगी, We have to end this injustice which has been going on.

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं आता है। कल भी सुबह डिबेट में चर्चा हुई थी, मैं फिर क्लेरिफिकेशन कर दूं कि न तो उनका रिकॉर्ड में पहले से था और न रहेगा। मेरी इजाजत के बिना जो माननीय सदस्य बोलते हैं, वह रिकॉर्ड में तब तक नहीं आता है जब तक मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज सम्मिलित हैं, के आधार पर ऐसी कालोनियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करके या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I have asked an important question regarding the physical possession. If a person who is the owner of the property has rented his house or leased the house on rental basis, it means he does not have the physical possession of the property. How will this problem be addressed?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: This is an issue which we will have to address. It is my anticipation based on the feedback I have from the people on the ground that in about 10 to 15 per cent cases, this is likely to happen. होगा क्या, अगर एक ही व्यक्ति के पास डॉक्युमेंट्स हैं और पोजेशन नहीं है तो कोई प्राब्लम नहीं है, क्योंकि कोई और क्लेमेंट नहीं है। अगर दो के पास है और दोनों में से एक कहता है कि मैंने किराए पर दिया हुआ है, दूसरा कहता है कि कागज़ मेरे पास हैं और मैं रह रहा हूं, We will have to make a

determination. But this will be resolved and we are ready to sit with people who have these difficulties.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): On the basis of the assurance given by the hon. Minister that the matter of physical possession will be addressed, I am not moving amendments no. 1 to 3.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Hon. Speaker, Sir, it has been mentioned in the Bill that several documents can be shown as a proof of the property.

I beg to move:

Page 2, line 7,-

after "sale deed"

insert "or gift deed". (9)

Page 2, line 10,-

for "legal heirs"

substitute "family". (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 और 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोलने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आप बीच में बात काट देंगे। But I would request you to give time to those who take the trouble of moving an amendment. एक मिनट बोलने का समय देने से कोई हर्ज नहीं होता। आप बाद में क्लेरिफिकेशन देते हैं, बोलने के लिए समय दीजिए। क्यों जल्दी है? इतनी देर तक चर्चा चली।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 10,-

after "tenant"

insert "or anyone who is having more than one dwelling unit in the National Capital Territory of Delhi". (11)

I do not want people who have already got dwelling units to be given further rights in the unauthorized colonies.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1820/MK/RSG)

खंड 3

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 से 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 3, line 6, --

omit "latest"." (4)

"Page 3, line 8, --

for "payment of consideration"

substitute "transactions"." (5)

"Page 3, line 12, --

omit "latest"." (6)

"Page 3, line 14, --

for "payment of consideration"

substitute "transaction"." (7)

"Page 3, line 23, --

for "payment of consideration"

substitute "transaction"." (8)

This is also a very important point. Kindly consider this issue related to evidencing 'payment of consideration'. If I have purchased a house ten years ago by paying cash, what is the evidence? Payment should have evidence but here we have no evidence. If there is a cheque transaction, there would be evidence; for some other transactions also, there would be evidence. If I purchased a house or sold a house on cash, there would be no evidence. So, my amendment relates to evidencing 'payment of consideration'. I am making a very clear legal transaction. Let it be a 'transaction' that is evidenced. That is the amendment I am moving.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, he is raising a legal point and I want to respond. Now, this is evidence of 'consideration', but you still have one of those five documents or three of those five documents. You may have purchased the house by paying cash, I cannot go into that; however, you have the possession and the proof that may have a power of attorney, an agreement to sell, etc. Now, on top of that, you have this. So, that transaction is subsumed. You may also have an electricity bill, you may have a ration card made there. So, all that is the evidence which I am referring to here. Frankly, if you read it as I read it, your amendment is unnecessary.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 से 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो.सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 3, *after* line 10, --

insert "Provided that the regularisation of unauthorised colony shall apply only if the residents vacate the encroachments on the public roads, nallahs, drainages, and the open lands identified by government agencies used as parks or common places in a time bound manner:

Provided further that the government agencies like Delhi Development Authority, New Delhi Municipal Council, Municipal Corporations and the Government of NCT of Delhi shall ensure non-encroachment of public places and wide roads under the Master Plan of Delhi-2021:

Provided also that there shall be no commercial activities in unauthorised colonies identified for regularisation.”.” (12)

“Page 3, *after* line 29, --

insert “(7) Any person with more than ten lakhs of income per year during the previous assessment year shall not be considered for conferring or recognizing any property rights under this Act.”.” (16)

In my amendment I have added one proviso after line 10, that is clause 3 (i) because if anybody who has been given the right has already encroached some Government land or such property, he should not be given the right. That is the proviso I want to add. I hope that the Minister will consider the same.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो.सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

“Page 3, line 11, --

for “fix”

substitute “not fix”.” (13)

“Page 3, line 19, --

for “the stamp duty”

substitute “no stamp duty”.” (14)

“Page 3, *for* line 25, --

substitute “case may be”.” (15)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 से 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): पुरी साहब मैंने टाइम फ्रेम के बारे में पूछा है क्योंकि यह चौथी बार रेगुलेशन हो रहा है। यह रेगुलेशन नया नहीं है, पीछे भी हुआ है। आपसे मैंने लैंड पुलिंग के बारे में भी एक सवाल पूछा था। मास्टर प्लान के साथ इसका क्या ताल्लुक रहेगा, ये तीन विषयों पर आप बोल दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, आप भी एक प्रश्न पूछ लीजिए।

अभी प्रतिमा मंडल जी को पूछ लेने दीजिए। दादा आप बैठ जाइए।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, being a junior Member and a lady Member, I need your encouragement and support. They are senior Members. You are giving a lot of time for them. I did not get any time. So, I need your support and encouragement.

Though the amendment has already been disposed, I did not get a chance to complete what I wanted to say. I would like to get one clarification, through you, from the hon. Minister. It has been provided in the Bill that various documents could be produced or could be submitted as proof of property.

(1825/RK/RPS)

Among these, the Gift Deed is missing. So, I would request you to include this also. Thank you, Sir, for giving me the chance to speak.

श्री हरदीप सिंह पुरी: अध्यक्ष महोदय, एक अन्य सवाल भी आया था कि जो रजिस्ट्रेशन होगी, वह महिला के नाम में होगी, यहां पर अलग-अलग रेट्स हैं। If you register as a woman you will

get a lower rate. So, I hope that more people will take advantage of the favourable rates and get the property registered in the name of women. यह मैं कहना चाहूंगा। मैंने आपको यह भी बताया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना में हमने 95 लाख से भी अधिक सैंक्शन किए हैं, there is a basic condition that the property has to be registered either in the name of the lady of the house or jointly. So, this is a major step towards gender empowerment. I hope we can take it forward. आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा कि इसे जल्दी में कर रहे हैं, मेरे पास इसकी इन्फार्मेशन है। मास्टर प्लान में हम लिब्रलाइज्ड डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, यह मैं आपको बताता हूं। यह सारा काम डीडीए करेगी। इसके लिब्रलाइज्ड डेवलपमेंट नॉर्म्स भी डीडीए बनाएगी, उसके बाद ले-आउट प्लान्स बनेंगे। डीडीए यह काम करेगी। इसके दो स्टेप्स हैं। एक तो हमें जानकारी चाहिए कि 1731 कौन सी कालोनीज हैं, उनकी क्या बाउण्ड्रीज हैं और जो डिजिटल सेटेलाइट इमेजरी है, उसकी ग्राउण्ड पर वेरिफिकेशन होगी that they are the same. कभी-कभी ऐसा होता है कि सेटेलाइट इमेजरी पुरानी होती है, कालोनीज का शेप बदल चुका होता है। इसके लिए 15 आरडब्ल्यूएज को 15 दिन दिए जाएंगे। यह कार्य शुरू हो गया है। आज तक करीब 600 कालोनीज की सेटेलाइट इमेजेज मिल गई थीं, उनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, फिर उनको अपलोड करेंगे। उसके बाद 16 दिसम्बर को एक अन्य पोर्टल इनागुरेट होगा, जिससे individual applicants can apply. अब पूरी 1731 कालोनीज का काम कब खत्म होगा, इन कालोनीज में जो हमारे 40 लाख नागरिक रहते हैं, सात लाख या आठ लाख एप्लीकेंट्स हो गए, जैसे ही पोर्टल खुला, वे यदि एकदम आना शुरू हो गए तो मैं समझता हूं कि यह काम 15 दिन में भी हो सकता है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)